

वार्षिक प्रतिवेदन Annual Report 2016-17

राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड
कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार
National Horticulture Board
Ministry of Agriculture & Farmers Welfare, Govt. of India

राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड

NATIONAL HORTICULTURE BOARD

वार्षिक प्रतिवेदन

ANNUAL REPORT

2016-17



कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार
Ministry of Agriculture & Farmers Welfare, Govt. of India
प्लॉट नं. 85, इंस्टीट्यूशनल एरिया, सेक्टर-18, गुरुग्राम-122015 (हरियाणा)
Plot No. 85, Institution Area, Sector- 18, Gurugram- 122015 (Haryana)
दूरभाष/Tel.: 0124 - 2342992, फैक्स/Fax: 0124 - 2342991, 2341225
वेबसाइट/Website: www.nhb.gov.in

विषय-सूची

प्रस्तावना

1. संगठन

- 1.1. दृष्टिकोण एवं मिशन
- 1.2. उद्देश्य

2. ढाँचा

- 2.1. निदेशक मंडल
- 2.2. राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड की प्रबंध समिति

3. संसाधन

- 3.1. हमारे लोग
- 3.2. हमारा नेटवर्क
- 3.3. हमारी अवसंरचना

4. वित्त-पोषण

5. योजनाएँ/कार्यक्रम

- 5.1. उत्पादन एवं फसल-कठाई उपग्रहण प्रबंधन के माध्यम से वाणिज्यिक बागवानी का विकास
 - 5.1.1. खुला क्षेत्र खेती
 - 5.1.2. संरक्षित खेती
 - 5.1.3. प्राथमिक प्रसंकरण इकाईयां
 - 5.1.4. उत्पादन समूह
- 5.2. बागवानी उत्पादों के लिए शीत संग्रहणों तथा संग्रहणों के निर्माण/विस्तार/आधुनिकीकरण हेतु पूँजी निवेश सहायिकी योजना
 - 5.2.1. घटकों का विवरण एवं सहायता का तरीका
 - 5.2.2. उपलब्धियाँ
- 5.3. बागवानी के संवर्धन के लिए प्रौद्योगिकी विकास एवं हस्तांतरण
 - 5.3.1. घटक एवं सहायता का तरीका
 - 5.3.2. उपलब्धियाँ
 - 5.3.3. फल एवं सब्जी नर्सरियों का प्रमाणन एवं मूल्यांकन
- 5.4. बागवानी फसलों के लिए बाजार सूचना सेवा
 - 5.4.1. उद्देश्य
- 5.5. बागवानी संवर्धन सेवाएँ/विशेषज्ञ सेवाएँ और या.बा.बो. की क्षमताओं का सुदृढ़ीकरण

6. मुख्य विशेषताएँ - वर्ष 2016-17

- 6.1. वाणिज्यिक बागवानी का संवर्धन
- 6.2. शीत संग्रहगार क्षमता का सृजन
- 6.3. बागवानी के संवर्धन के लिए प्रौद्योगिकी विकास एवं हस्तांतरण
- 6.4. नर्सरी प्रमाणन स्थिति
- 6.5. केसर पार्क परियोजना के अधीन प्रगति
- 6.6. सौर ऊर्जा पावर ग्रिड प्रणाली
- 6.7. एमआईडीएच तथा एमओएफपीआई की योजनाओं के लिए सहायक सेवाएँ

संलग्नक

1. राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड के उद्देश्य
2. राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड के निदेशक मंडल की सूची – 31-03-2017 के अनुसार
3. स्टॉफ स्थिति – 31-03-2017 के अनुसार
4. राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड की इकाई/शाखा कार्यालयों की उनके सम्पूर्ण पते सहित सूची
5. राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड के प्रकाशनों की सूची
6. वर्ष 2016-17 के लिए बोर्ड के वार्षिक लेखे

प्रस्तावना

भारत का बागवानी उत्पादन 2015–16 के दौरान लगभग 286 मिलियन टन है, इससे न केवल छोटे और सीमांतक किसान खुशहाल हुए हैं अपितु राष्ट्र को खाद्य और पौष्णिक सुरक्षा भी प्राप्त हुई है। भारत विश्व में फलों और सब्जियों का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश है। आज भारत में बागवानी भारतीय कृषि का एक बहुत ही महत्वपूर्ण गुंजायमान क्षेत्र बनकर उभरा है। इसमें राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड (रा.बा.बो.) का योगदान बहुआयामी रहा है। बोर्ड वर्ष 1999–2000 से अपनी व्यापक आधार वाली तथा उद्यमियों द्वारा चलाई जाने वाली नवीन योजनाओं के माध्यम से उन्नत गुणवत्ता उत्पादन, फसल–कटाई उपरांत प्रबंधन और मूल्य–संवर्धन द्वारा वैश्विक बाज़ारों की चुनौतियों का सामना करने के लिए किसानों तथा उद्यमी की सहायता कर रहा है।

वर्ष 2014 में एकीकृत बागवानी विकास मिशन (एम.आई.डी.एच.) की शुरूआत के बाद, रा.बा.बो. के लिए यह जरूरी हो गया है कि वह दोबारा से अपनी जगह बनाए और वाणिज्यिक बागवानी क्षेत्र के योजनाबद्ध विकास को गति देने के लिए नई भूमिका की कल्पना करे। इसे प्राप्त करने के लिए, एम.आई.डी.एच. की अन्य उप–योजनाओं के साथ सहक्रियता सृजित करने और अतिव्यापन को दूर करते हुए बागवानी क्षेत्र के विकास के लक्ष्य को पूरा करने के लिए रा.बा.बो. की योजनाएँ संशोधित की गई हैं। यह देखने योग्य है कि कुछ समय तक कई मौजूदा योजना घटक जरूरी संशोधनों के साथ प्रचालन में रहेंगे, सरकार ने 1 अप्रैल 2014 से लागू नये प्रचालनात्मक दिशानिर्देशों के अधीन, एम.आई.डी.एच. के अधीन एन.एच.एम. की योजनाओं के समान एकरूपता बनाए रखने के लिए खुले क्षेत्र में खेती के लिए 40 प्रतिशत और संरक्षित खेती के लिए 50 प्रतिशत सहायिकी का उच्चतर स्तर अनुमोदित किया है।

बोर्ड की योजनाओं ने वाणिज्यिक बागवानी में सफलता की कहानियाँ लिखने और बागवानी उत्पादन केन्द्रों की स्थापना करने में मदद की है। इसने फलों तथा सब्जियों के उत्पादन एवं फसल–कटाई उपरांत प्रबंधन, प्राथमिक प्रसंस्करण और निर्यात की संभावना तथा घरेलू बाजार में भी अच्छी माँग वाले उच्च–तकनीक से पुष्पोत्पादन के मामले में निजी–निवेश और प्राथमिक क्षेत्र उधारी को आकर्षित किया है।

वर्ष 2016–17 रा.बा.बो. के लिए दूसरा घटनापूर्ण वर्ष रहा है। वर्ष के दौरान विकास के मुख्य आकर्षणों में 3045.92 हैक्टेयर क्षेत्र (खुला क्षेत्र परिस्थिति और संरक्षित परिस्थिति) में 1092 वाणिज्यिक बागवानी परियोजनाओं की स्थापना, 1,88,897 मी.ट. कोल्ड स्टोरेज़ क्षमता का सृजन, 107 पैक हाऊस/ग्रेडिंग पैकिंग लाइन/प्री–कूलिंग इकाईयाँ, राइपनिंग चैम्बर, प्रशीतन वैन, 131 प्राथमिक प्रसंस्करण इकाईयाँ और 340 फल एवं सब्जी की नर्सरियों का प्रमाणन शामिल हैं।

किसानों की आय को 2022 तक दोगुना करने और विविधीकरण पर ध्यान केंद्रित करने की सरकार की परिकल्पना आने वाले समय में राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड का मार्गदर्शन करती रहेगी।

वर्ष के दौरान, बोर्ड ने “हार्ट–संगम” नामक बागवानी मेलों की अपनी श्रृंखला को जारी रखा है जिसे 11वीं पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान शुरू किया गया था। इसे शुरू करने के बहुउद्देश्यों में गुणवत्तायुक्त फलों के उच्चतर प्रतिशत के साथ उत्पादकता को बढ़ावा देने के लिए उत्पादक किसानों के बीच क्षमता निर्माण करना, ताजे बागवानी उत्पाद के फसल–कटाई उपरांत प्रबंधन के लिए प्रोटोकॉल अंगीकृत करना, इसकी पैकेजिंग तथा परिवहन और उत्पाद संवर्धन तथा बाजार विकास के प्रयोजन के लिए गैर–परंपरागत उपभोग केन्द्रों में सीधे बाजार तक पहुंच बनाना शामिल हैं। तदनुसार, 2016–17 के दौरान देश के विभिन्न हिस्सों में दो अंतर–राज्यीय हार्ट संगम आयोजित किए गए थे।

वर्ष 2016–17 के दौरान, बोर्ड ने वाणिज्यिक बागवानी की 1357 परियोजनाओं को सहायता प्रदान की थी और रु. 18150.68 लाख की सब्सिडी जारी की थी। इसके अलावा, बोर्ड ने 1,88,897 मी.ट. क्षमता के सृजन के लिए कोल्ड स्टोरेज़ों और विशेष भंडारणगृहों से संबंधित परियोजनाओं के लिए रु. 5758.98 लाख, प्रौद्योगिकी विकास तथा हस्तांतरण से संबंधित विभिन्न गतिविधियों के लिए रु. 308.29 लाख, बाजार सूचना योजनाओं के लिए रु. 825.83 लाख और बागवानी संवर्धन सेवा तथा रा.बा.बो. की क्षमताओं के सुदृढ़ीकरण के लिए रु. 914.65 लाख की वित्तीय सहायता जारी की है।

जम्मू एवं कश्मीर केसर सेक्टर का आर्थिक पुनरुत्थान करने के लिए, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार ने एक राष्ट्रीय केसर मिशन (एन.एस.एम.) कार्यक्रम की मंजूरी दी है। उक्त कार्यक्रम के अंतर्गत, गुणवत्ता परीक्षण और विपणन के घटकों का क्रियान्वयन रा.बा.बो. द्वारा किया जाना है, जिन्हें 2017 से पहले शुरू किए जाने की संभावना है।

बागवानी विकास के क्षेत्र में बोर्ड की उल्लिखित उपलब्धियाँ रा.बा.बो. के निदेशक मंडल और प्रबंध समिति के योग्य मार्गदर्शन के बिना संभव नहीं होती, जिसके लिए मैं श्री राधा मोहन सिंह, माननीय केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री तथा बोर्ड के अध्यक्ष, श्री पुरुषोत्तम रूपाला, माननीय केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री तथा बोर्ड के उपाध्यक्ष और रा.बा.बो. के निदेशक मंडल के सभी सदस्यों के प्रति आभार प्रकट करता हूँ। मैं विशेष रूप से श्री एस.के. पटनायक, सचिव (कृषि, सहकारिता एवं किसान कल्याण) तथा अध्यक्ष, प्रबंध समिति और प्रबंध समिति के सभी सदस्यों का आभारी हूँ जिन्होंने नियमित रूप से अपना मार्गदर्शन तथा सहयोग प्रदान किया। मैं लक्ष्यों को प्राप्त करने में रा.बा.बो. के अधिकारियों तथा स्टाफ की टीम द्वारा प्रदान किए गए उत्कृष्ट सहयोग की भी सराहना करता हूँ।

(दिनेश कुमार)
प्रबंध निदेशक

1. संगठन

राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड (रा.बा.बो.) की स्थापना भारत सरकार द्वारा अप्रैल, 1984 में डॉ. एम.एस. स्वामीनाथन, तत्कालीन सदस्य (कृषि), योजना आयोग, भारत सरकार की अध्यक्षता में “विनाशवान कृषि उत्पादों पर समूह” की सिफारिशों के आधार पर की गई थी। राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड, सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम, 1860 के अंतर्गत एक सोसाइटी के रूप में पंजीकृत है तथा इसका मुख्यालय गुड़गांव में है।

1.1. दृष्टिकोण एवं मिशन

दृष्टिकोण

- इस तथ्य को स्वीकार करते हुए कि वाणिज्यिक बागवानी न केवल भोजन तथा पोषण सुरक्षा मुहैया करवाती है बल्कि बेहतर आर्थिक लाभ तथा किसानों हेतु जोखिम के न्यूनीकरण हेतु फसल विविधता के लिए मार्ग भी प्रशस्त करती है, वाणिज्यिक बागवानी परियोजनाओं के माध्यम से निजी निवेश हेतु समन्वित प्रयासों द्वारा इस क्षेत्र को बढ़ावा देने की आवश्यकता की परिकल्पना की गई है।
- इस क्षेत्र में समूह में वाणिज्यिक बागवानी परियोजनाओं के अंतर्गत क्षेत्र का विस्तार, कटाई उपरांत प्रबंधन से संबंधित अवसंरचना के साथ प्रौद्योगिकी विकास तथा अंतरण के सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्र के प्रयास, उत्पाद संवर्धन, विपणन तथा निर्यात शामिल हैं।
- इस दृष्टिकोण के साथ, राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड संसाधनों के बेहतर उपयोग, प्रौद्योगिकी के हस्तांतरण तथा पैमाने में वृद्धि का लाभ उठाने हेतु उत्पादक किसानों को एकत्र करके संभावित समूहों में वाणिज्यिक बागवानी के विकास की प्रक्रिया में तेजी लाने का प्रयास कर रहा है।

मिशन

- उत्पादक केंद्र के विकास और गुणवत्ता वाली पौधरोपण सामग्री की उपलब्धता सुनिश्चित करने के माध्यम से वाणिज्यिक बागवानी को बढ़ावा देना।
- कटाई उपरांत प्रबंधन तथा हरित शीत श्रृंखला अवसंरचना में निवेश को बढ़ावा देना।
- गुणवत्तायुक्त उत्पादन के लिए प्रौद्योगिकी के विकास एवं हस्तांतरण को बढ़ावा देना।
- उत्पादकों, किसानों, विस्तार कामगारों, अनुसंधान संगठनों, निजी शेयरधारकों और ऋण संस्थानों के बीच परस्पर सहयोग के माध्यम से उत्पाद संवर्धन, बाजार विकास और निर्यात संवर्धन।

1.2. उद्देश्य

राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड के मुख्य उद्देश्य बागवानी उद्योग के समेकित विकास में सुधार करना है और फलों तथा सब्जियों के उत्पादन एवं प्रसंस्करण को बनाए रखने के लिए समन्वयन में सहायता प्रदान करना है। बोर्ड के विस्तृत उद्देश्य संलग्नक-I में दिए गए हैं।

2. ढंचा

2.1. निदेशक मंडल

राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड के सभी क्रियाकलापों का प्रबंधन एक शीर्ष निकाय “निदेशक मंडल” द्वारा किया जाता है जिसके प्रमुख इसके अध्यक्ष के रूप में माननीय केन्द्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री हैं तथा माननीय केन्द्रीय कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री इसके उपाध्यक्ष हैं। बोर्ड के अन्य सदस्य हैं:

तालिका 1 निदेशक मंडल

| क्र.सं. | सदस्य का पदनाम | पद |
|---------|--|-------------------|
| 1. | केन्द्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री | अध्यक्ष (पदेन) |
| 2. | केन्द्रीय कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री | उपाध्यक्ष (पदेन) |
| 3. | केन्द्रीय सचिव, कृषि, सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग | सदस्य (पदेन) |
| 4. | महानिदेशक, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् | सदस्य (पदेन) |
| 5. | अपर सचिव, कृषि, सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग | सदस्य (पदेन) |
| 6. | अपर सचिव एवं वित्तीय सलाहकार, कृषि, सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग | सदस्य (पदेन) |
| 7. | संयुक्त सचिव एवं मिशन निदेशक (एम.आई.डी.एच.), कृषि, सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग | सदस्य (पदेन) |
| 8. | बागवानी आयुक्त, कृषि, सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग | सदस्य (पदेन) |
| 9. | सलाहकार (कृषि), नीति आयोग | सदस्य (पदेन) |
| 10. | अध्यक्ष, कृषि एवं प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (एपीडा) | सदस्य (पदेन) |
| 11. | खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय (एमओएफपीआई) का प्रतिनिधि | सदस्य (पदेन) |
| 12. | किसी अन्य मंत्रालय का एक प्रतिनिधि जिसे विशेषतः अध्यक्ष महोदय की अनुमति से आमंत्रित किया जा सकता है | सदस्य (पदेन) |
| 13. | बागवानी उद्योग के 11 प्रतिनिधि जो सहकारी समितियों के हितों का प्रतिनिधित्व करने वाले, प्रख्यात बागवानी-विशेषज्ञ तथा बागवानी उत्पाद के अग्रणी निर्यातक होंगे। (केन्द्रीय सरकार द्वारा नामित किया जाएगा) | गैर-सरकारी सदस्य |
| 14. | प्रबंध निदेशक, राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड | सदस्य सचिव (पदेन) |

निदेशक मंडल के सदस्यों की सूची, 31–03–2017 के अनुसार, संलग्नक-II में दी गई है।

2.2. रा.बा.बो. की प्रबंध समिति

केंद्रीय सचिव (कृषि, सहकारिता एवं किसान कल्याण), राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड की प्रबंध समिति के अध्यक्ष के रूप में इसके प्रमुख हैं। इस समिति को बोर्ड के मामलों एवं कार्यों के सामान्य अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण का कार्य सौंपा गया है। प्रबंध समिति का संघटन निम्नलिखित है:

तालिका 2 रा.बा.बो. की प्रबंध समिति

| क्र.सं. | सदस्य का पदनाम | पद |
|---------|--|-------------------|
| 1. | केंद्रीय सचिव, कृषि, सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग | अध्यक्ष (पदेन) |
| 2. | अपर सचिव, कृषि, सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग | सदस्य (पदेन) |
| 3. | अपर सचिव एवं वित्तीय सलाहकार, कृषि, सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग | सदस्य (पदेन) |
| 4. | संयुक्त सचिव एवं मिशन निदेशक (एम.आई.डी.एच.), कृषि, सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग | सदस्य (पदेन) |
| 5. | बागवानी आयुक्त, कृषि, सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग | सदस्य (पदेन) |
| 6. | अध्यक्ष, कृषि एवं प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (एपीडा) | सदस्य (पदेन) |
| 7. | महाप्रबंधक, नाबार्ड | सदस्य (पदेन) |
| 8. | किसानों का एक प्रतिनिधि (केंद्रीय सरकार द्वारा नामित किया जाएगा) | सदस्य |
| 9. | प्रबंध निदेशक, राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड | सदस्य सचिव (पदेन) |

3. संसाधन

3.1. हमारे लोग

प्रबंध निदेशक, इस बोर्ड के मुख्य कार्यपालक हैं जिनके सहायतार्थ तकनीकी एवं प्रशासनिक प्रभाग हैं। स्वीकृत किए गए और भरे गए पदों के ब्योरे संलग्नक-III में दिए गए हैं।

3.2. हमारा नेटवर्क

इस बोर्ड का प्रधान कार्यालय गुरुग्राम, हरियाणा में स्थित है। इसके अतिरिक्त, देश के विभिन्न भागों में बोर्ड के 36 क्षेत्रीय कार्यालय हैं। हमारे क्षेत्रीय कार्यालयों की सूची संलग्नक-IV में दी गई है।


3.3. हमारी अवसंरचना

- 5.4 एकड़ में फैला हुआ एक बहुत ही सुव्यवस्थित हरा-भरा परिसर।
- प्रधान कार्यालय तथा क्षेत्रीय कार्यालयों में भी पूर्णतः कम्प्यूटरीकृत कार्य वातावरण।
- बागवानी प्रकाशनों की व्यापक शृंखला के साथ एक सुसज्जित पुस्तकालय।
- प्रधान कार्यालय में समिति हॉल, अतिथि गृह तथा कैंटीन सुविधाएँ।
- पोली हाऊस तथा नेट हाऊस हेतु प्रदर्शन इकाईयाँ।


4. वित्त पोषण

बोर्ड के कार्यकलापों का वित्त-पोषण पूरी तरह से भारत सरकार द्वारा प्रदत्त सहायता अनुदान के माध्यम से किया जाता है।

ऐतिहासिक 1 ग्राप्ट अनुदान एवं व्यय हेतु वित्तीय उपलब्धियाँ



ऐतिहासिक 2 निधि उपयोगिता की स्थिति



वर्ष 2016-17 के दौरान विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत प्राप्त निधियों तथा किए गए व्यय के ब्योरे निम्नलिखित हैं:-

(रुपये लाख रु. में)

| योजना का नाम | प्राप्त अनुदान | अव्ययित शेष जमा (01-04-2017 के अनुसार) | कुल उपलब्ध निधि | किया गया व्यय |
|------------------------------|----------------|--|-----------------|---------------|
| एन.एच.बी. | 27725.00 | 2491.44 | 30216.44* | 25956.42 |
| एन.एच.एम. (टीएसजी) | 315.00 | 34.90 | 349.90 | 297.59 |
| एन.बी.एम. (टीएसजी) | - | 20.64 | 20.64 | 10.89 |
| एम.ओ.एफ.पी.आई.(कोल्ड चेन) | 443.10 | - | 443.10 | 443.10 |

*अनुदान का उपयोग नहीं कर पाने के कारण वर्ष 2016-17 के दौरान रु. 3248.73 लाख की राशि कृषि, सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग को वापिस की गई थी।


5. योजनाएँ/कार्यक्रम

अपने प्रारंभ काल से ही राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड ने बागवानी फसलों में पद्धतियों तथा प्रसंस्करण/मूल्य संवर्धन के आधुनिक पैकेज के बड़े पैमाने पर अंगीकरण को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न कार्यक्रम/योजनाएं चलाई हैं। योजनाओं का वर्तमान सार-संग्रह उच्च गुणवत्ता वाले वाणिज्यिक उत्पादन को अर्जित करने, फसल-कटाई उपरांत अवसंरचना तथा शीत श्रृंखला सुविधाएँ सूजित करने और उत्पादन तथा फसल-कटाई उपरांत प्रबंधन हेतु प्रौद्योगिकी के हस्तांतरण को बढ़ावा देने के लिए मध्यवर्तन का एक सैट है। योजनाओं की मुख्य विशेषताएँ और वर्ष 2016-17 के दौरान अर्जित की गई उपलब्धियाँ नीचे दी गई हैं:-

5.1. उत्पादन तथा फसल-कटाई उपरांत प्रबंधन के माध्यम से वाणिज्यिक बागवानी का विकास

इस घटक के अधीन, खुला क्षेत्र में एवं संरक्षित परिस्थितियों के अधीन वाणिज्यिक उत्पादन इकाईयों की स्थापना के लिए परियोजनाएं, फसल-कटाई उपरांत प्रबंधन तथा प्राथमिक प्रसंस्करण इकाई वित्तीय सहायता के लिए पात्र हैं। यह घटक उत्तर-पूर्वी राज्यों तथा सार्वजनिक क्षेत्र की इकाईयों, पंचायतों, सहकारी संस्थाओं, पंजीकृत सोसाइटियों/न्यास तथा पब्लिक लिमिटेड कम्पनियों को छोड़कर क्रेडिट लिंक्ड योजना के रूप में परिचालन में है बशर्ते उन्हें परियोजना लागत का शेष हिस्सा अपने स्वयं के संसाधनों से पूरा करना होगा। ऐसी परियोजनाओं का मूल्यांकन रा.बा.बो. द्वारा अनुमोदित मूल्यांकन अभिकरण द्वारा किया जाएगा। इकाईयों की सभी श्रेणियों के लिए, वित्तीय सहायता अनुमोदित लागत मानकों के आधार पर निर्धारित की गई है।


ऐखाचित्र 3 पिछले दशक में वाणिज्यिक बागवानी योजनाओं का प्रदर्शन



तालिका 4 घटकों का विवरण और सहायता का तरीका

| क्र.सं. | विवरण | वर्णन | सहायता का तरीका |
|---------|---|---|--|
| 5.1.1 | परियोजना मोड पर खुला क्षेत्र परिस्थितियों में वाणिज्यिक बागवानी विकास | राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड परियोजना मोड पर खुला क्षेत्र परिस्थितियों में 2 हैक्टेयर (5 एकड़े) क्षेत्र कवर करने वाली परियोजनाओं हेतु एकीकृत वाणिज्यिक बागवानी विकास परियोजनाओं पर विचार करता है जिसमें रोपण सामग्री, वृक्षारोपण, सिंचाई, फर्टिगेशन, मशीनीकरण, उम्दा खेती, जी.ए.पी. आदि शामिल हैं। मशरूम और ऊतक संवर्धन पर एकीकृत उत्पादन इकाई भी इस घटक के अधीन सहायता के लिए पात्र हैं। उत्पादकता में वृद्धि करने के लिए फार्म मशीनरी और पी.एच.एम. अवसंरचना, सिंचाई एवं सूखम सिंचाई आदि जैसे घटक मौजूदा/नए बगीचों/परियोजनाओं में सहायता के लिए योजना के अधीन भी पात्र हैं। | क्रेडिट लिंक्ड बैंक—एन्डिड सहायिकी सामान्य क्षेत्रों में कुल परियोजना लागत के 40 प्रतिशत की दर से अधिकतम रु0 30.00 लाख और उत्तर-पर्वी क्षेत्र, पहाड़ी तथा अनुसूचित क्षेत्रों में कुल परियोजना लागत के 50 प्रतिशत की दर से अधिकतम रु0 37.50 लाख है। |

रेखाचित्र 4 वाणिज्यिक बागवानी विकास के अधीन भौतिक एवं वित्तीय उपलब्धियाँ




2016–17 के दौरान 595 परियोजनाओं को सहायता प्रदान की गई है जिसमें 6960 एकड़े क्षेत्र कवर हुआ और रु. 30.65 करोड़ की राशि सहायिकी के रूप में दी गई।

तालिका 5 घटकों का विवरण और सहायता का तरीका

| क्र.सं. | विवरण | वर्णन | सहायता का तरीका |
|---------|--|--|--|
| 5.1.2 | परियोजना मोड पर संरक्षित कवर में वाणिज्यिक बागवानी विकास | यह बोर्ड 2500 वर्ग मीटर से अधिक क्षेत्र की परियोजनाओं के लिए परियोजना मोड पर संरक्षित कवर के अधीन वाणिज्यिक बागवानी विकास परियोजनाएं शुरू करेगा जिसमें रोपण सामग्री, वृक्षारोपण, सिंचाई, फर्टिगेशन, मशीनीकरण आदि शामिल होंगे। ग्रीन हाऊसों, शेड नैट हाऊसों के निर्माण, प्लास्टिक मल्विंग, और प्लास्टिक सुरंग, पक्की/पत्थर को रोकने वाले जालों आदि जैसी गतिविधियाँ सहायता के लिए पात्र हैं। तथापि, सहायिकी प्राप्त करने के लिए, सभी सामग्री/प्रौद्योगिकी निर्धारित मानकों के अनुसार होनी चाहिए। | क्रेडिट लिंक्ड बैंक—एन्डिड सहायिकी स्वीकार्य लागत मानकों के अनुसार कुल परियोजना लागत के 50 प्रतिशत की दर से अधिकतम रु0 56.00 लाख है। |

ऐखाचित्र 5 संरक्षित खेती के अधीन भौतिक एवं वित्तीय उपलब्धियाँ




2016–17 के दौरान 497 परियोजनाओं को सहायता प्रदान की गई है जिसमें 654.81 एकड़ क्षेत्र कवर हुआ और लम्बी छलांग के साथ रु. 108.23 करोड़ की राशि सहायिकी के रूप में दी गई।

तालिका 6 घटकों का विवरण और सहायता का तरीका

| क्र.स. | विवरण | वर्णन | सहायता का तरीका |
|--------|---|---|---|
| 5.1.3 | एकीकृत फसल-कटाई उपरांत प्रबंधन परियोजनाएं | पैक हाऊस, राइपनिंग चैम्बर, प्रशीतन वैन, खुदरा आउटलेटों, प्री-कूलिंग इकाई, प्राथमिक प्रसंस्करण आदि से संबंधित एकीकृत फसल-कटाई उपरांत प्रबंधन परियोजनाओं को इस घटक के अधीन सहायता प्रदान की जाती है। रा.बा.बो. घटक मोड़ में पी.एच.एम. घटकों की अकेले चल सकने योग्य परियोजनाएं भी स्वीकार करता है। | क्रेडिट लिंक्ड बैंक-एन्डिड सहायिकी सामान्य क्षेत्रों में कुल परियोजना लागत के 35 प्रतिशत की दर से अधिकतम रु 50.75 लाख और उत्तर-पूर्वी क्षेत्र, पहाड़ी तथा अनुसूचित क्षेत्रों में कुल परियोजना लागत के 50 प्रतिशत की दर से अधिकतम रु 72.50 लाख है। |

ऐखाचित्र 6 एकीकृत फसल-कटाई उपरांत प्रबंधन के अधीन भौतिक एवं वित्तीय उपलब्धियाँ



2016-17 के दौरान रा.बा.बो. द्वारा 238 परियोजनाओं को सहायता प्रदान की गई है जिसमें रु. 36.36 करोड़ का अनुदान जारी किया गया।

उपलब्धियाँ

इस योजना के अंतर्गत, बोर्ड ने रिपोर्टाधीन वित्तीय वर्ष के दौरान 1357 परियोजनाएं मंजूर की थीं जिनमें रु 18150.68 लाख की सहायिकी दी गई। परियोजनाओं में हाई-टेक बागवानी फसलें, ऊतक संवर्धन इकाईयां, पुष्पोत्पादन इकाईयां, मशरूम खेती, पैकिंग हाऊस की स्थापना, राइपनिंग चैम्बर, प्रशीतन वैन, खुदरा आउटलेट, प्री-कूलिंग इकाईयां, प्राथमिक प्रसंस्करण, शहद प्रसंस्करण इकाईयां आदि शामिल हैं।

5.1.4 उत्पादन समूह

कृषि में उन्नति प्रौद्योगिकी के प्रयोग से पहले से दूसरे और तीसरे प्रसंस्करण तक जाते हुए आपूर्ति शृंखला बनाने के लिए किसानों, आपूर्तिकर्ताओं, ट्रांसपोर्टरों, बैंकरों, उत्पादकों तथा बीमा कम्पनियों को जोड़कर प्राप्त की जा सकती है। फार्म मशीनीकरण में वृद्धि करते हुए उत्पादन तथा उत्पादकता में सुधार करने के लिए किसानों का क्षमता निर्माण अपेक्षित है। समूह-आधारित दृष्टिकोण का लक्ष्य विशिष्ट खाद्यान्नों, सब्जियों, फलों तथा अन्य बागवानी फसलों के लिए समर्पित समेकित खेतीयोग्य धारण तैयार करना है। उपर्युक्त को ध्यान में रखते हुए, रा.बा.बो. उत्पादन लागत में कमी करके, उत्पाद गुणवत्ता में सुधार करके और फसल-कटाई उपरांत परिचालनों जैसे प्रारंभिक तथा माध्यमिक प्रसंस्करण, एकत्रीकरण, भंडारण तथा लॉजिस्टिक्स को आसान बनाकर किसानों की आय में बढ़ोतरी करने के लिए विभिन्न फसलों में समूहों को सक्रियता से बढ़ावा देता रहा है।

ऐकाचित्र 7 पुष्पोत्पादन समूह दृश्य (पाम्बरा, गाँव कालोह, ऊना, हिमाचल प्रदेश)




हिमाचल प्रदेश में, प्रति व्यक्ति खेती भूमि केवल 0.12 हैक्टेयर है जबकि प्रति व्यक्ति सिंचित भूमि केवल 0.02 हैक्टेयर है जो उच्चतम आय प्रति इकाई क्षेत्र/लेबर/निवेश सुनिश्चित करने के लिए खेती करने के तरीके के लिए जरूरत बनती जा रही है। हिमाचल प्रदेश राज्य में मौजूद कृषि-मौसम संबंधी परिस्थितियाँ आंतरिक गैर-मौसमी बाजार तथा निर्यातों दोनों के लिए वाणिज्यिक पुष्पोत्पादन के विकास हेतु शानदार अवसर प्रदान करती हैं। पुष्पोत्पादन उत्पादों की एक लम्बी किस्म जैसे कट फ्लावर, बल्ब, सीड, लाइव प्लांट्स आदि कम कीमत वाली नकदी फसलों के रूप में पैदा की जा सकती है।

हालांकि राज्य के विभिन्न कृषि मौसमीय क्षेत्रों से फूल घरेलू बाजार के लिए हर समय उपलब्ध करवाये जा सकते हैं, निर्यात गुणवत्तायुक्त फूल उत्पादन ग्रीनहाउसों की नियंत्रित पर्यावरणीय परिस्थितियों के अधीन खेती करके ही सुनिश्चित किया जा सकता है।

पुष्पोत्पादन के माध्यम से किसानों में खुशहाली लाने के लिए अवसर को देखते हुए, रा.बा.बो. ने गाँव कालोह, ऊना, हिमाचल प्रदेश में पुष्पोत्पादन समूह पाम्बरा को बढ़ावा दिया है और पुष्पोत्पादन के अधीन 78 एकड़ कवर करते हुए 40 परियोजनाओं के लिए सहायता प्रदान की है।

ऐकाचित्र 8 पुष्पोत्पादन समूह दृश्य (जानोरी, डिंडोरी, नाशिक, महाराष्ट्र)



संरक्षित खेती के अधीन, रा.बा.बो. ने डिंडोरी, नाशिक, महाराष्ट्र में जानोरी तथा मोहादी गाँवों में पुष्पोत्पादन समूह के लिए संभावना की भी पहचान की है और 198 एकड़ क्षेत्र करने वाली 220 इकाईयों को सहायता प्रदान की है।

ऐतिहासिक 9 पुष्पोत्पादन समूह दृश्य (अनेकल, कर्नाटक)



दूसरा पुष्पोत्पादन समूह रा.बा.बो. द्वारा अनेकल, कर्नाटक में संवर्धित किया गया था और समूह में वाणिज्यिक पुष्पोत्पादन करने के लिए 95 एकड़ क्षेत्र कवर करने वाली 83 परियोजनाओं को सहायता प्रदान की गई थी। यह परियोजनाएँ मुख्यतः निर्यातोन्मुख हैं।

खुले क्षेत्र में खेती



ऐतिहासिक 10 आंध्र प्रदेश में खुले क्षेत्र में अनार की खेती



ऐतिहासिक 11 आंध्र प्रदेश में खुले क्षेत्र में अंगूष्ठों की खेती

संरक्षित खेती



ऐतिहासिक 12 कर्नाटक राज्य में पोली हाऊस में खीरे की खेती



ऐतिहासिक 13 तेलंगाना राज्य में पोली हाऊस में रंगीन शिशमला मिर्च की खेती

ऐखाचित्र 14 हरियाणा राज्य में पोली हाऊस में लीलियम की खेती



प्राथमिक प्रसंस्करण इकाईयाँ



ऐखाचित्र 15 ओडिशा राज्य में काजू प्रसंस्करण इकाई



ऐखाचित्र 16 महाराष्ट्र राज्य में किशमिश इकाई



ऐखाचित्र 17 केरल राज्य में मै0 मालाबार हनी एंड फूड पार्क (प्रा.) लि0



ऐखाचित्र 18 मै0 मालाबार हनी एंड फूड पार्क (प्रा.) लि0 में शहद प्रसंशकरण मशीनरी

5.2. बागवानी उत्पादों हेतु शीत संग्रहगारों तथा संग्रहगारों के निर्माण/विस्तार/आधुनिकीकरण के लिए पूँजी निवेश सहायता

नियंत्रित वातावरण (सी.ए.) सहित शीत संग्रहगारों और उनके आधुनिकीकरण से संबंधित क्रेडिट लिंक्ड परियोजनाएं इस घटक के अधीन सहायता के लिए पात्र हैं। संस्थानों जैसे सार्वजनिक क्षेत्र की इकाईयों, पंचायतों, सहकारी संस्थाओं, पंजीकृत सोसाइटियों/न्यासों तथा सार्वजनिक क्षेत्र की लिमिटेड कम्पनियों के लिए सहायिकी जारी करने हेतु क्रेडिट लिंक्ड होना आवश्यक नहीं होगा, बशर्ते वे परियोजना की शेष हिस्सेदारी की पूर्ति अपने संसाधनों से कर सकें। ऐसी परियोजनाओं का मूल्यांकन रा.बा.बो. द्वारा अनुमोदित मूल्यांकन अभिकरण द्वारा किया जाएगा।

5.2.1 घटक का विवरण और सहायता का तरीका

| क्र.सं. | विवरण | मर्दें | सहायता का तरीका |
|---------|--|--|--|
| i | कोल्ड स्टोरेज इकाई टाइप-1 – एकल तापमान जोन के साथ मूल प्रकार | रा.बा.बो. 5000 मी.ट. से अधिक 10000 मी.ट. तक की क्षमता वाली परियोजनाओं पर निम्नलिखित दरों के अनुसार विचार करता है: <ul style="list-style-type: none"> • @ रु. 8000 /मी.ट. 5000 मी.ट. तक की क्षमता के लिए • @ रु. 7600 /मी.ट. 5001 से 6500 मी.ट. के बीच की क्षमता के लिए • @ रु. 7200 /मी.ट. 6501 से 8000 मी.ट. के बीच की क्षमता के लिए • @ रु. 6800 /मी.ट. 8001 से 10000 मी.ट. के बीच की क्षमता के लिए | क्रेडिट लिंक्ड बैंक-एन्डिड सहायिकी 5000 मी.ट. से अधिक की क्षमता के लिए परियोजना की लागत के 35 प्रतिशत (उत्तर-पूर्व, पहाड़ी क्षेत्रों तथा अनुसूचित क्षेत्रों में 50 प्रतिशत) की दर से। क्षमता की गणना के लिए 3.4 घन मीटर (घ.मी.) (120 घन फीट (घ.फी.) चौम्बर मात्रा 1 मी.ट. क्षमता के समकक्ष मानी जाएगी। |
| ii | कोल्ड स्टोरेज इकाई टाइप-2 – बहु तापमान जोनों और मूल सामग्री प्रहस्तन उपस्कर के साथ | रा.बा.बो. 5000 मी.ट. से अधिक 10000 मी.ट. तक की क्षमता वाली परियोजनाओं पर निम्नलिखित दरों के अनुसार विचार करता है: <ul style="list-style-type: none"> • @ रु. 10000 /मी.ट. 5000 मी.ट. तक की क्षमता के लिए • @ रु. 9500 /मी.ट. 5001 से 6500 मी.ट. के बीच की क्षमता के लिए • @ रु. 9000 /मी.ट. 6501 से 8000 मी.ट. के बीच की क्षमता के लिए • @ रु. 8500 /मी.ट. 8001 से 10000 मी.ट. के बीच की क्षमता के लिए | |
| iii | कोल्ड स्टोरेज इकाई टाइप-2 – नियंत्रित वातावरण के लिए शामिल प्रौद्योगिकी के साथ | रा.बा.बो. 5000 मी.ट. से अधिक 10000 मी.ट. तक की क्षमता वाली परियोजनाओं पर ऊपर दी गई टाइप 2 दरों के अनुसार विचार करता है। अतिरिक्त रु. 10,000 /मी.ट. नियंत्रित वातावरण प्रौद्योगिकी के साथ जोड़े गए के लिए घटक वार लागत के अनुसार। | |
| iv | प्रौद्योगिकी समावेशन और कोल्ड चेन का आधुनिकीकरण | <ul style="list-style-type: none"> • @रु. 5000 /मी.ट. क्षमता 5001 से 10000 मी.ट. के बीच के लिए • आधुनिकीकरण के घटकों में शामिल हैं – पीएलसी घटक, पैकिंग लाइन, डॉक लेवलर, एडवांस ग्रेडर्स, वैकल्पिक प्रौद्योगिकियाँ, स्टेकिंग प्रणाली, इन्सयूलेशन और रेफरिजरेशन का आधुनिकीकरण आदि। | |

5.2.2 उपलब्धियाँ

इस योजना के अधीन, बोर्ड ने रिपोर्टधीन वित्तीय वर्ष के दौरान कोल्ड स्टोरेजों/सीए स्टोरेजों की 32 परियोजनाओं को मंजूरी दी है जिसमें 1,88,897 मी.ट. की क्षमता के सृजन के लिए रु. 5756.98 लाख की सक्षिप्ति दी गई है।



रेखाचित्र 19 हरियाणा राज्य में रा.बा.बो. से सहायता प्राप्त सीए कोल्ड स्टोरेज



रेखाचित्र 20 हरियाणा राज्य में रा.बा.बो. से सहायता प्राप्त सीए कोल्ड स्टोरेज

5.3. बागवानी के संवर्धन हेतु प्रौद्योगिकी विकास तथा हस्तांतरण

वाणिज्यिकीकरण/अंगीकरण के लिए चिह्नित नई प्रौद्योगिकियों/औजारों/तकनीकों को लोकप्रिय बनाने हेतु परियोजनाएँ निम्नलिखित उप-घटकों के माध्यम से चलाई जाएंगी:


5.3.1 घटकों का विवरण तथा सहायता का तरीका

| क्र.सं. | घटक | सहायता का तरीका |
|---------|--|---|
| i | ब्लॉक/मदर प्लांट तथा रूट स्टॉक नर्सरी की स्थापना (क्षेत्र 4 है0 से अधिक) | परियोजना आधारित – 100 प्रतिशत और वायरस इंडेक्सिंग, ऊतक संवर्धन प्रयोगशाला आदि सहित प्रभावी नर्सरी क्षेत्र के लिए रु0 100.00 लाख/है0 की दर से केवल सरकारी अभिकरण/सार्वजनिक क्षेत्र के माध्यम से। |
| ii | बागवानी फसलों के उत्पादन एवं उत्पादकता में वृद्धि करने के लिए मूल्यांकन और व्यापक बहुलीकरण हेतु अन्य देशों से रोपण सामग्री के आयात सहित प्रौद्योगिकियों का अभिग्रहण। | परियोजना आधारित – 100 प्रतिशत और केवल सरकारी अभिकरण/सार्वजनिक क्षेत्र उपकरणों के माध्यम से रु0 50.00 लाख/परियोजना की दर से। |
| iii | प्रदर्शित करने के प्रयोजन के लिए बागवानी हेतु नई मशीनों तथा औजारों का आयात/खरीद। | रु0 50.00 लाख/मशीन। कुल लागत का 100 प्रतिशत और केवल सरकारी अभिकरण/सार्वजनिक क्षेत्र के माध्यम से। रा.बा.बो. द्वारा संवर्धित उत्पादक संघों और सहकारी सोसाइटियों तथा किसान उत्पादक संगठन के प्रस्तावों पर भी निदेशक मंडल के निदेशानुसार गुण-दोष पर विचार किया जा सकता है। |

| क्र.सं. | घटक | सहायता का तरीका |
|---------|--|--|
| iv | उच्च गुणवत्तायुक्त वाणिज्यिक उत्पादन के संवर्धन के लिए प्रौद्योगिकी का विकास एवं हस्तांतरण:- (i) नए फार्म आगत के प्रारम्भ और उपयुक्त प्रौद्योगिकियों के लिए पाइलट परियोजना। (ii) पीएचएम, कोल्ड चेन, प्राथमिक प्रसंस्करण और पीएचएम, स्टोरेज तथा प्रहस्तन के लिए नए औजारों/उपस्करों/मशीनरियों के प्रारम्भ से संबंधित नए प्रोटोकॉल का विकास और परिचय। (iii) उत्पादन, पीएचएम, पैकेजिंग, स्टोरेज, प्रहस्तन तथा परिवहन आदि से संबंधित विशिष्ट समस्याओं के समाधान के लिए आर एंड डी परियोजनाएं। | कुल लागत के 100 प्रतिशत रूप में रु0 25.00 लाख /परियोजना तक और केवल सरकारी अभिकरण / सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम के माध्यम से। |
| v | लम्बी दूरी के परिवहन और रेल के माध्यम से बागवानी उत्पादों के थोक आवागमन को सुगम बनाने के लिए लम्बी दूरी परिवहन समाधान घटक। | परियोजना आधारित रु0 2000.00 लाख। |
| vi | उत्पाद संवर्धन और बाज़ार विकास सेवाएँ – हार्टिं-फेअर | रु0 25.00 लाख – केन्द्रीय नोडल अभिकरण द्वारा लागत का 100 प्रतिशत। |
| vii | किसानों का रहस्योद्घाटन दौरा (राज्य के बाहर) | परियोजना आधारित – लागत के वास्तविक 100 प्रतिशत के अनुसार। |
| viii | सरकारी अधिकारियों के लिए विदेश दौरा | रु0 6.00 लाख प्रति प्रतिभागीदार – हवाई/रेल यात्रा तथा पाठ्यक्रम शुल्क का 100 प्रतिशत। |
| ix | बागवानी के विकास के लिए संगोष्ठियों/कार्यशालाओं/प्रदर्शनियों आदि का आयोजन/भागीदारी। | (क) वित्तीय सहायता अंतर्राष्ट्रीय आयोजन (3–5 दिन) के लिए रु0 10.00 लाख, राष्ट्रीय आयोजन के लिए रु0 5.00 लाख, राज्य–स्तरीय आयोजन के लिए रु0 3.00 लाख और जिला–स्तरीय आयोजन के लिए रु0 0.50 लाख तक सीमित होगी। (ख) अल्पावधि (1–2) संगोष्ठियों के मामले में, वित्तीय सहायता निम्नानुसार सीमित होगी: <ul style="list-style-type: none">• रु0 1.00 लाख प्रति राज्य–स्तरीय आयोजन के लिए;• रु0 2.00 लाख प्रति राष्ट्रीय–स्तरीय आयोजन के लिए, और• रु0 3.00 लाख प्रति अंतर्राष्ट्रीय आयोजन के लिए (भारत के भीतर अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम का आयोजन/भागीदारी)। (निजी अभिकरण के लिए वास्तविक आधार पर लागत का 50 प्रतिशत और रा.बा.बो. के स्वयं के कार्यक्रमों के लिए 100 प्रतिशत) |
| x | फल और सब्जी नर्सरियों का प्रमाणन और रेटिंग | रु0 1.00 लाख/नर्सरी – केन्द्रीय नोडल अभिकरण (रा.बा.बो.) द्वारा। |

5.3.2 उपलब्धियाँ:

इस योजना के तहत, रा.बा.बो. ने नई प्रौद्योगिकी की शुरूआत, प्रगतिशील किसानों के दौरों, हार्टि संगम, संगोष्ठियों / गोष्ठियों / प्रदर्शनियों के आयोजन / भागीदारी, प्रौद्योगिकी जागरूकता, मदर प्लांट नर्सरियों आदि के लिए 109 परियोजनाओं को सहायता प्रदान की है और रु 308.29 लाख की वित्तीय सहायता राशि जारी की है।



ऐतिहासिक 21 विभिन्न फसलों में मदर प्लांट उत्पादन क्षमता



ऐतिहासिक 22 पं. दीनदयाल उपाध्याय कृषि उन्नति मेला, 2016,
मथुरा का उद्घाटन



ऐतिहासिक 23 माननीय केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री श्री राधा मोहन सिंह जी और महंत श्री आदित्यनाथ जी (सांसद), गोरखपुर द्वारा कृषि विज्ञान केंद्र, चौक माफी, गोरखपुर में आयोजित प्रदर्शनी में राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड के स्टॉल का अवलोकन करते हुए।



ऐतिहासिक 24 कृषि उन्नति मेला में राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड का स्टॉल

5.3.3. फल एवं सब्जी नस्तियों का प्रमाणन एवं मूल्यांकन



ऐखाचित्र 25 एनआरसी, नागपुर (महाराष्ट्र) में फल पौधा नस्ती प्रमाणन एवं मूल्यांकन




ऐखाचित्र 26 फल पौधा नस्ती प्रमाणन एवं मूल्यांकन




ऐखाचित्र 27 एन.आर.सी., नागपुर (महाराष्ट्र) में फल पौधा नस्ती प्रमाणन एवं मूल्यांकन
क्षेत्रवार पौधा प्रजनन क्षमता

क्षेत्र वार प्रमाणित नस्तियां




उत्तरी क्षेत्र




ऐखाचित्र 28 उत्तर में राज्यवार प्रमाणित नर्सरियां

पश्चिमी क्षेत्र




ऐखाचित्र 29 पश्चिम में राज्यवार प्रमाणित नर्सरियां

दक्षिणी क्षेत्र



ऐखाचित्र 30 दक्षिण में राज्यवार प्रमाणित नर्सरियां

पूर्वी क्षेत्र



ऐखाचित्र 31 पूर्व में राज्यवार प्रमाणित नर्सरियां

5.4. बागवानी फसलों के लिए बाजार सूचना सेवा

रा.बा.बो. द्वारा बाजार सूचना सेवाएँ बाजार सूचना संग्रहीत करने और महत्वपूर्ण फलों, सब्जियों तथा फूलों आदि के लिए देश के विभिन्न बाजारों में थोक कीमतों, आवकों तथा रुक्खानों का विश्लेषण करने और बाजार आसूचना रिपोर्टों के प्रसार के लिए खुदरा कीमतों हेतु बहुत महत्वपूर्ण हैं। रा.बा.बो. द्वारा वर्तमान में कवर किए जा रहे 36 फल तथा सब्जी बाजारों की संख्या बढ़ाकर 50 की जाएगी। यह कार्य मौजूदा विपणन/प्रोफेशनल एजेंसियों/बेरोज़गार कृषि स्नातकों अथवा मण्डी में मान्यता प्राप्त/स्थापित आढ़तियों आदि से रा.बा.बो. द्वारा यथा निर्णीत निर्धारित मासिक पारिश्रमिक (परिवहन सहित) तथा रा.बा.बो. को सूचना संप्रेषित (फैक्स, इंटरनेट और दूरभाष) करने पर वास्तविक व्यय आधार पर आउटसोर्स द्वारा करवाया जाएगा। सूचना संग्रहण के लिए संभाव्य बाजारों की पहचान करने के लिए रा.बा.बो. संबद्ध राज्य सरकारों के साथ परामर्श करेगा। ऑन-लाइन प्राप्ति, आंकड़ा प्रविष्टि, विश्लेषण, प्रचार-प्रसार तथा वेबसाइट प्रबंधन के लिए रा.बा.बो., गुरुग्राम में एक विशेष प्रकोष्ठ स्थापित किया जाएगा। इस प्रस्तावित एम.आई.एस. प्रकोष्ठ से संबंधित कार्य चयनित प्रोफेशनल एजेंसी की आउटसोर्स सेवाओं द्वारा भी किया जाएगा। कंप्यूटरीकरण, प्रौद्योगिकी पैकेज के विकास, आंकड़े प्रविष्टि आदि कार्य करने के लिए एम.आई.डी.एच. के टीएसजी घटक के अधीन अनुमोदित दरों पर जरूरत के अनुसार स्टाफ जैसे वरिष्ठ प्रोग्रामर, प्रोग्रामर और आंकड़ा प्रविष्टि प्रचालक तथा बागवानी सहायक आउटसोर्स किए जाएंगे। यह प्रकोष्ठ इलैक्ट्रोनिक रूप में प्रौद्योगिकी पैकेजों का

विकास करने और प्रचार, मुद्रित साहित्य आदि तथा स्थानीय विज्ञापनों के माध्यम से सूचना प्रचार—प्रसार के लिए जवाबदेह होगा। वर्ष के दौरान इस योजना के अंतर्गत बोर्ड द्वारा ₹ 825.83 लाख की राशि व्यय की गई है।

5.4.1. उद्देश्य

- महत्वपूर्ण फलों, सब्जियों तथा फूलों आदि हेतु देश के विभिन्न बाजारों में थोक मूल्यों, उनकी आवक तथा रुझानों और चयनित बाज़ारों की वर्धित संख्या के लिए खुदरा मूल्यों पर भी जानकारी सृजित करना।
- चयनित फल और सब्जियों जैसे संग्रहगार में स्टॉक, खड़ी फसल आदि की आवकों के रुझानों, कीमतों तथा अन्य संबंधित कारकों का विश्लेषण करना और बाज़ार आसूचना प्रतिवेदन सृजित करना।
- बाजार सूचना डाटा के कुशलता तथा समय पर उपयोग हेतु उसके तीव्रता से एकत्रीकरण तथा प्रसार के लिए एक राष्ट्रव्यापी संचार नेटवर्क स्थापित करना।
- विशेष रूप से उत्पादकों के सर्वोत्तम प्रतिलाभों हेतु सृजित और संग्रहीत किए गए ऐसे आंकड़ों का इस्तेमाल करते हुए किसानों के लिए सलाह तैयार करना और उत्पादक किसानों के लाभ के लिए इसे जारी करना।
- बागवानी डाटाबेस संग्रहीत और संकलित करना और जहाँ तक संभव हो 'फसल अनुमानन सर्वेक्षण—फल एवं सब्जियाँ' (सी.ई.एस.—एफ एंड वी) की मौजूदा प्रणाली का सुदृढ़ीकरण।
- प्रचार, विज्ञापनों, फिल्मों, मुद्रित साहित्य आदि के माध्यम से सूचना का प्रचार—प्रसार।
- आई.टी. के माध्यम से साझा किए जाने के लिए इलैक्ट्रोनिक रूप में प्रौद्योगिकी पैकेजों का विकास।
रा.बा.बो. के प्रकाशनों के ब्योरे संलग्नक-V पर दिए गए हैं।

5.5. बागवानी संवर्धन सेवाएँ/विशेषज्ञ सेवाएँ और रा.बा.बो. की क्षमताओं का सुदृढ़ीकरण

इस घटक के अधीन, विशेष तरह के अध्ययन और सर्वेक्षण किए जाएंगे और अध्ययन/सर्वेक्षण प्रतिवेदन लक्षित लाभार्थियों द्वारा इस्तेमाल किए जाने के लिए पेश किए जाएंगे। इसके अलावा, तकनीकी प्रयोगशालाएँ स्थापित की जाएंगी अथवा ध्येय स्थापित किया जाएगा और सलाहकारी एवं परामर्श सेवाओं सहित तकनीकी सेवाएँ भी उपलब्ध करवाई जाएंगी।

रा.बा.बो. द्वारा यह कार्य अपनी मैनपावर और आउटसोर्स विशेषज्ञों की सेवाओं के साथ किया जाता है और इस योजना के अधीन, नोडल संगठनों अर्थात् स्वयं रा.बा.बो., राज्य सरकारें/संघ शासित क्षेत्र और इसके अधीन संगठन, केन्द्रीय सरकार के संगठनों/अभिकरणों और अन्य संगठनों जैसे भारतीय गुणवत्ता परिषद्/एन.एच.आर.डी.एफ., आदि के माध्यम से 100 प्रतिशत वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।

इस योजना के अधीन ₹ 914.65 लाख की राशि व्यय की गई है।

6. मुख्य आकर्षण – वर्ष 2016-17

6.1. वाणिज्यिक बागवानी का संवर्धन


2016-17 के दौरान रा.बा.बो. ने सहयोग प्रदान किया है:-

- विभिन्न फलों, मसालों, सुगंधित पौधों की खुले क्षेत्र परिस्थितियों वाली 595 वाणिज्यिक बागवानी परियोजनाओं के लिए जिसमें 6960 एकड़ क्षेत्र शामिल है और रु. 3065.57 लाख की सहायिकी उपलब्ध करवाई गई है।
- फलों और सब्जियों की संरक्षित परिस्थितियों वाली 497 परियोजनाओं के लिए जिसमें 654.81 एकड़ क्षेत्र शामिल है और रु. 10822.59 लाख की सहायिकी उपलब्ध करवाई गई है।
- पुष्पोत्पादन और सब्जियों के नवांकुर नर्सरी इकाईयों की स्थापना के लिए 6 परियोजनाएँ जिसमें 10.39 एकड़ क्षेत्र शामिल है और रु. 74.57 लाख की सहायिकी उपलब्ध करवाई गई है।
- काजू, अन्य फल एवं सब्जी तथा किशमिश की 131 प्राथमिक प्रसंस्करण इकाईयाँ जिसमें रु. 1968.84 लाख की सहायिकी उपलब्ध करवाई गई है।
- प्री-कूलिंग इकाई, ग्रेडिंग पैकिंग इकाई और पैक हाऊस के सृजन हेतु 83 परियोजनाएँ जिसमें रु. 907.90 लाख की सहायिकी उपलब्ध करवाई गई है।
- 15 राइपनिंग इकाईयाँ, 9 प्रशीतन वैन परियोजनाएँ जिसमें रु. 758.77 लाख की सहायिकी उपलब्ध करवाई गई है।
- मधुमक्खी पालन इकाई, मशरूम इकाईयों, टिश्यू कल्चर इकाईयों आदि की 21 परियोजनाएँ जिसमें रु. 212.07 लाख की सहायिकी उपलब्ध करवाई गई है।

6.2. श्रीत संग्रहगार क्षमता का सृजन

- रा.बा.बो. ने 1,88,897 मी.ट. क्षमता के सृजन के लिए 32 कोल्ड स्टोरेजों/सीए स्टोरों को रु. 5756.98 लाख की सहायता राशि प्रदान की है।

श्रीत भंडारण क्षमता निर्माण में योगदान



ऐखाचित्र 32 श्रीत संग्रहगार इकाईयों और क्षमता संवर्धनों के लिए वित्तीय सहायता

6.3. बागवानी के संवर्धन के लिए प्रौद्योगिकी विकास और हस्तांतरण

- विभिन्न गतिविधियों जैसे संगोष्ठियों/गोष्ठियों/प्रदर्शनियों में भागीदारी, प्रौद्योगिकी जागरूकता, मदर प्लांट नर्सरियों के 109 कार्यक्रम आयोजित किए गए/सहयोग प्रदान किया गया,
- उत्पाद संवर्धन तथा बाजार विकास सेवाओं के दो विशाल कार्यक्रमों – हार्ट-फेअर का आयोजन किया गया।

6.4. नर्सरी प्रमाणन स्थिति

फल एवं सब्जी नर्सरी के प्रमाणन तथा मूल्यांकन की प्रणाली 2008–09 से शुरू की गई है। नर्सरियों को मान्यता प्रदान किए जाने की मौजूदा स्थिति निम्नलिखित हैः—

| नर्सरी प्रमाणन | स्थिति |
|--------------------------------|--------|
| रा.बा.बो. द्वारा प्राप्त आवेदन | 2655 |
| निरीक्षित नर्सरियाँ | 2557 |
| प्रमाणित नर्सरियाँ | 1607 |
| अनुशंसित नहीं की गई नर्सरियाँ | 862 |

6.5. केसर पार्क परियोजना की प्रगति

जम्मू-कश्मीर के पुलवामा जिले में स्थित दुस्सु गाँव में रु. 2445.00 लाख की कुल परियोजना लागत से केसर पार्क स्थापित किया जा रहा है। परियोजना सम्पूर्ण होने के करीब है और 2017 के दौरान परिचालन में आने की संभावना है।

6.6. सौर ऊर्जा पावर ग्रिड प्रणाली

रा.बा.बो. ने गुड़गाँव स्थित अपने भवन में 45 के.वी. क्षमता की सौर ऊर्जा पावर ग्रिड प्रणाली स्थापित की है।



ऐखाचित्र 33 रा.बा.बो. भवन की छत पर सौर पैनल स्थापित कर रा.बा.बो. द्वारा पर्यावरण संरक्षण की ओर उतार्या गया कदम

6.7. एमआईडीएच और एमओएफपीआई की योजनाओं के लिए सहयोग सेवाएँ

रा.बा.बो. एनएचएम और एनबीएम के टीएसजी घटक के अधीन सहयोग सेवाएँ प्रदान कर रहा है। वर्ष के दौरान, परियोजना प्रबंध कार्यान्वयन एजेंसी (पीएमआईए) रा.बा.बो. ने एमओएफपीआई के अधीन बागवानी परियोजनाओं हेतु तीन एकीकृत कोल्ड चेन अवसंरचना के लिए रु. 437.24 लाख का अनुदान जारी किया है।

संलग्नक-I

राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड के उद्देश्य

- i) चिह्नित क्षेत्रों में उच्च-प्रौद्योगिकी वाणिज्यिक बागवानी का विकास और ऐसे क्षेत्रों को बागवानी गतिविधि से गुजायमान करना जो बाद में बागवानी के विकास के लिए केन्द्रों के रूप में कार्य करेंगे।
- ii) क्षेत्र विस्तार परियोजनाओं के समग्र भाग के रूप में या परियोजनाओं के समूह के लिए सामान्य सुविधाओं के रूप में आधुनिक कटाई-उपरांत प्रबंधन की अवसंरचना का विकास करना।
- iii) ताजे बागवानी उत्पाद के लिए एकीकृत, ऊर्जा कार्यक्षम शीत श्रृंखला अवसंरचना का विकास करना।
- iv) प्रौद्योगिकी और जरूरत निर्धारण करने के पश्चात् वाणिज्यिकरण/अंगीकरण हेतु चिह्नित नई प्रौद्योगिकियों/औजारों/तकनीकों का प्रचार-प्रसार करना।
- v) कलम तथा प्रकंदन बैंकों/मदर प्लांट नर्सरियों की स्थापना का संवर्धन करते हुए और बागवानी नर्सरियों के प्रत्यायन/मूल्यांकन करते हुए तथा रोपण सामग्री के आवश्यकता आधारित आयातों द्वारा गुणवत्तायुक्त रोपण सामग्री की उपलब्धता सुनिश्चित करने में सहायता प्रदान करना।
- vi) ताजे बागवानी उत्पादों को बढ़ावा देना तथा बाजार का विकास करना।
- vii) नए विकसित/आयातित रोपण सामग्री और अन्य कृषि निवेशों, उत्पादन प्रौद्योगिकी, पी.एच.एम. प्रोटोकॉल्स, आई.एन.एम. तथा आई.पी.एम. प्रोटोकॉल्स के फील्ड परीक्षणों को बढ़ावा देना तथा उद्गम प्रौद्योगिकी के वाणिज्यिकरण हेतु अनुप्रयुक्त अनुसंधान एवं विकास कार्यक्रमों को बढ़ावा देना।
- viii) लेबर लागत कम करने और बागवानी फसलों की उत्पादकता बढ़ाने के लिए बागवानी में फार्म मशीनीकरण को इसके प्रदर्शन और किसानों के खेतों में इसके उपयोग के माध्यम से बढ़ावा देना।
- ix) पी.एच.एम. प्रोटोकॉलों के लिए अनुप्रयुक्त अनुसंधान एवं विकास को बढ़ावा देना, ताजे बागवानी उत्पाद के लिए महत्वपूर्ण भंडारण परिस्थितियां निर्धारित करना, शीत श्रृंखला अवसंरचना के लिए तकनीकी मानकों के तलचिह्न स्तर निर्धारित करना आदि।
- x) उत्पादकों/किसानों तथा सेवा प्रदाताओं जैसे बागबानों, मालियों, फार्म स्तर पर कुशल कामगारों, कोल्ड स्टोरेजों में परिचालक, ताजे बागवानी उत्पाद के प्रसंस्करण सहित फसल-कटाई उपरांत प्रबंधन करने वाले कार्यबल और मास्टर प्रशिक्षकों को प्रौद्योगिकी का हस्तांतरण।
- xi) बागवानी उत्पाद और उत्पादों के उपभोग को बढ़ावा देना।
- xii) रेल आदि के माध्यम से बागवानी उत्पाद के थोक आवागमन के लिए लम्बी दूरी परिवहन समाधान को बढ़ावा देना।
- xiii) बागवानी के व्यवस्थित विकास के लिए अल्पावधि और दीर्घावधि रणनीतियाँ विकसित करने और अवरोधों की पहचान करने के लिए अध्ययन और सर्वेक्षण करना तथा सलाहकारी एवं परामर्श सेवाओं सहित तकनीकी सेवाएं उपलब्ध करवाना।

राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड के निदेशक मंडल की सूची (31.03.2017 के अनुसार)

| क्रम सं. | आधिकारिक सदस्य का नाम, पदनाम, दूरभाष नं. और ईमेल पता | पदनाम |
|----------|--|------------------|
| 1 | श्री राधा मोहन सिंह माननीय केन्द्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार कृषि भवन, नई दिल्ली दूरभाष: 011-23383370 / 23782691 / 23384129 ईमेल: am.krishi@nic.in | अध्यक्ष (पदेन) |
| 2 | श्री परशोत्तम रूपाला माननीय कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार कृषि भवन, नई दिल्ली दूरभाष: 011-23782343 / 23782565 ईमेल: mos.krishi@nic.in | उपाध्यक्ष (पदेन) |
| 3 | श्री एस.के. पटनायक, सचिव, कृषि, सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार कृषि भवन, नई दिल्ली दूरभाष: 011-23382651 / 23388444 ईमेल: secy-agri@nic.in | सदस्य (पदेन) |
| 4 | डॉ. त्रिलोचन मोहपात्रा महानिदेशक, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद्, कृषि भवन, नई दिल्ली दूरभाष: 011-23382629-476 / 25841976 / 23386711 / 25843190 (आवास) ईमेल: dg.icar@nic.in | सदस्य (पदेन) |
| 5 | श्री जलज श्रीवास्तव, अपर सचिव (बागवानी), कृषि, सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार कृषि भवन, नई दिल्ली दूरभाष: 011-2338221 ईमेल: ascc-agri@nic.in / sjalaj@ias.nic.in | सदस्य (पदेन) |
| 6 | श्री कुमार संजय कृष्ण, अपर सचिव एवं वित्तीय सलाहकार, कृषि, सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार कृषि भवन, नई दिल्ली दूरभाष: 011-23381363 / 23382532 ईमेल: sanjay.krishna@nic.in | सदस्य (पदेन) |

| | | |
|----|---|------------------|
| 7 | <p>डॉ. शकील पी. अहमद संयुक्त सचिव एवं मिशन निदेशक एकीकृत बागवानी विकास मिशन (एमआईडीएच) कृषि, सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार कृषि भवन, नई दिल्ली दूरभाष: 011-23382444 / 23073779 ईमेल: shakil.ahammed@gov.in</p> | सदस्य (पदेन) |
| 8 | <p>डॉ. एस.के. मल्होत्रा बागवानी आयुक्त, कृषि, सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार कृषि भवन, नई दिल्ली दूरभाष: 011-23381012 / 23383712 ईमेल: hortcommissioner@gmail.com</p> | सदस्य (पदेन) |
| 9 | <p>डॉ. जे.पी. मिश्रा सलाहकार (कृषि), नीति आयोग, नई दिल्ली दूरभाष: 011-23096796 ईमेल: adviser.agri-pc@nic.com</p> | सदस्य (पदेन) |
| 10 | <p>श्री देवेन्द्र कुमार सिंह, अध्यक्ष, कृषि एवं प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (एपीडा), सिरी इंस्टीट्यूशनल एरिया, 3री मंजिल, एनसीयूआई भवन, अगस्त क्रान्ति मार्ग, नई दिल्ली दूरभाष: 011-26513167 ईमेल: chairman@apeda.gov.in</p> | सदस्य (पदेन) |
| 11 | <p>श्री जे.पी. मीणा, विशेष सचिव खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय (एमओएफपीआई), पंचशील भवन, अगस्त क्रान्ति मार्ग, नई दिल्ली-110049 दूरभाष: 011-26492476 ईमेल: jsjpm-fpi@nic.in</p> | सदस्य (पदेन) |
| 12 | <p>श्री अन्नासाहेब एम.के. पाटील, पूर्व सांसद चालीसगांव, जिला - जलगाँव - महाराष्ट्र मोबाइल: 09970095550 ईमेल: annasaheb.mkpatil@yahoo.com</p> | गैर-सरकारी सदस्य |

| | | |
|----|---|-------------------|
| 13 | श्री बलदेव सिंह भंडारी, वी.पी.ओ. – जामन की सेर, तहसील–पछाड़, जिला–सिरमौर, हिमाचल प्रदेश–173024 मोबाइल: 09418048582 / 09816048582 ईमेल: baldevbhandaribjp@gmail.com | गैर–सरकारी सदस्य |
| 14 | श्री वेद प्रकाश शर्मा, डी–33, द्वारकापुरी, निकट खेडापाती मंदिर, ग्वालियर–474002, मध्य प्रदेश मोबाइल: 09826216038 ईमेल: vedprakash98262@gmail.com | गैर–सरकारी सदस्य |
| 15 | श्री चोदाराजू सत्य कृष्णम राजू तेतागुंटा, तुनी मंडल, ईस्ट गोदावरी जिला, आंध्र प्रदेश–533406 मोबाइल: 09440238555 ईमेल: tetagunta@gmail.com | गैर–सरकारी सदस्य |
| 16 | रिक्त | गैर–सरकारी सदस्य |
| 17 | रिक्त | गैर–सरकारी सदस्य |
| 18 | रिक्त | गैर–सरकारी सदस्य |
| 19 | रिक्त | गैर–सरकारी सदस्य |
| 20 | रिक्त | गैर–सरकारी सदस्य |
| 21 | रिक्त | गैर–सरकारी सदस्य |
| 22 | रिक्त | गैर–सरकारी सदस्य |
| 23 | प्रबंध निदेशक, राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड, गुरुग्राम दूरभाष: 0124–2342992 ईमेल: md@nhb.gov.in | सदस्य सचिव (पदेन) |

संलग्नक-III

प्रबंध निदेशक, राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड के मुख्य कार्यकारी है। डॉ. ए.के. सिंह 01-04-2016 से 31-03-2017 के दौरान प्रबंध निदेशक थे। बोर्ड का मुख्यालय गुरुग्राम में है और पूरे देश में इसके 36 केन्द्र हैं। प्रबंध निदेशक को तकनीकी और प्रशासनिक प्रभागों द्वारा सहयोग प्रदान किया जाता है। बोर्ड में कुल नियमित स्वीकृत पदों की संख्या 155 है।

नियमित स्वीकृत, भरे हुए और रिक्त पदों के ब्योरे (31-03-2017 के अनुसार)

समूह ‘क’

| क्र. सं. | पद का नाम | वेतनमान | वेतन ग्रेड | वर्तमान स्थिति | | |
|----------|---------------------------------|-------------|------------|------------------------|------------|----------|
| | | | | स्वीकृत पदों की संख्या | भरे गये पद | रिक्त पद |
| 1. | प्रबंध निदेशक | 37400-67000 | 10000 | 1 | 1 | - |
| 2. | उप प्रबंध निदेशक | 37400-67000 | 8900 | 1 | 1 | - |
| 3. | निदेशक (कार्मिक) | 15600-39100 | 7600 | 1 | - | 1 |
| 4. | संयुक्त निदेशक | 15600-39100 | 6600 | 5 | 3 | 2 |
| 5. | संयुक्त निदेशक (वित्त एवं लेखा) | 15600-39100 | 6600 | 1 | 1 | - |
| 6. | उप निदेशक (सूचना प्रणाली) | 15600-39100 | 5400 | 1 | 1 | - |
| 7. | उप निदेशक | 15600-39100 | 5400 | 30 | 27 | 3 |
| कुल | | | | 40 | 34 | 6 |

समूह ‘ख’

| क्र. सं. | पद का नाम | वेतनमान | वेतन ग्रेड | वर्तमान स्थिति | | |
|----------|----------------------------|------------|------------|------------------------|------------|-----------|
| | | | | स्वीकृत पदों की संख्या | भरे गये पद | रिक्त पद |
| 1. | लेखा अधिकारी | 9300-34800 | 4600 | 1 | 1 | - |
| 2. | वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी | 9300-34800 | 4600 | 3 | 3 | - |
| 3. | तकनीकी अधिकारी (कम्प्यूटर) | 9300-34800 | 4600 | 2 | 2 | - |
| 4. | प्रशासनिक अधिकारी | 9300-34800 | 4200 | 1 | - | 1 |
| 5. | वरिष्ठ लेखाकार | 9300-34800 | 4200 | 2 | 2 | - |
| 6. | वरिष्ठ हिंदी अनुवादक | 9300-34800 | 4600 | 1 | 1 | - |
| 7. | वरिष्ठ बागवानी अधिकारी | 9300-34800 | 4200 | 18 | 14 | 4 |
| 8. | हिंदी अनुवादक | 9300-34800 | 4200 | 1 | 1 | - |
| 9. | कनिष्ठ लेखाकार | 9300-34800 | 4200 | 2 | 2 | - |
| 10. | बागवानी अधिकारी | 9300-34800 | 4200 | 17 | 8 | 9 |
| कुल | | | | 48 | 34 | 14 |

समूह “ग”

| क्र. सं. | पद का नाम | वेतनमान | वेतन घेड | वर्तमान स्थिति | | |
|------------|---------------------|------------|----------|---------------------------|---------------|----------|
| | | | | स्वीकृत पदों की संख्या | भरे गये पद | रिक्त पद |
| 1. | निजी कार्यपालक | 5200-20200 | 2400 | 5 | 3 | 2 |
| 2. | कम्प्यूटर कार्यपालक | 5200-20200 | 2400 | 7 | 7 | - |
| 3. | अवर श्रेणी लिपिक | 5200-20200 | 1900 | 5 | 3 | 2 |
| 4. | हिन्दी टंकक | 5200-20200 | 1900 | 1 | 1 | - |
| 5. | चालक | 5200-20200 | 1900 | 3 | 2 | 1 |
| 6. | इलेक्ट्रीशियन | 5200-20200 | 1900 | 1 | 1 | - |
| 7. | संदेशवाहक / एमटीएस | 5200-20200 | 1800 | 40 | 37 | 3 |
| 8. | माली | 5200-20200 | 1800 | 5 | 5 | - |
| कुल | | | | 67 | 59 | 8 |

ब्यौरे

| क्र. सं. | समूह | स्वीकृत पद | भरे गए | खाली |
|------------|----------|------------|------------|-----------|
| 1. | समूह “क” | 40 | 34 | 6 |
| 2. | समूह “ख” | 48 | 34 | 14 |
| 3. | समूह “ग” | 67 | 59 | 8 |
| कुल | | 155 | 127 | 28 |

इसके अतिरिक्त, 18 अस्थाई हैसियत के संदेशवाहक / एमटीएस नियोजित हैं।

राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड के शाखा कार्यालयों की सूची उनके सम्पूर्ण पते सहित

| क्रम सं. | केब्ड्रों के नाम एवं पता | क्रम सं. | केब्ड्रों के नाम एवं पता |
|----------|--|----------|---|
| 01 | राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड 416, देवनंदन सन्यास आश्रम, सामने एलीस पुल, आश्रम रोड, अहमदाबाद – 380015 टेली / फैक्स : 079– 26766416, 26766413 ई–मेल : nhbahd@yahoo.co.in | 07 | राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड एस-सी-ओ–85, द्वितीय तल, सैकटर–40 सी चंडीगढ़ – 160047 टेली / फैक्स : 0172–2625249, 2625269 ई–मेल : nhb_chd@yahoo.co.in |
| 02 | राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड नं. 14 / 43, दूसरा तल, प्रथम व द्वितीय स्टेज इंडस्ट्रीयल सबअर्ब, तुमकुर रोड, यशवंतपुर, बैंगलोर – 560022 टेली / फैक्स : 080-23371935, 23374149 ई–मेल : nhbbblr@yahoo.com | 08 | राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड 19–22 (गैराज), कृषि भवन, नई दिल्ली – 110011 टेली / फैक्स : 011– 23097015, 23073019 ई–मेल : nhbdelhi@gmail.com |
| 03 | राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड आर–24, द्वितीय तल, निकट हिंदुस्तान टाइम्स एमपी नगर, जोन – 1, भोपाल – 462011 टेली / फैक्स : 0755–2550768, 2761741 ई–मेल : bplnhb@rediffmail.com | 09 | राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड चांग चूप भवन, निकट नायुमा टेलीविजन तिब्बत रोड, गंगटोक – 737 101 टेली / फैक्स : 03592–208453, 220975 ई–मेल : nhbgangtok@yahoo.com |
| 04 | राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड एन–1 / 7, आई.आर.सी. गांव, नयापल्ली, सी.आर.पी.एफ गेट के सामने भुवनेश्वर – 751015 टेली / फैक्स : 0674–2558134, 2559620 ई–मेल : nhbbbbsr@gmail.com | 10 | राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड छिब्बर हाउस, चतुर्थ तल, दिसपुर पी.ओ., गुवाहाटी– 781005 टेली / फैक्स : 0361–2343719, 2340695 ई–मेल : nhbghy@gmail.com |
| 05 | राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड कमरा नं0 317, चतुर्थ तल, सैन्ट्रल फैसिलिटी बिल्डिंग, एपीएमसी फ्रूट मार्किट कॉम्प्लैक्स, सेक्टर–19, तुरम्भे वाशी नवी मुम्बई – 400703 टेली / फैक्स : 022–27830107 ई–मेल : nhbpune@gmail.com | 11 | राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड नं. 2, 5–9–195, विलियम निवास चिराग अली लेन, एबीआईडीएस, हैदराबाद – 500001 टेली / फैक्स : 040–23200806, 23201140 ई–मेल : nhb.govhyd@gmail.com |
| 06 | राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड मयुख भवन, द्वितीय तल, सॉल्ट लेक, सेक्टर–2, कोलकाता – 700091 टेली / फैक्स : 033– 23377182, 23211259 ई–मेल : nhb_kolkata@yahoo.com | 12 | राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड द्वितीय तल, मोदक प्रियाय, प्लॉट सं. 16 एवं 17, नियर न्यू आतिश मार्किट शिंप्रा पथ, मानसरोवर, जयपुर – 302020 टेली / फैक्स : 0141– 2399405, 2390818 ई–मेल: nhbjpr@yahoo.com |
| 13 | | 13 | राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड द्वारा – बागवानी निदेशक बागवानी कॉम्प्लैक्स, कैन्ट रोड जालंधर – 144005 |

| क्रम सं. | केब्ड्रों के नाम एवं पता | क्रम सं. | केब्ड्रों के नाम एवं पता |
|----------|---|----------|---|
| 14 | राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड द्वारा – बागवानी निदेशक 2, सपुत्र मार्ग, उद्यान भवन लखनऊ – 226001 टेली/फैक्स : 0522–2623374 / 2202420, 4072096 ई–मेल : nhblko@rediffmail.com | 21 | राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड स्थूनिसिपल स्टेडियम कॉम्प्लैक्स विजयवाड़ा – 520010 |
| 15 | राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड मोडयूल नं. 37, द्वितीय तल, सिडको रेडिमेड गारमेन्ट कॉम्प्लैक्स, इंडस्ट्रियल एस्टेट, गुइंडी, चेन्नई – 600032 टेली/फैक्स : 044–22501151 / 22500965 ई–मेल : nhbtn@yahoo.com | 22 | राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड हॉल नं. 307, ए–2, तृतीय तल, साउथ ब्लॉक, बाहु प्लाजा, रेल हेड कॉम्प्लैक्स जम्मू – 180004 टेली/फैक्स : 0191–2474349, 2474112 ई–मेल : nhbjammu@rediffmail.com |
| 16 | राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड 401, चतुर्थ तल, लोटस प्लाजा, निकट लक्ष्मी भवन, ओल्ड पोस्ट ऑफिस रोड, गोकुलपेठ, नागपुर – 440010 टेली/फैक्स : 0712– 2525030, 2523110 ई–मेल : nhbnagpur@rediffmail.com | 23 | राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड एस.सी. पंवार मार्केट यार्ड, कमर्शियल कॉम्प्लैक्स नं. 1, पेठ रोड, पंचवटी, नाशिक – 422003 टेली/फैक्स : 0253–2534558, 2533715 ई–मेल : nhbnashik@yahoo.com |
| 17 | राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड कमरा नं. 501, 502, 5वां तल, बोरिंग रोड, वर्मा सेंटर, पटना – 800001 टेली/फैक्स : 0612– 2541218, 2541128 ई–मेल: nhbpatna@gmail.com | 24 | राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड एमसीएईआर बिल्डिंग, 132 / बी, भामभुरदा भोंसले नगर, पुणे – 411007 टेली/फैक्स : 020– 25530582–83 ई–मेल : nhbpune@gmail.com |
| 18 | राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड एचपीएमसी, द्वितीय तल, निगम विहार शिमला – 171002 टेलीफोन/फैक्स : 0177- 2622908/ 2623801 ई–मेल: nhbhp2004@yahoo.com | 25 | राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड द्वारा – अधीक्षक गार्डन, शाहजहां पार्क, ताजगंज, आगरा – 282001 |
| 19 | राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड हार्टिकल्चर कॉम्प्लैक्स राजबाग श्रीनगर – 190008 टेली/फैक्स : 0191–2474349 (पीपी) ई–मेल : nhbjammu@rediffmail.com | 26 | राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड द्वारा – उप निदेशक (बागवानी), उ. प्र. सरकार, कम्पनी बाग, कचहरी, वाराणसी – 221001 मोबाइल : 09598638136, 8004560584 |
| 20 | राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड नं. यूआर–10, उप्पलम रोड, स्टेचू त्रिवेन्द्रम – 695001 टेली/फैक्स: 0471–2470505, 2470506 ई–मेल : nhbtvm@gmail.com | 27 | राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड रेजिडेन्सी कोठी कॉम्प्लैक्स इन्दौर – 452001 |
| | | 28 | राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड लक्ष्मी निवास, कृषि भवन, कांके रोड, रांची– 834008 टेली/फैक्स : 0651–2230132, 2233832 ई–मेल : nhbranchi@rediffmail.com |
| | | 29 | राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड 310 / 311, तृतीय तल, आई.डी. शॉपिंग सेन्टर, निकट शिवाजी मूर्ति सहारा दरवाजा, सूरत – 395003 |

| क्रम सं. | केब्ड्रों के नाम एवं पता |
|----------|--|
| 30 | राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड प्लॉट नं. 142, प्रथम तल, सैकिकलर स्ट्रीट एक्सटेंशन, बिबिकुलम, मदुरै – 625002 |
| 31 | राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड मकान नं. 470, अशोका सिनेमा के पीछे दीवान कॉलोनी, करनाल – 132001 |
| 32 | राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड द्वारा – बागवानी निदेशालय, कमरा नं. 13, द्वितीय तल, खेती भवन, रणजीत एवेन्यू अमृतसर– 143001 टेली / फैक्स : 0183–2500236 |
| 33 | राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड विकास भवन, फाजिल्का रोड, अबोहर– 152116 |

| क्रम सं. | केब्ड्रों के नाम एवं पता |
|----------|--|
| 34 | राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड नवीन सब्जी मण्डी रथल, कृषि उत्पादन मण्डी समिति, निरंजनपुर देहरादून – 248171 टेली / फैक्स : 0135–2761922, 2762767, 2725517 ई–मेल: nhb_dehradun@yahoo.com |
| 35 | राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड म.नं. 42, प्रथम तल, जल विहार कॉलोनी, निकट रॉटरी क्लब ऑफ इण्डिया, तेलीबंधा, रायपुर – 492001 (छत्तीसगढ़) टेली / फैक्स : 0771-2423992 ई–मेल: nhbraipur@yahoo.co.in |
| 36 | राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड द्वारा – क्षेत्रीय ग्रामीण विकास संस्थान दिल्ली–सहारनपुर रोड, बढ़ौत (बागपत)– 250611 टेली / फैक्स : 01234-251157 ई–मेल : nhbbaraut@gmail.com |

संलग्नक-V
राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड के प्रकाशनों की सूची

| क्र.सं. | प्रकाशनों के नाम | मूल्य |
|-----------------------|---|--|
| नियमित प्रकाशन | | |
| 1 | बागवानी सूचना सेवा (मासिक) वार्षिक अंशदान वाणिज्यिक संगठन संस्थान एवं पुस्तकालय एक प्रति | 750/- रुपए 650/- रुपए 75/- रुपए |
| 2 | फैक्ट्स एण्ड फिगर्स (भारतीय फल एवं सब्जियाँ) | 600/- रुपए |
| 3 | राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड उत्पादन वार्षिक पुस्तक — (1997) | 500/- रुपए |
| 4 | भारतीय बागवानी डाटाबेस — (1998) | 850/- रुपए |
| 5 | भारतीय बागवानी डाटाबेस — (1999) | 500/- रुपए |
| 6 | राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड उत्पादन वार्षिक पुस्तक — (2001) | 500/- रुपए |
| 7 | भारतीय बागवानी डाटाबेस — (2001) | 650/- रुपए |
| 8 | भारतीय बागवानी डाटाबेस — (2002) (नवम्बर 2002 में जारी) | 650/- रुपए |
| 9 | भारतीय बागवानी डाटाबेस — (2003) (सीडी सहित) भारतीय बागवानी डाटाबेस — (2003) (सीडी बिना) भारतीय बागवानी डाटाबेस — (2003) (केवल सीडी) | 850/- रुपए 650/- रुपए 250/- रुपए |
| 10 | भारतीय बागवानी डाटाबेस — (2004) | 650/- रुपए |
| 11 | भारतीय बागवानी डाटाबेस — (2005) | 700/- रुपए |
| 12 | भारतीय बागवानी डाटाबेस — (2006) | 700/- रुपए |
| 13 | भारतीय बागवानी डाटाबेस — (2008) | 700/- रुपए |
| 14 | भारतीय बागवानी डाटाबेस — (2009) | 700/- रुपए |
| 15 | भारतीय बागवानी डाटाबेस — (2010) | 700/- रुपए |
| 16 | भारतीय बागवानी डाटाबेस — (2011) | 700/- रुपए |
| 17 | भारतीय बागवानी डाटाबेस — (2012) | 700/- रुपए |
| 18 | भारतीय बागवानी डाटाबेस — (2013) | 700/- रुपए |
| 19 | भारतीय बागवानी डाटाबेस — (2014) | 700/- रुपए |
| अन्य प्रकाशन | | |
| 1 | मधुमक्खी पालन पर प्रथम राष्ट्रीय सम्मेलन | 75/- रुपए |
| 2 | होलसेल मार्किटिंग ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स इन मेट्रोपोलिटन सिटीज़ (1991–95) | 400/- रुपए |
| 3 | होलसेल मार्किटिंग ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स इन मेट्रोपोलिटन सिटीज़ (1995–99) | 300/- रुपए |
| 4 | परिचालन दिशानिर्देश (फरवरी 2016) | 50/- रुपए |
| 5 | एप्रोचेस फॉर सर्टेनेबल डेवलपमेंट फॉर हार्टिकल्चर | 500/- रुपए |
| 6 | हार्टिकल्चर इन इंडिया | 500/- रुपए |
| 7 | इंडियन हार्टिकल्चर — ए रोड मैप | 500/- रुपए |

नोट: डिमांड ड्रॉफ्ट राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड के पक्ष में भेजा जाना है जो कि गुरुग्राम (हरियाणा) पर देय हो।

वर्ष 2016-17 के लिए राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड के वार्षिक लेखे

भारतीय लेखा परीक्षा तथा लेखा विभाग
कार्यालय प्रधान निदेशक लेखा परीक्षा (केब्लीय), चंडीगढ़
INDIAN AUDIT AND ACCOUNTS DEPARTMENT
OFFICE OF THE PRINCIPAL DIRECTOR OF AUDIT (CENTRAL), CHANDIGARH
क्रमांक: पी.डी.ए.(सी.)के.व्यय/एसएआरबाबो 2016-17/2017-18/4332
दिनांक : 07-11-2017

सेवा में,
 सचिव,
 कृषि मंत्रालय,
 भारत सरकार,
 कृषि भवन,
 नई दिल्ली— 110001

‘विषय: राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड, गुडगांव के वर्ष 2016-17 के लेखाओं पर पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

महोदय,

कृपया राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड, गुडगांव के वर्ष 2016-17 के लेखाओं पर पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन (Separate Audit Report) संसद के दोनों सदनों के समक्ष प्रस्तुत करने हेतु संलग्न पायें। संसद में प्रस्तुत होने तक प्रतिवेदन को गोपनीय रखा जाए।

संसद में प्रस्तुत करने के उपरांत प्रतिवेदन की पांच प्रतियाँ इस कार्यालय को भी भेज दी जाएँ।

कृपया इस पत्र की पावती भेजें।

भवदीय,

संलग्न: उपरोक्त अनुसार।

ह0 /—
 प्रधान निदेशक

राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड, गुडगांव के 31 मार्च, 2017 को समाप्त वर्ष के लेखों पर भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक का पृथक लेखापरीक्षा रिपोर्ट

1. हमने राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड, गुडगांव के 31 मार्च, 2017 तक के संलग्न किए गए तुलन-पत्र, उस तारीख को समाप्त वर्ष के आय एवं व्यय लेखा तथा प्राप्ति एवं भुगतान लेखा की लेखापरीक्षा, नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियाँ तथा सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1971 की धारा 20 (1) के अंतर्गत की है। 2016–17 तक की अवधि के लिए लेखापरीक्षा कार्य सौंपा गया है। ये वित्तीय विवरणियां राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड के प्रबन्धन का उत्तरदायित्व है। हमारा उत्तरदायित्व इन वित्तीय विवरणियों पर हमारी लेखापरीक्षा के आधार पर मत प्रकट करना है।
2. इस पृथक लेखापरीक्षा रिपोर्ट में उत्तम लेखांकन नीतियों, लेखांकन मानकों तथा प्रकटीकरण मानकों इत्यादि से अनुरूपता, वर्गीकरण से सम्बन्धित केवल लेखांकन प्रतिपादन पर भारत के नियन्त्रक एवं महालेखापरीक्षक (सी.ए.जी.) की टिप्पणियां समाविष्ट हैं। कानून, नियम एवं विनियम (औचित्य एवं नियमितता) तथा दक्षता-सह-निष्पादन पहलूओं इत्यादि, यदि कोई हों, कि अनुपालन से सम्बन्धित वित्तीय सम्पादनों पर लेखापरीक्षा अभ्युक्तियां पृथकतः निरीक्षण रिपोर्टें/सी.ए.जी. की लेखापरीक्षा रिपोर्टें के माध्यम से सूचित किए जाते हैं।
3. हमने अपनी लेखापरीक्षा भारत में सामान्यतः स्वीकृत लेखापरीक्षा मानकों के अनुसार की है। ये मानक अपेक्षा करते हैं कि हम, ये उचित आश्वासन प्राप्त करने के लिए कि क्या वित्तीय विवरणियाँ भौतिक अयथार्थ विवरणों से मुक्त हैं, लेखापरीक्षा आयोजन तथा सम्पन्न करें। एक लेखापरीक्षा वित्तीय विवरणियों में प्रकटीकरणों तथा राशियों को समर्थन देने वाले प्रमाण, नमूना आधार पर परीक्षण सम्मिलित करती है। एक लेखापरीक्षा वित्तीय विवरणियों के समग्र प्रस्तुतिकरण के मूल्यांकन के अतिरिक्त प्रबन्धन द्वारा उपयोग किए गए लेखापरीक्षा सिद्धान्तों का निर्धारण तथा प्रबन्धन द्वारा बनाए गए महत्वपूर्ण आकलनों को भी सम्मिलित करती है। हम विश्वास करते हैं कि हमारी लेखापरीक्षा हमारे मत को उचित आधार प्रदान करती है।
4. हमारी लेखापरीक्षा के आधार पर, हम सूचित करते हैं कि:—
 - i) हमने सभी सूचनाएं तथा स्पष्टीकरण, जो हमारी जानकारी तथा विश्वास के अनुसार हमारी लेखापरीक्षा के उद्देश्यों के लिए आवश्यक थे, प्राप्त कर लिए हैं।
 - ii) इस रिपोर्ट से संव्यवहारित तुलन-पत्र, आय एवं व्यय लेखा तथा प्राप्ति एवं भुगतान लेखा, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा अनुमोदित प्रारूप में तैयार किए गए हैं।
 - iii) हमारे मत में राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड, गुडगांव द्वारा लेखाओं की समुचित बहियां तथा अन्य संबंधित अभिलेख अनुरक्षित किए गए हैं जैसा कि ये, ऐसी बहियों की हमारी जांच से प्रकट होते हैं।
 - iv) हम आगे सूचित करते हैं कि :

क. तुलन पत्र

अचल परिसंपत्तियां (अनुसूची 8)

पट्टेदार दुकानों पर निमण : ₹0 31.35 लाख

राबाबो ने पट्टे पर दुकानें लेने के लिए ₹0 31.35 लाख (3 माह का अग्रिम किराया ₹0 1.03 लाख सहित) दिए थे और अप्रैल 2016 से दिसम्बर 2026 अर्थात् 129 माह की अवधि का करार मार्च 2016 में किया था। इसके लिए किराया 01 अप्रैल 2016 से शुरू किया गया था। तथापि, वर्ष 2016–17 के लिए राशि ₹0 30.32 लाख (₹0 31.35 लाख – ₹0 1.03 लाख) परिशोधित नहीं किए गए थे। इसके परिणामस्वरूप ₹0 2.82 लाख अचल परिसंपत्तियों में अधिक और व्यय से ज्यादा आय के अधिशेष के रूप में दर्शाया गया है।

ख. लेखों पर टिप्पणियां (अनुसूची 25)

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार ने सितम्बर 2016 में परिसमाप्त हुए भूतपूर्व राष्ट्रीय तिलहन एवं वनस्पति तेल विकास बोर्ड (नॉवोड) की भूमि और भवन को अस्थायी रूप से फरवरी 2017 में राबाबो को हस्तांतरित करने का निर्णय लिया था और राबाबो को निर्देश दिया था कि वह अपने बजट से सुरक्षा स्टाफ का वेतन, बिजली खर्च आदि का भुगतान करें जिसके लिए निधियां राबाबो को बाद में हस्तांतरित की जाएगी। राबाबो ने इस वजह से अक्तूबर 2016 से मार्च 2017 तक वसूली के रूप में दर्शाते हुए वेतन और बिजली खर्च ₹0 8.72 लाख का भुगतान किया था। तथापि, इस तथ्य को टिप्पणियों के माध्यम से लेखों में प्रकट नहीं किया गया। चूंकि यह एक भौतिक विकास था, इसके गैर-प्रकटीकरण से उस हद तक खातों में कमी को दर्शाया गया है।

ग. सामान्य

लेखों के सामान्य प्रारूप के अनुसार, सेवानिवृत्ति हितलाभों जैसे पेंशन, उपदान और छुट्टी नकदीकरण के लिए प्रावधान बीमांकिक मूल्यांकन पद्धति पर किया जाना है। यद्यपि, बोर्ड के लेखों में उपदान और छुट्टी नकदीकरण के लिए प्रावधान किए गए थे, ये बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर नहीं किए गए थे।

घ. सहायता-अनुदान

कुल अनुदान ₹0 327.75 करोड़ में से जिसमें पिछले वर्ष का अव्ययित शेष ₹0 35.55 करोड़, वर्ष 2016–17 के दौरान प्राप्त अनुदान ₹0 284.83 करोड़ और बोर्ड की विविध प्राप्तियां ₹0 7.37 करोड़ शामिल हैं, बोर्ड राशि ₹0 274.43 करोड़ का उपयोग कर सका है और 31–03–2017 को अव्ययित शेष ₹0 20.81 करोड़ को छोड़कर ₹0 32.51 करोड़ सरकार को वापिस किए गए।

v) पूर्ववर्ती अनुच्छेदों में दी गई हमारी टिप्पणियों के अधीन, हम रिपोर्ट करते हैं कि इस रिपोर्ट से संव्यवहारित तुलन-पत्र, आय एवं व्यय लेखा तथा प्राप्ति एवं भुगतान लेखा बही खातों के अनुसार है।

- vi)** हमारी राय में और हमारी सर्वोत्तम जानकारी में और हमें दिए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार, लेखांकन नीतियां ओर लेखों पर टिप्पणियों के साथ पठित उक्त वित्तीय विवरणियां, उपर्युक्त महत्वपूर्ण मामलों और इस लेखापरीक्षा रिपोर्ट के अनुबंधों में उल्लिखित अन्य मामलों के अधीन, भारत में सामान्यतः स्वीकार किए गए लेखांकन सिद्धांतों की पुष्टि करते हुए सत्य और सही मत देते हैं:
- क) जहां तक 31 मार्च, 2017 को राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड, गुडगाँव के कार्यों की स्थिति का तुलन-पत्र से संबंध है; और
- ख) जहां तक यह उस तारीख को समाप्त हुए वर्ष के अधिशेष के आय एवं व्यय लेखा से संबंधित है।

कृते और भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की ओर से

हौ/-

प्रधान लेखापरीक्षा निदेशक (केब्रीय), चण्डीगढ़

स्थान : चण्डीगढ़

दिनांक: 07-11-2017

पृथक लेखापरीक्षा रिपोर्ट के लिए अनुबंध

1. आंतरिक लेखापरीक्षा की पर्याप्तता

कृषि मंत्रालय, भारत सरकार के प्रधान लेखा कार्यालय के आंतरिक लेखापरीक्षा विंग ने बोर्ड का लेखापरीक्षा विभिन्न अंतरालों में उनकी अनुसूची के अनुसार किया है। अधुनातन वर्ष जिसके लिए प्रधान लेखा कार्यालय द्वारा बोर्ड का लेखापरीक्षा किया गया था, वह वित्तीय वर्ष 2012–13 था। इसके अतिरिक्त, वर्ष 2016–17 का बोर्ड का आंतरिक लेखापरीक्षा सनदी लेखाकार फर्मों द्वारा किया गया था।

2. आंतरिक नियंत्रण प्रणाली की पर्याप्तता

निम्नलिखित को ध्यान में रखते हुए आंतरिक नियंत्रण को अपर्याप्त माना गया है:

- (i) बोर्ड ने अभी तक अपना लेखांकन मैनुअल तैयार नहीं किया है।
- (ii) राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड, गुडगांव के लिए केन्द्र सरकार द्वारा बनाए गए नियमों और विनियमों के खंड 10 (i) के अनुसार, प्रबंध समिति (एमसी) की बैठक प्रत्येक तीन माह में कम से कम एक बार अर्थात् एक वर्ष में चार बैठकें होगी। तथापि, वर्ष 2016–17 के दौरान केवल एक प्रबंध समिति की बैठक (21–06–2016) हुई थी।
- (iii) राबाबो में खरीद के लिए कोई मानक दिशानिर्देश / मैनुअल नहीं है।
- (iv) बोर्ड के अहमदाबाद शाखा कार्यालय द्वारा अचल परिसंपत्ति रजिस्टर को निर्धारित प्रारूप (जीएफआर 40) में नहीं बनाया गया है।
- (v) बोर्ड के कोलकाता शाखा कार्यालय ने बिल रजिस्टर को निर्धारित प्रारूप में नहीं बनाया है और नकदी से निपटने वाले व्यक्ति से सुरक्षा प्राप्त नहीं की गई है। इसके अलावा, रु 8.50 लाख के उपयोगिता प्रमाणपत्र लंबित थे जो बैंकों/वित्तीय संस्थानों से प्राप्त होने थे, जिन्हें कोलकाता शाखा कार्यालय द्वारा सब्सिडी जारी की गई थी।

3. अचल परिसंपत्तियों का प्रत्यक्ष सत्यापन

वर्ष 2016–17 की अचल परिसंपत्तियों का प्रत्यक्ष सत्यापन किया गया था।

4. वस्तुसूचियों का प्रत्यक्ष सत्यापन

वर्ष 2016–17 की वस्तुसूचियों का प्रत्यक्ष सत्यापन किया गया था।

5. सांविधिक देयताएं

बोर्ड सांविधिक देयताओं को नियमित रूप से जमा कर रहा है।

₹0/-

उप निदेशक

राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड, गुरुग्राम
31 मार्च, 2017 को समाप्त वर्ष के लिए

तुलन पत्र

(राशि रूपयों में)

| विवरण | अनुसूची सं. | वर्तमान वर्ष | पिछला वर्ष |
|---|-------------|---------------|---------------|
| समग्र/पूँजी निधि तथा देयताएँ | | | |
| समग्र/पूँजी निधि | 1 | 1,497,769,296 | 1,504,132,338 |
| आरक्षित और अधिशेष | 2 | - | - |
| अभिविहिनत/संचयी निधि | 3 | 39,473,007 | 106,341,305 |
| सुरक्षित ऋण तथा उधारियां | 4 | - | - |
| असुरक्षित ऋण तथा उधारियां | 5 | - | - |
| आस्थागित साख देयताएं | 6 | - | - |
| चालू देयताएं तथा प्रावधान | 7 | 369,941,940 | 368,832,650 |
| योग | | 1,907,184,243 | 1,979,306,293 |
| परिसंपत्तियां | | | |
| अंचल परिसंपत्तियां | 8 | 23,076,018 | 23,275,869 |
| निवेश – अभिविहिनत/संचयी निधि से | 9 | - | - |
| निवेश–अन्य | 10 | - | - |
| चालू परिसंपत्तियां, ऋण तथा पेशगी | 11 | 1,884,108,225 | 1,956,030,424 |
| विविध खर्च | | - | - |
| (बट्टे खाते अथवा समायोजित नहीं किया) | | | |
| योग | | 1,907,184,243 | 1,979,306,293 |
| महत्वपूर्ण लेखाकरण नीतियां | 24 | | |
| लेखों पर आकस्मिक देयताएं तथा टिप्पणियां | 25 | | |

स्थान : गुरुग्राम

दिनांक : 15.06.2017

हस्ता./-
प्रबंध निदेशक

हस्ता./-
उप प्रबंध निदेशक

हस्ता./-
संयुक्त निदेशक (वित्त एवं लेखा)

राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड, गुरुग्राम
 31 मार्च, 2017 को समाप्त वर्ष के लिए

आय तथा व्यय लेखा

(राशि रूपयों में)

| विवरण | अनुसूची सं. | वर्तमान वर्ष | पिछला वर्ष |
|---|-------------|---------------|---------------|
| आय | | | |
| विविध सेवाओं से आय | 12 | (8,277,252) | 7,843,181 |
| अनुदान/सहायिकी | 13 | 2,542,500,000 | 2,866,000,000 |
| शुल्क/अभिदान | 14 | - | - |
| निवेशों से आय | 15 | - | - |
| (अभिचिह्नित/संचयी निधियों से अंतरित निधियों से निवेश पर आय) | | | |
| रॉयलटी, प्रकाशन आदि से आय | 16 | 19,175 | 45,463 |
| अर्जित ब्याज | 17 | 119,568,919 | 117,843,651 |
| अन्य आय | 18 | 301,350 | 447,177 |
| तैयार माल के स्टॉक में वृद्धि/(कमी) तथा डब्ल्यूआईपी | 19 | - | - |
| योग (क) | | 2,654,112,192 | 2,992,179,472 |
| व्यय | | | |
| स्थापना व्यय | 20 | 78,878,479 | 72,867,959 |
| अन्य प्रशासनिक खर्च इत्यादि | 21 | 19,644,197 | 21,747,235 |
| अनुदान, सहायिकी आदि पर व्यय | 22 | 2,505,259,035 | 2,684,887,607 |
| ब्याज | 23 | 3,537 | 228,139 |
| मूल्यहास (वर्ष के अंत में शुद्ध जोड़ — अनुसूची 8 के अनुसार) | 8 | 4,379,863 | 3,018,997 |
| योग (ख) | | 2,608,165,111 | 2,782,749,937 |
| व्यय से आय अधिक होने पर शेष (क-ख) | | | |
| - आवेदन तथा प्रक्रिया शुल्क की लागत के अलावा निधियां हेतु | | 54,224,333 | 201,586,354 |
| - आवेदन एवं प्रक्रिया शुल्क की लागत | | (8,277,252) | 7,843,181 |
| संदिग्ध ऋणों के प्रावधान हेतु अंतरित (पिछला भाग) | | (9,060,000) | - |
| आवेदन फार्म एवं योजना बातशाह राशि से इतर के लिए | | 63,284,333 | 201,586,354 |
| समग्र/पूंजीगत निधि में जमा किया गया शेष | | | |
| अधिशेष/(घाटा) | | (8,277,252) | 7,843,181 |
| आवेदन एवं प्रक्रिया शुल्क राशि के लिए समग्र/पूंजीगत निधि में जमा किया गया शेष अधिशेष/(घाटा) | | | |
| महत्वपूर्ण लेखाकरण नीतियां | 24 | | |
| लेखों पर आकर्षित देयताएं तथा टिप्पणियां | 25 | | |

स्थान : गुरुग्राम

दिनांक : 15.06.2017

हस्ता./-
 प्रबंध निदेशक

हस्ता./-
 उप प्रबंध निदेशक

हस्ता./-
 संयुक्त निदेशक (वित्त एवं लेखा)

31 मार्च 2017 को समाप्त वर्ष के लिए प्राप्तियां एवं भुगतान

(राशि रुपयों में)

| प्राप्तियां | 2016-17 | | 2015-16 | | भुगतान | (राशि रुपयों में) | |
|---|----------------|----------------|---|------------------|-------------|-------------------|----------------|
| | वर्तमान वर्ष | पिछला वर्ष | वर्तमान वर्ष | पिछला वर्ष | | वर्तमान वर्ष | पिछला वर्ष |
| 1. प्रारंभिक हेतु | | | 1. व्याय | | | | |
| क) हाथ में रोकड़ | 1,00,766 | 1,23,046 | क) स्थापना व्यय | | | | 6,86,55,117 |
| ख) बैंक शेष | - | - | ख) प्रशासनिक व्यय | | | | 7,12,34,829 |
| 1.) चालू खाते में | - | - | 2. विभिन्न योजनाओं हेतु निधियों से | स.बा.बो. योजनाएं | | | 1,94,94,638 |
| 2.) जमा खाते में | 85,00,00,000 | 78,00,00,000 | किए गये भुगतान | | उत्तर-पूर्ण | उत्तर- | 2,19,01,981 |
| 3.) बचत खाते में | 45,01,42,282 | 26,88,43,094 | | | पूर्ण | -पूर्ण | |
| 4.) जमा खाते में (प्रक्रिया शुल्क / आवेदन फार्म एवं योजना ब्राउशर खाते की लागत) | 30,00,00,000 | 22,00,00,000 | | | | | |
| | | | 1) उत्पादन एवं फसल कटाई उपरांत प्रबंधन के माध्यम से वाणिज्यिक बागवानी का विकास | | | | |
| | | | | | | | |
| 2. प्राप्त अनुदान | | | - सहायिकी | 1,7992,30,918 | 1,28,00,900 | | 1,81,20,31,818 |
| क.) भारत सरकार से | | | - विधिक एवं व्यावसायिक खर्च | 30,35,866 | - | | 1,61,61,52,349 |
| 1.) रा.बा.बो. की योजनाओं के लिए | | | | | | | 30,35,866 |
| - उत्तरी-पूर्ण राज्यों के अलावा | | | | | | | 5,17,927 |
| - राज्यों के बजट से | 2,49,43,00,000 | 2,67,60,00,000 | | | | | |
| - उत्तरी-पूर्ण राज्यों के लिए | 27,82,00,000 | 19,00,00,000 | 2) बागवानी उत्पाद के लिए शीतागारों तथा संग्रहारों के निर्माण / आधुनिकीकरण / विस्तारण के लिए पूंजी निवेश सहायिकी | | | | |
| 2.) एनएचएम की योजनाओं के लिए : | | | - रा.बा.बो. योजना | 53,66,15,321 | 3,90,83,000 | - | 57,56,98,321 |
| | | | | | | | 95,33,95,852 |

| प्राप्तियां | 2015-16 | | भूगतान | | 2016-17 | | 2015-16 | |
|---|--------------|--------------|---|----------------|--------------|------------|-------------|--------------|
| | बर्तमान वर्ष | पिछला वर्ष | | | बर्तमान वर्ष | पिछला वर्ष | | |
| - टीएसजी घटक के लिए | 3,15,00,000 | 1,20,00,000 | | | 2,69,93,765 | 38,35,264 | - | 3,08,29,029 |
| 3) एनबीएम की योजनाओं के लिए | - | 30,00,000 | 3) बागवानी के संवर्धन के लिए प्रौद्योगिकी विकास एवं हस्तांतरण | | | | - | 3,41,62,656 |
| | | | 4) बागवानी फसलों के लिए बाजार सूचना सेवा | 8,16,39,860 | | | 8,16,39,860 | 7,80,56,693 |
| 4) एमएफपीआई की योजनाओं के लिए | 4,43,09,611 | 10,19,37,475 | 5) बागवानी संवर्धन सेवाएं | 20,09,972 | - | - | 20,09,972 | 16,37,860 |
| | | | कुल | 2,44,95,25,702 | 5,57,19,164 | | 10,89,493 | 31,47,782 |
| 5.) राष्ट्रीय केंसर मिशन योजनाओं के लिए | - | 21,04,00,000 | 6) राष्ट्रीय बन्धु मिशन (समर्थन सेवाएं) | | | | | |
| ख) राज्य सरकार से | - | - | | | | | | |
| | | | 7) राष्ट्रीय बागवानी मिशन (ट्रेनिंग) | | | | 2,97,58,474 | 1,31,22,069 |
| 3. लिंगवत निवेशों पर आय | | | 8) राष्ट्रीय केंसर मिशन | | | | 7,35,10,181 | 11,02,24,436 |
| क) अधिविहिनत / संचयी निधि | - | - | 9) एमओएफपीआई | | | | 4,43,09,611 | 10,19,37,475 |
| ख) स्खामित्व निधिया (अन्य निवेश) | | | 10) एचएमएनईएच | | | | 2,147 | - |
| | | | 3. किए गये निवेश एवं जमा | | | | | |
| 4. प्राप्त व्याज | | | क) अधिविहिनत / बंदोबस्ती निधियों से | | | | | |
| क) बैंक जमा और बचत बैंक खातों के लिए | 8,86,51,435 | 9,36,51,193 | ख) स्खामित्व निधियों से (अन्य निवेश) | | | | | |
| - रा.बा.बो. निधियां | 3,00,68,401 | 2,32,17,937 | | | | | | |
| - आवेदन निधियां | 6,68,752 | 1,57,001 | | | | | | |
| - एनएएम निधियां | 72,517 | 67,898 | 4. अचल पक्षियांपत्तियाँ एवं प्रणतियां | | | | | |
| - एचएमएनईएच निधियां | 51 | 2,096 | कार्य पर पूँजीगत व्यय | | | | | |
| -एमओएफपीआई निधियां | 2,57,895 | 11,83,760 | क) अचल परिसंपत्तियों की खरीद / संवर्धन | | | | | |

| प्रक्रिया | 2016-17 | 2015-16 | | भूगतान | 2016-17 | 2015-16 |
|---|-------------|--------------|------------|--|--------------|------------|
| | | वर्तमान वर्ष | पिछला वर्ष | | वर्तमान वर्ष | पिछला वर्ष |
| -राष्ट्रीय केसर मिशन निधियां | 38,95,677 | 1,45,010 | | 1) राष्ट्रीय की क्षमताओं को सुदृढ़ करने के बजट से 2) बाजार सूचना सेवा योजना के बजट से 3) प्रणालीधन कार्य पर पूर्जीपात्र व्यय | 10,65,540 | 13,13,204 |
| ख) ऋण, अधिसमिक्षा आदि | 60,000 | 1,53,950 | | | 9,42,719 | 5,69,753 |
| 5. अल्प आय (विनिर्दित करें) | | | | | | |
| आईओबी से किराया | 1,68,180 | 1,68,180 | | | | |
| आयकर की वापिसी | 2,51,01,435 | - | | | - | - |
| आवेदन प्रपत्र और योजना ब्राउशर की लागत | 77,16,415 | 2,32,19,044 | | | | 2,57,895 |
| विविध प्राप्तिया | 3,61,409 | 4,27,783 | | | | 11,83,760 |
| जमा की गई जमानत राशि – राष्ट्रीय | 2,65,000 | 75,000 | | | | |
| जमा की गई जमानत राशि – केंसर पार्क | 20,80,000 | - | | | | |
| जीएसएलआईपी | - | 96,887 | | | | |
| | | | | | | |
| 6. उचार ली गई एवियां | - | - | | | | |
| | | | | | | |
| 7. अल्प भूगतान (लिंगिद्द) | | | | | | |
| स्टाफ को अधिसमिक्षा की गई जमानत राशि- राष्ट्रीय | | | | | | |
| क) स्टाफ अधिसमिक्षा की वसूली (व्याज सहित) | 12,03,646 | 27,68,515 | | | | |
| ख) रा.बा.बो. योजनाओं के तहत ऋण की वसूली | 90,00,000 | 15,84,050 | | | | |
| ग) रा.बा.बो. योजनाओं के अंतर्गत नेवोड बोर्ड की ओर से व्यय | | | | | | |
| विभिन्न योजनाओं के तहत लाभार्थियों | | | | | | |

| प्राप्तियां | 2015-16 | | भूगतान | | वर्तमान वर्ष | पिछला वर्ष |
|--|-------------|--------------|---|--|--------------|--------------|
| | 2016-17 | वर्तमान वर्ष | | | | |
| जिन्हे पिछले वर्ष में निधियां जारी की गई थीं से वापस प्राप्त अव्ययित निधियां | | | 8. आवेदन प्रणाली और योजना बारिश की लागत से भूगतान | | | |
| – सविदागत डाटा एंट्री आपरेटरों को भुगतान | | | – सविदागत डाटा एंट्री आपरेटरों को भुगतान | | 95,92,032 | 1,02,61,996 |
| – कौल्ड स्टोरेज संवीक्षा शुल्क | | | – कौल्ड स्टोरेज संवीक्षा शुल्क | | 30,02,220 | 33,96,806 |
| – विशेषज्ञों का यात्रा एवं परामर्शी शुल्क | | | – विशेषज्ञों का यात्रा एवं परामर्शी शुल्क | | 3,78,200 | 2,01,511 |
| – रा.बा. प्रकाशनों हेतु भुगतान | | | – रा.बा. बो. प्रकाशनों हेतु भुगतान | | 3,08,700 | 5,94,200 |
| – वेबसाइट की एएमसी | | | – वेबसाइट की एएमसी | | 19,35,000 | 9,00,000 |
| – बैंक प्रभार | | | – बैंक प्रभार | | 2,355 | 21,350 |
| – पट्टे की दुकानों के लिए भुगतान | | | – पट्टे की दुकानों के लिए भुगतान | | 4,20,666 | 31,34,730 |
| – सोलर पैनल – छत टॉप–मुख्यालय | | | – सोलर पैनल – छत टॉप–मुख्यालय | | 21,80,036 | – |
| – मरमत एवं रखरखाव – पट्टे की दुकान | | | – मरमत एवं रखरखाव – पट्टे की दुकान | | 3,54,493 | |
| 9. अंत होष | 3,33,200 | | 9. अंत होष | | | |
| क) हाथ में रोकड़ | | | क) हाथ में रोकड़ | | | |
| मुख्यालय पर | | | मुख्यालय पर | | 20,141 | |
| राबाबो–एफडीआर पर बैंक द्वारा कर्ते गए टीडीएस की वापिसी | 1,98,51,746 | | राबाबो के न्दों पर | | 89,516 | 1,00,766 |
| एफडीआर (आवेदन शुल्क) पर बैंक द्वारा कर्ते गए टीडीएस की वापिसी | 48,04,503 | | | | 69,375 | |
| 1) चालू खातों में | | | | | | |
| 2) जमा खातों में (राबाबो की अंतरिक प्रोद्भुत राशि) | | | | | | |
| | | | | | 95,00,00,000 | 85,00,00,000 |

| प्राधिकार | 2016-17 | 2015-16 | भूगतान | | वर्तमान वर्ष | 2016-17 | 2015-16 |
|-----------|---------|---------|--|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | | | वर्तमान वर्ष | पिछला वर्ष | | | |
| | | | 3) जमा खातों में (प्रक्रिया शुल्क / आवेदन प्रपत्र एवं योजना ब्राउशर की लागत) | | | 35,00,00,000 | 30,00,00,000 |
| | | | 4) बचत खातों में | | | | |
| | | | – रा.बा.बो. केन्द्रो पर – अगदाय राशि | 67,14,048 | | | |
| | | | – रा.बा.बो. केन्द्रो पर – सहायिकी राशि | | 9,88,473 | | |
| | | | – रा.बा.बो. केन्द्रो पर आवेदन प्रपत्र एवं योजना ब्राउशर की लागत | | 1,45,066 | | |
| | | | – मुख्यालय पर | | | | |
| | | | – रा.बा.बो. योजनाओं एवं अंतरिक प्रोदृश्यत हेतु | | 17,82,35,397 | | |
| | | | – आवेदन प्रपत्र एवं योजना ब्राउशर की लागत के लिए | | 5,30,78,172 | | |
| | | | – एनवीएम योजना के लिए | | 55,58,301 | | |
| | | | – एनवीएम योजना के लिए | | 10,22,872 | | |
| | | | – राष्ट्रीय केसर स्थित के लिए | | 3,25,25,400 | | |
| | | | – राष्ट्रीय दिल्ली केन्द्र पर ¹ एनएचएम योजना के लिए | | 3,41,923 | | |
| | | | – राष्ट्रीय दिल्ली केन्द्र पर ¹ एनवीएम योजना के लिए | | 24,510 | 27,86,34,161 | 45,01,42,282 |
| | | | योग | 4,68,21,50,177 | 4,65,47,40,481 | | |
| | | | | | योग | 4,68,21,50,177 | 4,65,47,40,481 |

स्थान : गुजरात
दिनांक : 15.06.2017 हस्ताक्षर :/-
प्रबंध निदेशक उप प्रबंध निदेशक
संयुक्त निदेशक (वित्त एवं लेखा)

प्राप्तियां तथा भुगतान लेखा

अनुसूची-1

वर्ष 2016-17 के लिए स्थापना व्यय

(राशि रूपयों में)

| क्र.सं. | विवरण | वर्तमान वर्ष | पिछला वर्ष |
|---------|-----------------------------|--------------------|--------------------|
| 1 | ईपीएफ बोर्ड की भागीदारी | 1,09,02,700 | 1,02,98,048 |
| 2 | ईपीएस बकाया सहित | 20,441 | - |
| 3 | छुट्टी नकदीकरण | 31,08,244 | 44,95,242 |
| 4 | छट्टी यात्रा रियायत दावे | 6,92,171 | 5,80,826 |
| 5 | चिकित्सा प्रतिपूर्ति | 55,06,926 | 69,89,356 |
| 6 | वेतन एवं भत्ते | 4,34,99,407 | 4,25,51,543 |
| 7 | कर्मचारी कल्याण | 2,99,916 | 3,52,914 |
| 8 | बोनस व अन्य भत्ता | 78,231 | 1,32,633 |
| 9 | बच्चों का शिक्षा भत्ता | 7,59,495 | 11,35,483 |
| 10 | वर्ष के दौरान प्रदत्त उपदान | 36,89,579 | 46,98,784 |
| 11 | जीएसएलआईपी | 98,007 | - |
| | कुल | 6,86,55,117 | 7,12,34,829 |

प्राप्तियां तथा भुगतान लेखा

अनुसूची-2

वर्ष 2016-17 के लिए प्रशासनिक व्यय

(राशि रूपयों में)

| क्र.सं. | विवरण | वर्तमान वर्ष | पिछला वर्ष |
|---------|--------------------------------------|--------------------|--------------------|
| 1 | विद्युत और ऊर्जा | 22,21,210 | 26,17,099 |
| 2 | बैंक प्रभार और ब्याज | 3,537 | 13,365 |
| 3 | जनरेटर चालन तथा अनुरक्षण | 6,70,967 | 6,42,802 |
| 4 | बीमा | 5,798 | 5,350 |
| 5 | मरम्मत एवं रखरखाव | 10,10,078 | 15,58,775 |
| 6 | सुरक्षा प्रभार तथा गृह-व्यवस्था व्यय | 46,79,312 | 41,06,863 |
| 7 | वाहन का चालन तथा अनुरक्षण | 3,27,693 | 2,78,736 |
| 8 | डाक, दूरभाष और संचार प्रभार | 8,18,250 | 10,71,729 |
| 9 | मुद्रण तथा स्टेशनरी | 9,34,970 | 7,20,336 |
| 10 | वाहन व यात्रा | 57,01,855 | 49,28,008 |
| 11 | समाचार पत्र एवं पत्रिकाएं | 50,021 | 46,473 |
| 12 | कार्यालय व्यय | 6,52,299 | 4,02,726 |
| 13 | बैठक / सत्कार पर व्यय | 2,17,934 | 3,17,268 |
| 14 | लेखापरीक्षकों का पारिश्रमिक / शुल्क | 5,81,897 | 1,87,065 |
| 15 | विधिक एवं व्यावसायिक प्रभार | 7,45,578 | 14,09,004 |
| 16 | विज्ञापन तथा प्रचार | 1,88,182 | 2,74,988 |
| 17 | फोटोकापी प्रभार | 5,18,440 | 4,29,607 |
| 18 | संपत्ति कर | 1,66,617 | 28,91,788 |
| | कुल | 1,94,94,638 | 2,19,01,981 |

स्थान : गुरुग्राम

दिनांक : 15.06.2017

हस्ता./-

प्रबंध निदेशक

हस्ता./-

उप प्रबंध निदेशक

हस्ता./-

संयुक्त निदेशक (वित्त एवं लेखा)

राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड, गुरुग्राम

31 मार्च, 2017 को

तुलन पत्र के अंश दर्शाती अनुसूचियां

अनुसूची 1

(राशि रूपयों में)

| समग्र/पूँजी निधि | वर्तमान वर्ष | | पिछला वर्ष |
|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| वर्ष के प्रारंभ में शेष | | | |
| क. प्रक्रियां शुल्क और आवेदन प्रपत्र लेखा के अलावा निधियों हेतु | 1,14,35,14,336 | | 94,30,05,501 |
| जोड़े / (घटाएं) आय एवं व्यय लेखों से अंतरित निवल आय / (व्यय) का शेष | 6,32,84,333 | | 20,15,86,354 |
| जोड़े : पुराने चैकों की वापिसी / (निरस्त) | (6,27,010) | | 3,33,200 |
| जोड़े : पूर्व वर्षों का वापिस प्राप्त हुआ अव्ययित / अतिशय अनुदान (केन्द्रों में) | 40,32,890 | | 59,34,912 |
| जोड़े : पूर्व वर्षों का वापिस प्राप्त हुआ अव्ययित / अतिशय अनुदान (मुख्याल में) | 3,59,64,575 | | 3,92,50,450 |
| घटाएं : भारत सरकार को वापिस की गई निधि | 10,07,40,578 | | 2,11,06,300 |
| घटाएं : आयकर वापिसी | 2,80,59,921 | | - |
| घटाएं : अन्य वसूली योग्य | 1,84,654 | | - |
| घटाएं : प्रक्रिया एवं आवेदन शुल्क से अर्जित ब्याज | 2,98,66,896 | 1,08,73,17,074 | 2,54,89,782 |
| ख. प्रक्रिया एवं आवेदन शुल्क लेखा हेतु | 36,06,18,003 | | 32,72,85,040 |
| जोड़े : आयकर वापिसी | 2,80,59,921 | | - |
| जोड़े : अन्य वसूली योग्य | 1,84,654 | | - |
| जोड़े : प्रक्रिया एवं आवेदन शुल्क से अर्जित ब्याज | 2,98,66,896 | | 2,54,89,782 |
| जोड़े / (घटाएं) आय एवं व्यय लेखों से अंतरित निवल आय / (व्यय) का शेष | (82,77,252) | 41,04,52,222 | 78,43,181 |
| वर्ष के अंत में शेष | | 1,49,77,69,296 | 36,06,18,003 |
| | | | 1,50,41,32,338 |

स्थान : गुरुग्राम

दिनांक : 15.06.2017

हस्ता./-
प्रबंध निदेशक

हस्ता./-
उप प्रबंध निदेशक

हस्ता./-
संयुक्त निदेशक (वित्त एवं लेखा)

अनुसूची 2

(राशि रूपयों में)

| आरक्षित तथा अधिशेष | वर्तमान वर्ष | पिछला वर्ष |
|-----------------------------|--------------|------------|
| 1. आरक्षित पूँजी : | | |
| पिछले लेखा के अनुसार | - | |
| वर्ष के दौरान जोड़ी गई | | |
| घटाएँ : वर्ष के दौरान कटौती | | - |
| | | |
| 2. पूर्णमूल्यांकन आरक्षित : | | |
| पिछले लेखा के अनुसार | - | |
| वर्ष के दौरान जोड़ी गई | | |
| घटाएँ : वर्ष के दौरान कटौती | | |
| | | |
| 3. विशेष आरक्षित : | | |
| पिछले लेखा के अनुसार | - | |
| वर्ष के दौरान जोड़ी गई | | |
| घटाएँ : वर्ष के दौरान कटौती | | |
| | | |
| 4. सामान्य आरक्षित : | | |
| पिछले लेखा के अनुसार | - | |
| वर्ष के दौरान जोड़ी गई | | |
| घटाएँ : वर्ष के दौरान कटौती | | |
| योग | - | - |

स्थान : गुरुग्राम

दिनांक : 15.06.2017

हस्ता./-
प्रबंध निदेशक

हस्ता./-
उप प्रबंध निदेशक

हस्ता./-
संयुक्त निदेशक (वित्त एवं लेखा)

| अधिकारित/संचयी निधि निविदियां | एनएचएम योजना | निधि-वार छोटा | | एमओएफपीआई योजना | वर्तमान वर्ष | योग | (एकीकृत रूपयों में) पिछला वर्ष |
|--|------------------|-----------------|---|--------------------|-----------------|-------------------|--------------------------------------|
| | | एनबीएम योजना | बागवानी निश्चिन उत्तरी पूर्व एवं हिमालयन याज्ञ | | | | |
| क. निधियों का प्रारंभिक शेष ख. निधियों में वृद्धि | 3,489,946 | 2,096 | 2,064,358 | 100,784,904 | - | 106,341,304 | 7,063,587 |
| 1. अनुदान / चांदे | 31,500,000 | - | 51 | - | 44,309,611 | 75,809,611 | 327,337,475 |
| 2. निधियों से आय (बचत खाते पर ब्याज) | 669,063 | 669,063 | 72,517 | 3,895,677 | 257,895 | 4,895,203 | 1,555,765 |
| 3. संगठनों से वापिस प्राप्त अव्यधित अनुदान | - | - | - | 15,000 | - | - | - |
| 4. निविदा शुल्क | - | - | - | 1,340,000 | - | 15,000 | - |
| 5. अधिसंघ धन जमा | - | - | - | - | - | 1,340,000 | - |
| योग(क + ख) | 35,659,009 | 2,147 | 2,136,875 | 106,035,581 | 44,567,506 | 188,401,118 | 335,956,827 |
| ग. निधियों के उद्देश्य के निमित्त उपयोग / व्यय | | | | | | | |
| 1. पूँजीगत व्यय : | | | | | | | |
| — अचल परिसंपत्तिया | - | - | - | - | 73,486,771 | 44,309,611 | 117,796,382 |
| — परियोजना के लिए दिया गया अनुदान | - | - | - | - | 73,486,771 | 44,309,611 | 117,796,382 |
| योग | - | - | - | - | - | - | 211,588,875 |
| 2. राजस्व व्यय : | | | | | | | |
| — वेतन, मजदूरी तथा भत्ते आदि | - | - | - | - | - | - | - |
| — शैक्षणिक खर्च — टीएसजी | 29,758,785 | - | 2,147 | 1,089,493 | 101 | - | 2,248 |
| — अन्य प्रशासनिक खर्च — एचएसपी | - | - | - | - | 23,309 | - | 904 |
| — एमएफपीआई / एचएसएनईच को वापिसी योग | 29,758,785 | 2,147 | 1,089,493 | 23,410 | 257,895 | 31,131,729 | 16,841,983 |
| कुल योग | 29,758,785 | 2,147 | 1,089,493 | 73,510,181 | 44,567,506 | 148,928,111 | 229,615,522 |
| वर्ष के अंत में शुद्ध शेष (क+ख+ग) | 5,900,224 | - | 1,047,382 | 32,525,400 | - | 39,473,007 | 106,341,305 |

स्थान : गुजरात
दिनांक : 15.06.2017

हस्ताक्षर :
उप प्रबंध निदेशक
प्रबंध निदेशक
संयुक्त निदेशक (वित्त एवं लेखा)

अनुसूची 4

(राशि रूपयों में)

| प्रतिभूत ऋण तथा उधारियां | वर्तमान वर्ष | पिछला वर्ष |
|---------------------------------|--------------|------------|
| 1. केन्द्र सरकार | - | - |
| 2. राज्य सरकार (निर्दिष्ट करें) | - | - |
| 3. वित्तीय संस्थाएं | | |
| क. सावधि ऋण | - | - |
| ख. प्रोदभूत ब्याज तथा देय | - | - |
| 4. बैंक : | | |
| क. सावधि ऋण | | |
| – प्रोदभूत ब्याज तथा देय | - | - |
| ख. अन्य ऋण (निर्दिष्ट करें) | | |
| – प्रोदभूत ब्याज तथा देय | - | - |
| 5. अन्य संस्थाएं तथा एजेंसिया | - | - |
| 6. डिवेंचर तथा बांडस | - | - |
| 7. अन्य (निर्दिष्ट करें) | - | - |
| योग | - | - |

अनुसूची 5

(राशि रूपयों में)

| अप्रतिभूत ऋण तथा उधारियां | वर्तमान वर्ष | पिछला वर्ष |
|---------------------------------|--------------|------------|
| 1. केन्द्र सरकार | | |
| 2. राज्य सरकार (निर्दिष्ट करें) | | |
| 3. वित्तीय संस्थाएं | | |
| क. सावधि ऋण | | |
| ख. प्रोदभूत ब्याज तथा देय | | |
| 4. बैंक : | | |
| क. सावधि ऋण | | |
| – प्रोदभूत ब्याज तथा देय | | |
| ख. अन्य ऋण (निर्दिष्ट करें) | | |
| – प्रोदभूत ब्याज तथा देय | | |
| 5. अन्य संस्थाएं तथा एजेंसिया | | |
| 6. डिवेंचर तथा बांडस | | |
| 7. अन्य (निर्दिष्ट करें) | | |
| योग | | |

टिप्पणी : एक वर्ष के भीतर देय राशि

अनुसूची 6

(राशि रूपयों में)

| आस्थगित क्रेडिट देयताएं | वर्तमान वर्ष | पिछला वर्ष |
|--|--------------|------------|
| क. पूँजीगत उपस्कर तथा अन्य परिसंपत्तियां के रहन द्वारा प्राप्त स्वीकृतियां | - | - |
| ख. अब्य | | |
| योग | | |

स्थान : गुरुग्राम

हस्ता./-

दिनांक : 15.06.2017

प्रबंध निदेशक

हस्ता./-

उप प्रबंध निदेशक

हस्ता./-

संयुक्त निदेशक (वित्त एवं लेखा)

अनुसूची 7

(राशि रूपयों में)

| वर्तमान देयताएं तथा प्रावधान | वर्तमान वर्ष | पिछला वर्ष | |
|--|------------------|--------------------|--------------------|
| क. वर्तमान देयताएं | | | |
| 1. स्वीकृतियां | - | | - |
| 2. विविध लेनदार : | | | - |
| क. सामान हेतु | - | - | |
| ख. अन्य | | | |
| 3. अग्रिम प्राप्ति | | | |
| 4 निम्न पर प्रोदभूत ब्याज किंतु देय नहीं | | | |
| क. प्रतिभूत ऋण / उधारियां | | - | |
| ख. अप्रतिभूत ऋण / उधारियां | - | | - |
| 5. सांविधिक देयताएं : | - | - | |
| क. अतिदेय | - | - | |
| ख. अन्य | - | - | |
| 6. अन्य वर्तमान देयताएं | 1,792,245 | | 1,768,108 |
| योग (क) | 1,792,245 | | 1,768,108 |
| ख. प्रावधान | | | |
| 1. कराधान हेतु | | | |
| 2. उपदान | 71,447,527 | | 66,493,827 |
| 3. अधिवर्षिता / पेशन | | | |
| 4. संचित छुट्टी / नकदीकरण | 57,891,853 | | 52,700,400 |
| 5. व्यापार वारंटी / दावे | | | |
| 6. अन्य-संदिग्ध ऋण | 238,810,315 | 368,149,695 | 247,870,315 |
| योग(ख) | | 368,149,695 | 367,064,542 |
| योग(क+ख) | | 369,941,940 | 368,832,650 |

स्थान : गुरुग्राम

दिनांक : 15.06.2017

हस्ता./-
प्रबंध निदेशक

हस्ता./-
उप प्रबंध निदेशक

हस्ता./-
संयुक्त निदेशक (वित्त एवं लेखा)

राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड
गुजरात

31 मार्च, 2017 को तुलन पत्र के अंश दर्शति अनुसूचियां

अनुसूची 8

(एकी रुपयों में)

| विवरण | अकल लाक | | | मूल्यहास | | | मूल्यहास | | | निवल लाक | |
|--|----------------|----------------------|--------------------|-----------------------|----------------------|--------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|------------|-----------|
| | मूल्यहास की दर | रब्द के आंश में कीमत | रब्द के दैणन वर्धन | रब्द के दैणन कठोरियां | रब्द के अंत में लागत | रब्द के प्रांश में | रब्द के दैणन कठोरियां | रब्द के अंत में कुल | रब्द के अंत में कुल | | |
| क. अनुदानों से | | | | | | | | | | | |
| (1) अचल परिसपत्तिया | | | | | | | | | | | |
| भूमि : | | | | | | | | | | | |
| क. पूर्ण स्वामित्व | 3,139,088 | - | - | - | 3,139,088 | - | - | - | - | 3,139,088 | |
| ख. पट्टा धारी | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |
| भवन : | | | | | | | | | | | |
| क. फ्रीहोल्ड भूमि पर | 10% | 22,871,006 | - | - | 22,871,006 | 17,534,238 | 533,677 | - | 18,067,915 | 4,803,091 | |
| ख. पट्टे वाली भूमि पर | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| ग. स्वामित्व पलौट/परिस्थेत्र | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| घ. भूमि के सुपरटांबे संयत मशीनरी एवं उपकरण | 10% | 162,742 | - | - | 162,742 | 123,444 | 3,930 | - | 127,374 | 35,369 | |
| वाहन | 15% | 822,181 | - | - | 822,181 | 506,375 | 47,371 | - | 553,746 | 315,807 | |
| फर्नीचर तथा जुड़नार | 10% | 16,643,789 | 303,935 | 507,451 | - | 17,455,175 | 10,404,729 | 679,672 | 920 | 11,083,481 | 6,369,855 |
| कार्यालय उपस्कर | 15% | 18,447,318 | 199,760 | 627,271 | - | 19,274,349 | 14,941,919 | 602,819 | 2,832 | 15,541,906 | 3,726,778 |
| कम्प्यूटर उपस्कर | 60% | 14,609,094 | 265,976 | 84,400 | - | 14,959,470 | 13,782,817 | 680,670 | 4,530 | 14,458,957 | 491,453 |
| | | | | | | | | | | | |

| विवरण | मूल्यहास की दर | एकल लाक | | | मूल्यहास | | | जिवल लाक | |
|----------------------------------|----------------|----------------------|----------------------|------------------------|----------------------------------|----------------------------------|------------------------|---------------------|---------------------|
| | | वर्ष के आंश में कीमत | वर्ष के वैयक्त वर्षन | वर्ष के दैहान कठोरियां | वर्ष के प्रांभ में सितारे के बाट | वर्ष के प्रांभ में सितारे के बाट | वर्ष के दैहान कठोरियां | वर्ष के अंत में कुल | वर्ष के अंत में कुल |
| विद्युत संस्थापन | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| पुरताकालय, पुरताके ⁵⁶ | 100% | 2,020,130 | 5,517 | 13,949 | - | 2,039,596 | 2,018,749 | 13,872 | - |
| ट्यूबवेल तथा जल पुर्ति | 15% | 85,040 | - | - | - | 85,040 | 84,687 | 53 | - |
| सोलर पैनल | 80% | 2,180,036 | | | | 2,180,036 | | 1,744,029 | |
| योग | 78,800,388 | 2,955,224 | 1,233,071 | - | 82,988,683 | 59,396,958 | 4,306,093 | 8,282 | 63,694,769 |
| | | | | | | | | 19,277,351 | 19,403,431 |

ख. प्रक्रिया शुल्क और आवेदन प्रपत्र तथा उकीम ब्राउहर शुल्क याहिं से

| भवन : | क. फ्रीहोल्ड भूमि पर | ख. पट्टे वाली डुकानों पर | योग | वर्तमान वर्ष का योग | पिछला वर्ष |
|-------|----------------------|--------------------------|------------|---------------------|------------|
| | 10% | 2,115,724 | - | - | 2,115,724 |
| | | 3,134,730 | - | - | 3,134,730 |
| | | | - | - | - |
| | | | 5,250,454 | 1,378,017 | 73,771 |
| | | | - | 88,239,137 | 73,771 |
| | | | 84,050,842 | 2,955,224 | 1,233,071 |
| | | | - | 60,774,975 | 4,379,863 |
| | | | 83,337,929 | 4,484,732 | 706,431 |
| | | | | 84,050,842 | 4,478,250 |
| | | | | 62,093,300 | 3,018,997 |
| | | | | 4,337,323 | 60,774,974 |
| | | | | | 23,275,869 |
| | | | | | 21,244,631 |

स्थान : गुडगांव
दिनांक : 15.06.2017

हस्ता./- हस्ता./-
उप प्रबंध निदेशक उप प्रबंध निदेशक (वित्त एवं लेखा)
संयुक्त निदेशक (वित्त एवं लेखा)

अनुसूची 9

(राशि रूपयों में)

| निर्दिष्ट/संचयी निधियों से निवेश | वर्तमान वर्ष | पिछला वर्ष |
|----------------------------------|--------------|------------|
| 1. सरकारी प्रतिभूतियां | -- | -- |
| 2. अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियां | -- | -- |
| 3. शेयर | -- | -- |
| 4. डिवेंचर तथा बंध—पत्र | -- | -- |
| 5. सहायक तथा संयुक्त उद्यम | -- | -- |
| 6. अन्य (विनिर्दिष्ट किया जाए) | -- | -- |
| योग | -- | -- |

अनुसूची 10

(राशि रूपयों में)

| अन्य निवेश | वर्तमान वर्ष | पिछला वर्ष |
|--------------------------------|--------------|------------|
| 1. सरकारी प्रतिभूतियां | -- | -- |
| 2. अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियां | -- | -- |
| 3. शेयर | -- | -- |
| 4. डिवेंचर तथा बंध—पत्र | -- | -- |
| 5. सहायक तथा संयुक्त उद्यम | -- | -- |
| 6. अन्य (विनिर्दिष्ट किया जाए) | -- | -- |
| योग | -- | -- |

स्थान : गुरुग्राम

दिनांक : 15.06.2017

हस्ता./-
प्रबंध निदेशक

हस्ता./-
उप प्रबंध निदेशक

हस्ता./-
संयुक्त निदेशक (वित्त एवं लेखा)

अनुसूची 11

(राशि रूपयों में)

| वर्तमान परिसम्पत्तियां, ऋण, अग्रिम | वर्तमान वर्ष | पिछला वर्ष |
|--|---------------|---------------|
| क. वर्तमान परिसम्पत्तियां | | |
| 1. वस्तु सूचियां : | | |
| क. भंडार एवं कल पुर्जे | 50,605 | 173,412 |
| ख. हस्तगत स्टॉप | - | - |
| ग. व्यापार में स्टॉक | - | - |
| – तैयार सामान | - | - |
| – कार्य प्रगति पर | - | - |
| – कच्चा माल | - | - |
| | 50,605 | - |
| 2. विविध देनदार : | | |
| क. 6 महीने से अधिक अवधि का बकाया | - | - |
| ख. अन्य जमा | | - |
| 3. हस्तगत नगदी शेष (चैक/ड्राफट आदि सहित) | 89,516 | 100,765 |
| 4. बैंक शेष | | |
| क. अधिसूचित बैंकों के पास : | | |
| – चालू खातों में | - | - |
| – जमा खातों में | | |
| प्रक्रिया शुल्क/आवेदन प्रपत्र व स्कीम ब्राउचर की लागत | 350,000,000 | 300,000,000 |
| रा.बा.बो. का आंतरिक प्रोद्भवन | 950,000,000 | 850,000,000 |
| – बचत खातों में (मुख्य कार्यालय) | 270,786,575 | 440,752,271 |
| – बचत खातों में – अग्रदाय खाता (केन्द्रों) | 6,714,048 | 7,071,051 |
| – बचत खाते में – सहायिकी खाता (केन्द्रों) | 988,473 | 2,124,724 |
| – बचत खाते में – आवेदन प्रपत्र एवं स्कीम ब्राउचर की लागत (केन्द्रों) | 145,066 | 1,578,634,161 |
| ख. गैर अधिसूचित बैंकों के पास : | | |
| चालू खातों में | - | - |
| – जमा खातों में | - | - |
| – बचत खातों में | - | - |
| 5. डाक घर बचत खाता | - | - |
| योग (क) | 1,578,774,282 | 1,600,416,460 |

(राशि रूपयों में)

स्थान : गुरुग्राम
दिनांक : 15.06.2017

हस्ता./-
प्रबंध निदेशक

हस्ता./-
उप प्रबंध निदेशक

हस्ता./-
संयुक्त निदेशक (वित्त एवं लेखा)

(राशि रूपयों में)

| ख. ऋण, अग्रिम तथा अन्य परिसंपत्तियां | वर्तमान वर्ष | पिछला वर्ष |
|---|----------------------|----------------------|
| 1. ऋण और अग्रिम | | |
| क. स्टाफ | 3,104,779 | 4,314,977 |
| ख. अन्य | - | - |
| ग. निकाय के समान क्रियाकलापों/उद्देश्यों में रत अन्य निकाय | - | - |
| घ. बोर्ड की योजनाओं के तहत उधार ऋण | | |
| – अच्छे माने गए तथा वसूली योग्य | - | - |
| – संदिग्ध | 208,079,681 | 217,079,681 |
| | 211,184,460 | 221,394,658 |
| 2. नकद अथवा वस्तु में अथवा प्राप्त किए जाने वाले मूल्य हेतु वसूली योग्य अग्रिम तथा अन्य राशियां | | |
| क. पूँजी खाते में | - | 184,654 |
| ख. पूर्वदत्त व्यय | 89,778 | 13,367 |
| ग. जमा व वसूली योग्य | 1,187,346 | 314,391 |
| | 1,277,124 | 512,412 |
| 3. अर्जित आयः | | |
| क. निर्दिष्ट/संचयी निधि से निवेश पर | - | - |
| ख. एफडीआर निवेश पर | | |
| प्रक्रिया शुल्क/आवेदन प्रपत्र व स्कीम ब्राउचर की लागत | 2,407,053 | 2,876,010 |
| रा.बा.बो. का आंतरिक प्रोद्भवन | 23,578,275 | 25,242,967 |
| ग. बचत खातों पर | - | - |
| घ. उधार ऋणों पर | | |
| – अच्छे माने गए तथा वसूली योग्य | - | |
| – संदिग्ध (अप्राप्त बकाया आय सहित) | 30,730,634 | 30,790,634 |
| | 56,715,962 | 58,909,611 |
| 4. बैंक द्वारा स्रोत पर कर कटोती | 36,156,396 | - |
| योग (ख) | 305,333,942 | 355,613,964 |
| योग (क+ख) | 1,884,108,225 | 1,956,030,424 |

स्थान : गुरुग्राम

दिनांक : 15.06.2017

 हस्ता./-
 प्रबंध निदेशक

 हस्ता./-
 उप प्रबंध निदेशक

 हस्ता./-
 संयुक्त निदेशक (वित्त एवं लेखा)

31 मार्च, 2017 को समाप्त वर्ष के लिए
आय तथा व्यय लेखा के अंश दर्शाती अनुसूचियाँ

अनुसूची 12

(राशि रुपयों में)

| बिक्री/सेवाओं से आय | वर्तमान वर्ष | पिछला वर्ष | | |
|--|--------------|--------------------|--------------|------------------|
| 1. बिक्री से आय : | | | | |
| क. तैयार माल की बिक्री | - | | - | |
| ख. कच्चे माल की बिक्री | - | | - | |
| ग. स्क्रेप की बिक्री | - | | - | |
| 2. सेवाओं से आय : | - | | - | |
| क. प्रक्रिया शुल्क | - | | - | |
| ख. आवेदन प्रपत्र एवं योजना ब्राउचर की लागत | 7,716,415 | | 23,219,044 | |
| घटाएँ : खर्च किया गया व्यय | (15,993,667) | (8,277,252) | (15,375,863) | 7,843,181 |
| ग. व्यावसायिक / परामर्शी सेवाएँ | - | | - | |
| घ. एजेंसी कमीशन तथा ब्रोकरेज | - | | - | |
| ड. अनुरक्षण सेवाएँ (उपकरण / संपत्ति) | - | | - | |
| च. अन्य | - | | - | |
| योग | | (8,277,252) | | 7,843,181 |

अनुसूची 13

| अनुदान/सहायिकी (प्राप्त अप्रत्यादेय अनुदान तथा सहायिकी) | वर्तमान वर्ष | पिछला वर्ष | | |
|---|----------------|-----------------------|----------------|-----------------------|
| 1. केन्द्र सरकार | | | | |
| योजनागत व्यय | | | | |
| एनएचबी बजट से | 2,54,25,00,000 | | 2,86,60,00,000 | |
| गैर योजनागत व्यय | - | | - | |
| | | 2,54,25,00,000 | | 2,86,60,00,000 |
| 2. राज्य सरकार (सरकारें) | | - | | - |
| 3. सरकारी एजेंसियाँ | | - | | - |
| 4. संस्थान / कल्याणकारी निकाय | | - | | - |
| 5. अंतर्राष्ट्रीय संगठन | | - | | - |
| 6. अन्य (निर्दिष्ट करें) | | - | | - |
| योग | | 2,54,25,00,000 | | 2,86,60,00,000 |

स्थान : गुरुग्राम

दिनांक : 15.06.2017

हस्ता./-
प्रबंध निदेशक

हस्ता./-
उप प्रबंध निदेशक

हस्ता./-
संयुक्त निदेशक (वित्त एवं लेखा)

अनुसूची 14

(राशि रूपयों में)

| शुल्क/अभिदान | वर्तमान वर्ष | पिछला वर्ष |
|-------------------------------|--------------|------------|
| 1. प्रवेश शुल्क | - | - |
| 2. वार्षिक शुल्क / अभिदान | - | - |
| 3. संगोष्ठी / कार्यक्रम शुल्क | - | - |
| 4. परामर्श शुल्क | - | - |
| 5. अन्य | - | - |
| योग | - | - |

टिप्पणी : प्रत्येक मद से संबंधित लेखाकरण नीतियों को दर्शाया जाएँ

अनुसूची 15

(राशि रूपयों में)

| निवेशों से आय (निधियों में अंतरित अभिचिन्हित / संचयी निधियों से निवेश पर आय) | अभिचिन्हित निधि से निवेश | | निवेश-अन्य | |
|--|--------------------------|------------|--------------|------------|
| | वर्तमान वर्ष | पिछला वर्ष | वर्तमान वर्ष | पिछला वर्ष |
| 1. ब्याज | | | | |
| क. सरकारी प्रतिभूतियों पर | | | - | |
| ख. अन्य बंध-पत्रों/डिबेंचरों से | | | - | |
| ग. अन्य (बैंकों में सावधिक जमा) | | | - | - |
| 2. लाभांश | | | | |
| क. शेयरों से | | | - | |
| ख. म्यूचअल फंड प्रतिभूतियों पर | | | - | |
| 3. किराया | - | - | - | - |
| 4. अन्य (विनिर्दिष्ट करें) | - | - | - | - |
| योग | - | - | - | - |
| अभिचिह्नित/संचयी निधियों में अंतरित | - | - | | |

अनुसूची 16

(राशि रूपयों में)

| रॉयल्टी, प्रकाशनों आदि से आय | वर्तमान वर्ष | पिछला वर्ष |
|------------------------------|---------------|---------------|
| 1. प्रकाशनों से आय | 19,175 | 45,463 |
| 2. रॉयल्टी से आय | - | - |
| 3. अन्य (विनिर्दिष्ट करें) | - | - |
| योग | 19,175 | 45,463 |

स्थान : गुरुग्राम

दिनांक : 15.06.2017

हस्ता./-

प्रबंध निदेशक

हस्ता./-

उप प्रबंध निदेशक

हस्ता./-

संयुक्त निदेशक (वित्त एवं लेखा)

अनुसूची 17

(राशि रूपयों में)

| अर्जित ब्याज | वर्तमान वर्ष | पिछला वर्ष |
|--|--------------------|--------------------|
| 1. मियादी जमा पर : | | |
| क. अनुसूचित बैंकों से | 82,116,035 | 89,434,205 |
| ख. गैर अनुसूचित बैंकों से | | |
| ग. संस्थानों से | | |
| घ. अन्य | | |
| | 82,116,035 | 89,434,205 |
| 2. बचत खातों पर : | | |
| क. अनुसूचित बैंकों से | 28,078,278 | 28,319,466 |
| ख. गैर अनुसूचित बैंकों से | | |
| ग. डाक घर बचत खातों से | | |
| घ. अन्य – केन्द्रों पर | | |
| | 28,078,278 | 28,319,466 |
| 3. ऋणों पर : | | |
| क. कर्मचारियों / स्टाफ से | 95,177 | 89,980 |
| ख. उदार ऋण योजना के तहत लाभार्थियों से वसूली योग्य सेवा शुल्क | | |
| ग. उदार ऋण योजना के तहत लाभार्थियों से प्राप्त किया गया सेवा शुल्क | 95,177 | 89,980 |
| 4. ऋणी तथा अन्य प्राप्ति योग्य पर ब्याज | 9,279,429 | - |
| योग | 119,568,919 | 117,843,651 |

टिप्पणी : स्रोत पर काटे गये कर को शामिल किया जाए

अनुसूची 18

(राशि रूपयों में)

| अन्य आय | वर्तमान वर्ष | पिछला वर्ष |
|---|----------------|----------------|
| 1. परिसंपत्तियों की बिक्री / निपटान पर लाभ: | | |
| क. स्वयं की परिसंपत्तियां | | |
| ख. अनुदानों से अभिग्रहित, अथवा निःशुल्क प्राप्त की गई परिसंपत्तियां | | |
| 2. प्राप्त किराया | 168,180 | 168,180 |
| 3. विविध सेवाओं के लिए शुल्क | | |
| 4. विविध आय | 133170 | 125047 |
| 5. प्राप्त हुए सेवा प्रभार | | 153,950 |
| योग | 301,350 | 447,177 |

स्थान : गुरुग्राम

दिनांक : 15.06.2017

हस्ता./-
प्रबंध निदेशक

हस्ता./-
उप प्रबंध निदेशक

हस्ता./-
संयुक्त निदेशक (वित्त एवं लेखा)

अनुसूची 19

(राशि रूपयों में)

| तैयार माल के स्टॉक में बढ़ोतरी/(कमी) तथा कार्य प्रगति पर | वर्तमान वर्ष | पिछला वर्ष |
|---|--------------|------------|
| 1. अंतिम स्टॉक | | |
| क. तैयार माल | | |
| ख. कार्य प्रगति पर | | |
| 2. घटाएँ : प्रारम्भिक स्टॉक | - | - |
| क. तैयार माल | - | - |
| ख. कार्य प्रगति पर | - | - |
| शुद्ध वृद्धि/(कमी) (1-2) | - | - |

अनुसूची 20

(राशि रूपयों में)

| स्थापना व्यय | वर्तमान वर्ष | पिछला वर्ष |
|--|-------------------|-------------------|
| क. वेतन एवं भत्ते | 43,499,407 | 42,396,676 |
| ख. अन्य भत्ते तथा बोनस | 7,036,823 | 9,019,050 |
| ग. भविष्य निधि में अंशदान | 10,894,469 | 10,271,507 |
| घ. स्टॉफ कल्याण पर व्यय | 299,124 | 404,706 |
| ड. कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति पर व्यय तथा सेवांत लाभ | 17,148,656 | 10,776,020 |
| योग | 78,878,479 | 72,867,959 |

अनुसूची 21

(राशि रूपयों में)

| अन्य प्रशासनिक व्यय | वर्तमान वर्ष | पिछला वर्ष |
|---|-------------------|-------------------|
| क. विद्युत तथा ऊर्जा | 2,172,327 | 2,666,234 |
| ख. जनरेटर चालन तथा रखरखाव | 690,967 | 642,802 |
| ग. बीमा | 19,165 | 5,350 |
| घ. मरम्मत एवं अनुरक्षण | 1,011,878 | 1,564,075 |
| ड. सुरक्षा प्रभार तथा गृह व्यवस्था पर व्यय | 4,679,312 | 4,106,863 |
| च. वाहन चालन तथा अनुरक्षण | 330,693 | 278,736 |
| छ. डाक, टेलीफोन और संचार प्रभार | 812,724 | 1,078,862 |
| ज. मुद्रण तथा स्टेशनरी | 1,057,777 | 890,363 |
| झ. यात्रा तथा वाहन व्यय | 5,704,255 | 4,944,008 |
| ज. समाचार-पत्र एवं पत्रिकाएं | 54,048 | 46,473 |
| ट. कार्यालय व्यय | 687,403 | 516,096 |
| ठ. बैठक / सत्कार संबंधी व्यय | 222,934 | 317,268 |
| ड. लेखापरीक्षकों का पारिश्रमिक / शुल्क | 581,897 | 187,065 |
| ढ. विधिक एवं व्यावसायिक प्रभार | 745,578 | 904,753 |
| ण. विज्ञापन और प्रचार | 188,182 | 274,988 |
| त. फोटोकॉपी प्रभार | 518,440 | 429,607 |
| थ. अचल परिसंपत्तियों एमआईसी की बिक्री पर हानि | - | 1,904 |
| द.. संपत्ति कर | 166,617 | 2,891,788 |
| योग | 19,644,197 | 21,747,235 |

स्थान : गुरुग्राम

दिनांक : 15.06.2017

 हस्ता./-
 प्रबंध निदेशक

 हस्ता./-
 उप प्रबंध निदेशक

 हस्ता./-
 संयुक्त निदेशक (वित्त एवं लेखा)

अनुसूची 22

(राशि रूपयों में)

| अनुदानों, सहायिकी आदि पर व्यय | वर्तमान वर्ष | पिछला वर्ष |
|---|----------------------|----------------------|
| क. संस्थानों / संगठनों को दिए गए अनुदान | | - |
| ख. संस्थानों / संगठनों को दी गई सहायिकी (उत्तरपूर्वी राज्यों के अलावा हेतु) | | |
| 1) व्यावसायिक बागवानी का विकास (सहायिकी) | 1,799,230,918 | 1,601,356,382 |
| — उदार ऋण योजना के तहत कानूनी मामलों हेतु विविध व्यय | 3,035,866 | 996,077 |
| 2) कोल्ड स्टोरेज हेतु पूँजीगत निवेश सहायिकी | 536,615,321 | 895,340,852 |
| 3) बागवानी हेतु प्रोटोटाइप विकास / संवर्धन | 26,993,765 | 32,240,879 |
| 4) बागवानी फसलों हेतु बाजार सूचना सेवा | 81,654,029 | 78,066,813 |
| 5) बागवानी संवर्धन सेवाएं | 2,009,972 | 1,637,860 |
| व्यय (उत्तर पूर्वी राज्यों सिक्किम सहित हेतु) | | |
| 1) व्यावसायिक बागवानी का विकास (सहायिकी) | 12,800,900 | 14,795,967 |
| 2) कोल्ड स्टोरेज हेतु पूँजीगत निवेश सहायिकी | 39,083,000 | 58,055,000 |
| 3) बागवानी हेतु प्रोटोटाइप विकास / संवर्धन | 3,835,264 | 2,397,777 |
| योग | 2,505,259,035 | 2,684,887,607 |

टिप्पणी : निकायों के नाम, उनके क्रियाकलापों तथा अनुदान/सहायिकी राशि को प्रकट किया जाए। राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड की योजनाओं के प्रचालन दिशानिर्देशों के अनुसार, पात्र संगठन इस प्रकार से हैं :—

जब तक अन्यथा विनिर्दिष्ट न हो, संगठनों/प्रोमोटरों, जैसे उत्पादकों का एसोसिएशन, व्यक्तिगत, कृषक उत्पादकों/उपभोक्ताओं का समूह, कृषक उत्पादक संगठनों (एफपीओ), साझेदारी/स्वामित्व फर्म, स्वतः सहायता समूहों (एसएचजीओ), गैर सरकारी संगठनों (एनजीओ), कम्पनियां, निगमों, सहकारिताओं, सहकारिता विपणन फैडरेशन, कृषि उत्पाद विपणन समितियां, विपणन बोर्ड/समितियां, नगर निगमों/कमेटियां, एग्रो-इंडस्ट्रीज कॉरपोरेशनों, एसएयू(ओ) और अन्य संबंधित आर एंड डी संगठनों रा.बा.बो. की सभी योजनाओं के अंतर्गत सहायता प्राप्त करने के लिए पात्र है।

प्रत्येक गतिविधि में वितरित की गई सहायिकी को उपरोक्त अनुसूची सं 22 में दर्शाया गया है। लाभार्थी—वार विवरण अलग पुस्तिका में उपलब्ध है। रा.बा.बो. की योजनाओं के अतिरिक्त, रा.बा.बो. एनएचएम, एनबीएम, एमओएफपीआई योजनाओं और केसर मिशन के विशेष घटकों को भी क्रियान्वित करता है।

अनुसूची 23

(राशि रूपयों में)

| ब्याज | वर्तमान वर्ष | पिछला वर्ष |
|--------------------------------------|--------------|----------------|
| क. स्थायी ऋणों पर | - | - |
| ख. अन्य ऋणों पर (बैंक प्रभारों सहित) | 3,537 | 12,069 |
| ग. अन्य (विनिर्दिष्ट करें) | - | 216,070 |
| योग | 3,537 | 228,139 |

स्थान : गुरुग्राम

दिनांक : 15.06.2017

हस्ता./-
प्रबंध निदेशक

हस्ता./-
उप प्रबंध निदेशक

हस्ता./-
संयुक्त निदेशक (वित्त एवं लेखा)

राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड

31 मार्च, 2017 को समाप्त अवधि हेतु लेखे का भाग होने वाली अनुसूचियां

अनुसूची 24 - महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां

1. लेखांकन परिपाठी

वित्तीय विवरणों को जब तक अन्यथा घोषित नहीं किया जाए, ऐतिहासिक लागत परिपाठी तथा लेखांकन की प्रोद्भवन प्रणाली के आधार पर तैयार किया गया है।

2. वर्तु सूचियों का मूल्यांकन

भंडार, कलपुर्जो (मशीनरी कलपुर्जो सहित) तथा स्टेशनरी वस्तुओं को लागत पर मूल्यांकित किया गया है।

3. उत्पाद शुल्क

लागू नहीं

4. अचल परिसंपत्तियां

अचल परिसंपत्तियों को लेखे में ऐतिहासिक लागत घटा मूल्यहास पर दर्शाया जाता है।

5. मूल्यहास

- (क) मूल्यहास को आयकर अधिनियम, 1961 के उपबंधों के अनुसार कम मूल्य लिखे जाने की पद्धति पर मुहैया करवाया गया है।
- (ख) वर्ष के दौरान अचल परिसंपत्तियों में वर्धन/कटौतियों के संबंध में मूल्यहास आयकर अधिनियम, 1961 के प्रावधानों के अनुसार मुहैया करवाया गया है।

6. सरकारी अनुदान/सहायिकी

भारत सरकार के कृषि, सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग से प्राप्त सहायता—अनुदान को प्राप्ति के आधार पर लेखांकित किया जाता है।

विभिन्न योजनाओं, एनएचबी योजनाओं को छोड़कर, के अंतर्गत सरकार से प्राप्त सहायता—अनुदान को निर्दिष्ट निधियों में दर्ज किया गया है।

7. विदेशी मुद्रा लेन-देन

विदेशी मुद्रा लेन—देन को, तत्संबंधी लेन—देन की तारीख को प्रचलित विनिमय दरों पर दर्ज किए गए हैं।

8. सेवानिवृत्ति हितलाभ

- क) कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति/मृत्यु पर देय उपदान संबंधी प्रावधान का प्रोद्भवन आधार पर लेखांकित किया गया है।
- ख) कर्मचारियों को संचयित छुट्टी के नकदीकरण लाभ संबंधी प्रावधान को प्रोद्भूत किया गया है तथा उसे यह मानकर परिकल्पित किया गया है कि प्रत्येक वर्ष के अंत में कर्मचारी इस लाभ को प्राप्त करने के हकदार होंगे।

9. राजस्व मान्यता

- (क) एफडीआर पर ब्याज, ऋणों तथा अग्रिमों पर सेवा प्रभार जैसी आय को प्रोद्भवन आधार पर लेखांकित किया गया है ।
- (ख) विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत अप्रयुक्त शेषों को जब और जैसे प्राप्त होने पर लेखांकित किया गया है ।
- (ग) विभिन्न योजनाओं के तहत सहायता/सहायिकी के लिए जारी राशि को जारी किए जाने के वर्ष के दौरान व्यय के रूप में दर्शाया गया है तथा वर्तमान वर्ष के दौरान पिछले वर्षों की वापस की गई अप्रयुक्त धनराशि को समग्र/पूंजी निधि में दर्ज किया गया है ।
10. माह मार्च, 2017 के लिए वेतन एवं भत्तों के प्रावधान को लेखें में नहीं किया है, क्योंकि यह अगले वर्ष में देय हैं।

स्थान : गुरुग्राम

दिनांक : 15.06.2017

हस्ता./-
प्रबंध निदेशक

हस्ता./-
उप प्रबंध निदेशक

हस्ता./-
संयुक्त निदेशक (वित्त एवं लेखा)

राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड

31 मार्च, 2017 को समाप्त अवधि हेतु लेखे का भाग होने वाली अनुसूचियां

अनुसूची 25 – आकस्मिक देयताएं तथा लेखे पर टिप्पणियां

1. आकस्मिक देयताएं

- 1.1 निकाय के प्रति दावों जिन्हें ऋणों के रूप में स्वीकार नहीं किया गया है – रुपये शून्य (पिछले वर्ष रुपये शून्य)
- 1.2 निम्न के मामले में –
 - निकाय की ओर से/द्वारा दी गई बैंक गारंटीयां – रुपये शून्य (पिछले वर्ष रुपये शून्य)
 - निकाय की ओर से बैंक द्वारा खोले गए साख-पत्र – रुपये शून्य (पिछले वर्ष रुपये शून्य)
 - बैंकों के साथ छूट दिए गए बिल – रुपये शून्य (पिछले वर्ष रुपये शून्य)
- 1.3 निम्न के संबंध में विवादित मांगे:
 - बिक्री कर रुपये शून्य (पिछले वर्ष रुपये शून्य)
 - नगर निगम कर रुपये शून्य (पिछले वर्ष रुपये शून्य)
- 1.4 आदेशों के गैर-निष्पादन के लिए पक्षों द्वारा किए गए दावे, परंतु जिनका निकाय द्वारा प्रतिवाद किया जा रहा है – रुपये शून्य (पिछले वर्ष रुपये शून्य)

2. पूँजीगत प्रतिबद्धताएं

पूँजीगत लेखे पर निष्पादन हेतु शेष संविदाओं का अनुमानित मूल्य जिनके लिए प्रावधान नहीं किया गया है। (अग्रिम का निवल) – रुपये शून्य (पिछले वर्ष रुपये शून्य)

3. पट्टा बाध्यताएं

संयंत्र तथा मशीनरी के लिए वित्त पट्टा व्यवस्थाओं के अंतर्गत किरायों के लिए भविष्य की बाध्यताएं – रुपये शून्य (पिछले वर्ष रुपये शून्य)

4. वर्तमान परिसंपत्तियां, ऋण तथा अग्रिम

प्रबंधन के मतानुसार व्यापार के सामान्य रूप में वर्तमान परिसंपत्तियां, ऋणों तथा अग्रिमों का वसूली मूल्य, तुलन-पत्र में दर्शाई गई समग्र राशि के समतुल्य है।

5. कराधान

निर्धारण वर्ष 2008–09 तक के लिए राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड (रा.बा.बो.) को केन्द्र सरकार ने आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 10 (23सी) (iv) के अंतर्गत अधिसूचित किया है। निर्धारण वर्ष 2009–10 से 2010–11 तक के लिए राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड ने आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 10(23सी) (iv) के अंतर्गत छूट अवधि को बढ़ाने के लिए आयकर प्राधिकारियों के पास आवेदन दायर किया गया, परन्तु मुख्य आयकर आयुक्त (सीसीआईटी) द्वारा इसे अस्वीकार कर दिया गया। बोर्ड ने मुख्य आयकर आयुक्त के आदेशों के विरुद्ध पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय, चंडीगढ़ में एक रिट याचिका दायर की है। मामले में माननीय उच्च न्यायालय का निर्णय प्रतिक्षित है।

राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड ने दिनांक 16–04–2010 को निर्धारण वर्ष 2011–12 से 2013–14 तक के लिए आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 10(23सी) (iv) के अंतर्गत छूट प्रदान करने के लिए सीसीआईटी, पंचकूला, हरियाणा को आवेदन किया गया था। सीसीआईटी ने आदेश दिनांक 26–04–2011 के तहत राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड के उपरोक्त आवेदन को अस्वीकार कर दिया था। राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड ने उपर्युक्त आदेश के विरुद्ध माननीय पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय, चण्डीगढ़ में रिट याचिका दायर की है। माननीय न्यायालय ने सीसीआईटी को निर्देश दिया है कि इस संबंध में प्रस्तुत किए गए प्रलेखों के मद्दनेजर प्रार्थी के आवेदन पर पुनर्निर्णय करें। इस मामले में सीसीआईटी से अभी तक कोई भी निर्णय प्राप्त नहीं हुआ है।

रा.बा.बो. ने दिनांक 31–03–2014 को सीसीआईटी, पंचकूला, हरियाणा के पास भी अधिनियम, 1961 की धारा 10 (23सी) (iv) के अंतर्गत रा.बा.बो. को छूट प्रदान करने के लिए निर्धारण वर्ष 2014–15 और उससे आगे के लिए आवेदन दायर किया था, परन्तु इसे मुख्य आयकर आयुक्त (सीसीआईटी) द्वारा अस्वीकार कर दिया गया। राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड ने सीसीआईटी द्वारा जारी किए गए आदेश के विरुद्ध माननीय पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय, चण्डीगढ़ में रिट याचिका दायर की है। माननीय उच्च न्यायालय से मामले में निर्णय की प्रतीक्षा है।

बोर्ड, आयकर अधिनियम की धारा 12एए के अंतर्गत आयकर प्राधिकारियों के साथ पंजीकृत भी है।

निर्धारण अधिकारी द्वारा वित्तीय वर्ष 2008–09 (निर्धारण वर्ष 2009–10 से संबद्ध) की निर्धारण गतिविधियों के दौरान आवेदन सह ब्राउचर शुल्क से अर्जित प्राप्तियों को गैर–धर्मार्थ गतिविधि के रूप में माना गया और रा.बा.बो द्वारा प्राप्त की गई आवेदन सह ब्राउचर शुल्क पर ₹ 98,96,505/- का कर लगाया गया। रा.बा.बो. ने इसे प्रतिवाद के तहत जमा किया था। रा.बा.बो. ने निर्धारण अधिकारी के आदेश के खिलाफ अपील दायर की। आयकर अपीलीय न्यायाधिकरण (आईटीएटी), नई दिल्ली ने रा.बा.बो. के पक्ष में अपील पर निर्णय लिया है। तदनुसार, ₹ 1,26,18,040/- (टैक्स जमा ₹ 98,96,505/- तथा ब्याज ₹ 27,21,535/-) की धन वापिसी वर्ष के दौरान आयकर प्राधिकारियों से प्राप्त हुई है। तथापि, आयकर विभाग ने आईटीएटी के आदेश के खिलाफ माननीय पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय, चण्डीगढ़ में अपील दायर की है। इस निर्णय की अभी प्रतीक्षा है।

निर्धारण अधिकारी द्वारा वित्तीय वर्ष 2009–10 (निर्धारण वर्ष 2010–11 से संबद्ध) की निर्धारण गतिविधियों के दौरान आवेदन सह ब्राउचर शुल्क से अर्जित प्राप्तियों को गैर–धर्मार्थ गतिविधि के रूप में माना गया और रा.बा.बो द्वारा प्राप्त की गई आवेदन सह ब्राउचर शुल्क पर ₹ 1,52,04,930/- का कर लगाया गया। रा.बा.बो. ने इसे प्रतिवाद के तहत जमा किया था। रा.बा.बो. ने निर्धारण अधिकारी के आदेश के खिलाफ अपील दायर की। आयकर अपीलीय न्यायाधिकरण (आईटीएटी), नई दिल्ली ने रा.बा.बो. के पक्ष में अपील पर निर्णय लिया है। तदनुसार, ₹ 1,75,61,690/- (टैक्स जमा ₹ 1,52,04,930/- तथा ब्याज ₹ 23,56,760/-) की धन वापिसी वर्ष के दौरान आयकर प्राधिकारियों से प्राप्त हुई है। तथापि, आयकर विभाग ने आईटीएटी के आदेश के खिलाफ माननीय पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय, चण्डीगढ़ में अपील दायर की है। इस निर्णय की अभी प्रतीक्षा है।

निर्धारण अधिकारी द्वारा वित्तीय वर्ष 2010–11 (निर्धारण वर्ष 2011–12 से संबद्ध) की निर्धारण गतिविधियों के दौरान आवेदन सह ब्राउचर शुल्क से अर्जित प्राप्तियों को गैर–धर्मार्थ गतिविधि के रूप में माना गया और रा.बा.बो द्वारा प्राप्त की गई आवेदन सह ब्राउचर शुल्क पर ₹ 76,99,700/- का कर लगाया गया। वित्तीय वर्ष 2010–11 के दौरान रा.बा.बो. की सावधि जमा पर इंडियन ओवरसीज बैंक, राबाबो शाखा, गुरुग्राम द्वारा टीडीएस राशि ₹ 80,72,944/- को पहले ही काट लिया गया था। आयकर अपीलीय न्यायाधिकरण

(आईटीएटी), नई दिल्ली ने रा.बा.बो. के पक्ष में अपील करने का निर्णय लिया है। तदनुसार, रु0 99,40,710/- (ब्याज सहित) की धन वापिसी वर्ष के दौरान आयकर प्राधिकारियों से प्राप्त हुई है। तथापि, आयकर विभाग ने आईटीएटी के आदेश के खिलाफ माननीय पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय, चण्डीगढ़ में अपील दायर की है। इस निर्णय की अभी प्रतीक्षा है।

निर्धारण अधिकारी द्वारा वित्तीय वर्ष 2011–12 (निर्धारण वर्ष 2012–13 से संबद्ध) की निर्धारण गतिविधियों के दौरान आवेदन सह ब्राउचर शुल्क से अर्जित प्राप्तियों को गैर-धर्मार्थ गतिविधि के रूप में माना गया और रा.बा.बो द्वारा प्राप्त की गई आवेदन सह ब्राउचर शुल्क पर रु0 21,81,917/- का कर लगाया गया। वित्तीय वर्ष 2011–12 के दौरान रा.बा.बो. की सावधि जमा पर इंडियन ओवरसीज बैंक, राबाबो शाखा, गुडगांव द्वारा टीडीएस राशि रु0 80,44,928/- को पहले ही काट लिया गया था। रा.बा.बो. ने निर्धारण अधिकारी के आदेश के खिलाफ एक अपील दायर की है। आयकर (अपील) आयुक्त ने राबाबो के पक्ष में अपील करने का निर्णय लिया है। तदनुसार, रु0 92,51,660/- (ब्याज सहित) की धन वापिसी वर्ष के दौरान आयकर प्राधिकारियों से प्राप्त हुई है।

निर्धारण अधिकारी द्वारा वित्तीय वर्ष 2012–13 (निर्धारण वर्ष 2013–14 से संबद्ध) की निर्धारण गतिविधियों के दौरान आवेदन सह ब्राउचर शुल्क से अर्जित प्राप्तियों एवं इसके ब्याज को गैर-धर्मार्थ गतिविधि के रूप में माना गया और रा.बा.बो द्वारा प्राप्त की गई आवेदन सह ब्राउचर शुल्क पर रु0 38,92,965/- का कर लगाया गया। वित्तीय वर्ष 2012–13 के दौरान रा.बा.बो. की सावधि जमा पर इंडियन ओवरसीज बैंक, राबाबो शाखा, गुडगांव द्वारा टीडीएस राशि रु0 85,38,370/- को पहले ही काट लिया गया था। रु0 67,59,816/- (ब्याज सहित) की धन वापिसी वर्ष के दौरान आयकर प्राधिकारियों से प्राप्त हुई है। तथापि, टीडीएस राशि रु0 29,05,197/- आयकर प्राधिकारियों के पास अभी तक बकाया है जिसके लिए राबाबो ने आयकर (अपील) आयुक्त के पास एक अपील दायर की है। इस निर्णय की अभी प्रतीक्षा है।

निर्धारण अधिकारी ने आयकर अधिनियम 1961 की धारा 143(2) के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2013–14 (निर्धारण वर्ष 2014–15) हेतु नोटिस जारी किया है और आयकर राशि रु0 3,15,54,236/- आंकी गई थी। तदनुसार, टीडीएस राशि रु0 87,95,725/- के समायोजन के पश्चात राशि रु0 12,95,290/- की मांग की गई थी जिसे वित्तीय वर्ष 2013–14 के दौरान राबाबो के सावधि जमा के ब्याज पर इंडियन ओवरसीज बैंक, राबाबो शाखा, गुडगांव द्वारा पहले ही काट लिया गया था। राबाबो ने उक्त आदेश के खिलाफ आयकर (अपील) आयुक्त के पास एक अपील दायर की है। इस निर्णय की अभी प्रतीक्षा है।

राबाबो ने वित्तीय वर्ष 2014–15 (निर्धारण वर्ष 2015–16 से संबद्ध) के लिए शून्य आय की आयकर रिटर्न दायर की है जिसमें रु0 73,00,450/- की धन वापिसी का दावा किया गया है जो वित्तीय वर्ष 2014–15 के दौरान राबाबो के सावधि जमा के ब्याज पर इंडियन ओवरसीज बैंक, राबाबो शाखा, गुडगांव द्वारा काट लिया गया था। यह आयकर प्राधिकारियों से अभी वापिस होना है।

राबाबो ने वित्तीय वर्ष 2015–16 (निर्धारण वर्ष 2016–17 से संबद्ध) के लिए शून्य आय की आयकर रिटर्न दायर की है जिसमें रु0 89,43,420/- की धन वापिसी का दावा किया गया है जो वित्तीय वर्ष 2015–16 के दौरान राबाबो के सावधि जमा के ब्याज पर इंडियन ओवरसीज बैंक, राबाबो शाखा, गुडगांव द्वारा काट लिया गया था। यह आयकर प्राधिकारियों से अभी वापिस होना है।

वित्तीय वर्ष 2016–17 (निर्धारण वर्ष 2017–18 से संबद्ध) के दौरान राबाबो के सावधि जमा के ब्याज पर इंडियन ओवरसीज बैंक, राबाबो शाखा, गुडगांव द्वारा टीडीएस राशि रु0 82,11,604/- का काट लिया गया है जोकि आयकर प्राधिकारियों के पास आयकर रिटर्न दाखिल करते समय वापिसी के रूप में दावायोग्य है।

6. विदेशी मुद्रा लेन-देन

- 6.1 सीआईएफ के आधार पर परिकल्पित आयातों का मूल्य
- तैयार माल की खरीद शून्य
 - कच्चा माल तथा घटक (अंतरण अधीन सहित) शून्य
 - पूंजीगत वस्तुएं शून्य
 - भंडार, कलपुर्ज तथा उपभोज्य शून्य
- 6.2 विदेशी मुद्रा में व्यय
- क. यात्रा व्यय ₹ 5,31,474 /—
- ख. वित्तीय संस्थानों/बैंकों को विदेशी मुद्रा में प्रेषित धनराशि तथा ब्याज का भुगतान
- ग. प्रौद्योगिकी जागरूकता हेतु मशीनरी की खरीद संबंधी भुगतान शून्य
- घ. अन्य व्यय:
- बिक्री पर कमीशन शून्य
 - विधिक तथा व्यावसायिक व्यय शून्य
 - विविध व्यय शून्य
- 6.3 आय
- एफओबी आधार पर निर्यातों का मूल्य शून्य
- 6.4 लेखापरीक्षकों को पारिश्रमिक:
- लेखापरीक्षा शुल्क के रूप में शून्य
 - जेब खर्ची व्यय शून्य
 - कराधान मामले शून्य
 - अन्य शून्य
7. प्रक्रिया शुल्क/आवेदन प्रपत्र व स्कीम बाउचर की लागत के कारण संचयी निधि और प्रक्रिया शुल्क/आवेदन प्रपत्र एवं स्कीम बाउचर की लागत से सृजित स्थाई परिसंपत्तियों पर खर्च किए गए व्यय को बोर्ड के वार्षिक लेखों में अलग से दर्शाया गया है।
8. सिविल मुकदमा दाखिल किए जाने के वर्ष से दाखिल उदार ऋण मामले में सेवा प्रभार का प्रावधान नहीं किया जाता है। तथापि, मुकदमा किए गए उन मामलों के संबंध में वसूली की सीमा तक सेवा प्रभार लगाया गया है जिसमें संबंधित अवधि के दौरान राशि वसूल की गई है।
9. उन उदार ऋण मामलों की वसूली के समायोजन संबंधी, रा.बा.बो. की पद्धति के अनुसार, जिनमें वसूली की एकमुश्त राशि जो मूलधन राशि और देय सेवा प्रभारों से कम है, रा.बा.बो. वसूली की राशि को पहले सेवा प्रभारों में और बाकी की राशि को मूलधन राशि में समायोजित करता है।
- तथापि, वर्ष के दौरान एक सॉफ्ट लोन मामले में ₹ 90,60,000/- की राशि प्राप्त हुई थी, माननीय उच्च न्यायालय के निर्देशों के अनुसार जिसमें से ₹ 90,00,000/- की राशि मूलधन और शेष ₹ 60,000/- की राशि सेवा प्रभार के रूप में प्राप्त हुई थी। तदनुसार, लेखा बहियों में इसको समायोजित किया गया है।
10. लाभार्थियों द्वारा देयों के विलंब से किए जाने वाले भुगतानों के संबंध में लेखे में दंडात्मक ब्याज का प्रावधान नहीं किया गया है। इसे प्राप्ति के आधार पर लेखांकित किया जाता है।

11. उदार ऋणों की वसूली के लिए बोर्ड ने चूककर्ता ऋणियों के खिलाफ सिविल मुकदमे दायर किए हैं। 31. 03.2017 तक संदिग्ध ऋणों के लिए 23,88,10,315/- रुपये की राशि का प्रावधान किया गया है।
12. सिविल मुकदमा दाखिल किए गए मामलों में न्यायालय शुल्क, यदि कोई हो, को व्यय लेखा से भुगतान आधार पर घटाया गया है।
13. पिछले वर्ष के लिए तदनुरूपी आंकड़ों को, जहां आवश्यक समझा गया है, पुनः वर्गीकृत/पुनः व्यवस्थित किया गया है।
14. आंकड़ों को निकटतम रूपए में पूर्णांकित किया गया है।
15. 31 मार्च, 2017 तक के तुलन-पत्र तथा उस तिथि को समाप्त वर्ष के लिए आय एवं व्यय लेखा तथा प्राप्ति एवं भुगतान लेखा के साथ संलग्न 1 से 25 तक अनुसूचियां, इसका एक एकीकृत भाग है।

स्थान : गुरुग्राम

दिनांक : 15.06.2017

हस्ता./-
प्रबंध निदेशक

हस्ता./-
उप प्रबंध निदेशक

हस्ता./-
संयुक्त निदेशक (वित्त एवं लेखा)

CONTENTS

PREFACE

1. THE ORGANIZATION

- 1.1 Vision and Mission
- 1.2 Objectives

2. SET UP

- 2.1 Board of Directors
- 2.2 Managing Committee of NHB

3. RESOURCES

- 3.1 Our People
- 3.2 Our Network
- 3.3 Our Infrastructure

4. FUNDING

5. SCHEMES/PROGRAMMES

5.1 Development of Commercial Horticulture through Production and Post-Harvest Management

- 5.1.1 Open Field Cultivation
- 5.1.2 Protected Cultivation
- 5.1.3 Primary Processing Units
- 5.1.4 Production Cluster

5.2 Capital Investment Subsidy Scheme for Construction/Expansion/ Modernization of Cold Storages and Storages for Horticulture Products

- 5.2.1 Description of components and Pattern of Assistance
- 5.2.2 Achievements

5.3 Technology Development and Transfer for Promotion of Horticulture

- 5.3.1 Components & Pattern of Assistance
- 5.3.2 Achievements
- 5.3.3 Accreditation and Rating Of Fruit & Vegetable Nurseries

5.4 Market Information Service for Horticulture Crops

- 5.4.1 Objectives
- 5.5 Horticulture Promotion Services/Expert Services and Strengthening Capability of NHB

6 HIGHLIGHTS - Year 2016-17

- 6.1 Promotion of Commercial Horticulture
- 6.2 Creation of Cold Storage Capacity
- 6.3 Technology Development and Transfer for Promotion of Horticulture
- 6.4 Nursery Accreditation Status
- 6.5 Progress under Saffron Park Project
- 6.6 Solar Energy Power Grid System
- 6.7 Support services to schemes of MIDH and MoFPI

ANNEXURE

- I. Objectives of the National Horticulture Board
- II. List of Board of Directors of the National Horticulture Board as on 31.03.2017
- III. Staff position as on 31.03.2017
- IV. List of Unit/ Branch offices of the National Horticulture Board along with their complete address
- V. List of NHB Publications
- VI. Annual Accounts of the Board for the year2016-17

PREFACE

India's horticulture production with about 286 million tons during 2015-16 has not only brought prosperity to small and marginal farmers, but also provided food and nutritional security to the Nation. Ranked as the second largest producer of Fruits & Vegetables in the world, horticulture in India has today emerged as one of the most important and vibrant part of Indian agriculture. NHB's contribution in this has been multidimensional: by providing support to the farmers and entrepreneur to face challenges of globalised markets with improved quality production, post harvest management and value addition through its broad based entrepreneur driven innovative schemes since the year 1999-2000.

After the launch of Mission for Integrated Development of Horticulture (MIDH) in the year 2014, it became imperative for NHB to re-position itself and assume a new role to accelerate planned development of Commercial Horticulture Sector. To achieve this, schemes of NHB have been modified to generate synergy with other sub-schemes of MIDH and fulfill the aim of development of horticulture sector by removal of overlap. It is noticeable that while a number of existing scheme components continued to be operational with necessary modifications, the Government has approved higher level of subsidy of 40 % for open field cultivation and 50% for protected cultivation to maintain parity with the schemes of NHM under MIDH, under new Operational Guideline effective from 1st April, 2014.

The schemes of the Board have helped in creating success stories in commercial horticulture and setting up of horticulture production hubs. It has attracted private- investment and primary sector lending in respect of production and post harvest management of fruits & vegetables, primary processing and hi-tech Floriculture having export potential and good demand in domestic market too.

2016-17 has been another eventful year for NHB. Some of the highlights of the development during the year includes establishment of 1092 numbers of commercial horticulture project in an area of 3045.92 hectare (open field condition and protected condition), creation 1,88,897 MT capacity of cold storage, 107 pack house/grading packing line/pre-cooling units, ripening chambers and refer vans, 131 primary processing units, 340 nos. of fruits & vegetables nurseries accredited.

The vision of Government on doubling of farmers income by 2022 and focus on diversification will be guiding the National Horticulture Board in days to come.

During the year the Board has continued with its series of Horticulture Fairs named as "Horti-Sangam" which was introduced during the 11th Plan Period with multiple objectives of capacity building among producer farmers to have enhanced productivity with higher percentage of quality fruits, adopt protocols for post harvest management of fresh horticulture produce, its packaging and transport and direct market access in nontraditional consumption centers for the purpose of product promotion and market development. Accordingly, two Inter-State Horti. Sangam were held during 2016-17.

During the year 2016-17, Board has assisted 1357 projects of commercial horticulture and released subsidy to the tune of Rs. 18150.68 lakh. In addition, the Board has released financial assistance of Rs. 5758.98 lakh for projects relating to Cold storages and Specialized Storages for creation of

1,88,897 MT capacity, Rs. 308.29 lakh for various activities relating to Technology Development & Transfer, Rs. 825.83 lakh for Market Information Schemes and Rs. 914.65 lakh for Horticulture Promotion Service & Strengthening/Capabilities of NHB.

In order to have Economic Revival of J&K Saffron Sector, Ministry of Agriculture and Farmers Welfare, Government of India, has approved a National Saffron Mission (NSM) Programme. The components of Quality Testing and Marketing under the said programme are to be implemented by NHB, which are likely to be put in place before 2017.

The stated achievements of the Board in the field of Horticulture Development would not have been possible without the able guidance of the Board of Directors of NHB and the Managing Committee, for which I am grateful to Shri Radha Mohan Singh, Hon'ble Union Minister for Agriculture and Farmers Welfare & President of the Board, Shri Parshottam Rupala, Hon'ble Minister of State for Agriculture and Vice President of the Board and all the Members of Board of Directors of NHB. I am especially thankful to Shri S. K. Pattanayak, Secretary (AC&FW) & Chairman of Managing Committee & all the Members of the Managing Committee for their regular guidance and support. I also place on record the excellent support rendered by the team of officers and staff of NHB in achieving the goals.

(Dinesh Kumar)
Managing Director

1. The Organization

- National Horticulture Board (NHB) was set up by Government of India in April 1984 on the basis of recommendations of the "Group on Perishable Agricultural Commodities", headed by Dr M. S. Swaminathan, the then Member (Agriculture), Planning Commission, Government of India. The NHB is registered as a Society under the Societies Registration Act 1860, with its headquarters at Gurugram.

1.1. Vision and Mission

Vision

* Recognizing the fact that the Commercial Horticulture provides not only food and nutritional security but also paves the way for crop diversification for better economic gain and risk mitigation for the farmers: the need for promoting this sector by concerted efforts for private investment through commercial horticulture projects, has been visualized.

* This sector includes area expansion under commercial horticulture projects in clusters; post harvest management related infrastructure combined with public and private sector initiatives of technology development and transfer, product promotion, marketing & export.

* With this vision, National Horticulture Board is striving to accelerate the process of the development of commercial horticulture in potential clusters by organizing the producer farmers for better utilization of resources, transfer of technology and gaining benefit of scaling up.

Mission

* To promote commercial horticulture through development of production hubs and ensuring availability of quality planting material;

* To promote investment in Post-Harvest Management and Green Cold Chain infrastructure;

* To promote development and transfer of technology for quality production;

* Product promotion, market development and export promotion through synergy amongst producers, farmers, extension workers, research organizations, private stakeholders and credit institutions

1.2. Objectives

The main objectives of the NHB are to improve integrated development of Horticulture industry and to help in coordinating, sustaining the production and processing of fruits and vegetables. Detailed objectives of the Board are given at [Annexure-I](#).

2. SET UP

2.1. Board of Directors

The management of all the activities of NHB is undertaken by a paramount body, "Board of Directors", which is headed by the Hon'ble Union Minister for Agriculture and Farmers Welfare as its President and Hon'ble Union Minister of State for Agriculture and Farmers Welfare as its Vice-President. Other Members of the Board are:

Table 1 Board of Directors

| Sr. No. | Designation of Member | Status |
|---------|---|-------------------------------------|
| 1 | Union Minister for Agriculture and Farmers Welfare | President (Ex-Officio) |
| 2 | Union Minister of State for Agriculture and Farmers Welfare | Vice-President (Ex-Officio) |
| 3 | Union Secretary, Department of Agriculture, Cooperation & Farmers Welfare | Member (Ex-Officio) |
| 4 | Director General, Indian Council of Agricultural Research | Member (Ex-Officio) |
| 5 | Additional Secretary, Department of Agriculture, Cooperation & Farmers Welfare | Member (Ex-Officio) |
| 6 | Additional Secretary & Financial Advisor, Department of Agriculture, Cooperation & Farmers Welfare | Member (Ex-Officio) |
| 7 | Joint Secretary & Mission Director (MIDH), Department of Agriculture, Cooperation & Farmers Welfare | Member (Ex-Officio) |
| 8 | Horticulture Commissioner, Department of Agriculture, Cooperation & Farmers Welfare | Member (Ex-Officio) |
| 9 | Advisor (Agriculture), NITI Aayog | Member (Ex-Officio) |
| 10 | Chairman, Agricultural & Processed Food Products Export Development Authority (APEDA) | Member (Ex-Officio) |
| 11 | Representative of Ministry of Food Processing Industry (MoFPI) | Member (Ex-Officio) |
| 12 | A representative of any other Ministry who may be invited especially with the consent of the President | Member (Ex-Officio) |
| 13 | 11 Representatives of Horticulture industry representing the interests of Co-operative Societies, leading horticulturists and leading exporters of horticulture produce. (To be nominated by the Central Govt.) | Non Officials Members |
| 14 | Managing Director, National Horticulture Board | Member Secretary (Ex-Officio) |

A list of Members of the Board of Directors as on 31.3.2017 is given in [Annexure-II](#).

2.2. Managing Committee of NHB

The Union Secretary (Agriculture, Co-operation & Farmers Welfare) heads the Managing Committee of the NHB as its Chairman. It has been assigned the role of general superintendence, direction and control of the affairs and functions of the Board. The composition of the Managing Committee is as under:

Table 2 Managing Committee of NHB

| Sr. No. | Designation of Member | Status |
|---------|--|----------------------------------|
| 1. | Union Secretary, Department of Agriculture, Cooperation & Farmers Welfare | Chairman (Ex-Officio) |
| 2. | Additional Secretary, Department of Agriculture, Cooperation & Farmers Welfare | Member (Ex-Officio) |
| 3. | Additional Secretary & Financial Advisor, Department of Agriculture, Cooperation & Farmers Welfare | Member (Ex-Officio) |
| 4. | Joint Secretary & Mission Director (MIDH) Department of Agriculture, Cooperation & Farmers Welfare | Member (Ex-Officio) |
| 5. | Horticulture Commissioner, Department of Agriculture, Cooperation & Farmers Welfare | Member (Ex-Officio) |
| 6. | Chairman, Agricultural & Processed Food Products Export Development Authority (APEDA) | Member (Ex-Officio) |
| 7. | General Manager, NABARD | Member (Ex-Officio) |
| 8. | A representative of Farmers (To be nominated by the Central Govt.) | Member |
| 9. | Managing Director, National Horticulture Board | Member Secretary (Ex-Officio) |

3. RESOURCES

3.1. Our People

The Principal Executive of the Board is Managing Director who is assisted by technical and administrative divisions. The details of sanctioned and filled up posts are given at [Annexure-III](#).

3.2. Our Network

The Head Office of the Board is situated at Gurugram, Haryana. Besides, there are 36 field offices located in different parts of the country. List of our field offices are given at [Annexure-IV](#).

3.3. Our Infrastructure

- o A sprawling well maintained green Campus of 5.4 acres.
- o Fully computerized work environment at Head Office and also in Field offices.
- o Well-equipped Library having wide range of horticultural publications.

- o Committee Halls, Guest House and Canteen Facilities at Head Office.
- o Demonstration units for Poly House and Net House.

4. Funding

The activities of the Board are funded by the Government of India by way of grants-in-aid.

Figure 1 Financial Achievements for Grant Received and Expenditure





Figure 2 Status of Fund Utilization



The details of the funds received, and expenditure incurred under various Schemes during the year 2016-17 are given hereunder: -

Table 3 Funds Received and Expenditure Status for FY 2016-17

| (Rs. in Lakh) | | | | |
|--------------------|----------------|----------------------------------|----------------------|----------------------|
| Name of Scheme | Grant Received | Unspent Balance as on 01.04.2016 | Total fund available | Expenditure incurred |
| NHB | 27725.00 | 2491.44 | 30216.44* | 25956.42 |
| NHM (TSG) | 315.00 | 34.90 | 349.90 | 297.59 |
| NBM (TSG) | - | 20.64 | 20.64 | 10.89 |
| MoFPI (Cold chain) | 443.10 | - | 443.10 | 443.10 |

*An amount of Rs. 3248.73 lakh was refunded to DAC&FW during the year 2016-17 due to non-utilisation of grant.

5. SCHEMES/PROGRAMMES

Since its inception, NHB has taken up various innovative programmes / schemes to promote large scale adoption of modern package of practices and processing / value addition in horticultural crops. The present compendium of schemes is set of intervention to achieve high quality commercial production, create post-harvest infrastructure and cold chain facilities, and promote Transfer of Technology for production and post-harvest management. Highlights of the schemes and achievements during the year 2016-17 are given hereunder:-

5.1. Development of Commercial Horticulture through Production and Post-Harvest Management

Under this component, projects for establishment of commercial production units in open field as well as under protected conditions, post-harvest management and primary processing unit are eligible for financial assistance. The component is operational as credit linked scheme except for North Eastern States and beneficiary institutions belonging to Public Sector Units, Panchayats, Cooperatives, Registered Societies/Trust and Public Limited companies provided they can meet remaining share of the project cost out of their own resources. Such projects will have to be appraised by appraising agency approved by NHB. For all the categories of units, financial assistance is determined based on approved cost norms.

Figure 3 Performance of Commercial Horticultural Schemes over last decade





Table 4 Description of components and Pattern of Assistance

| Sr. No. | Particulars | Description | Pattern of Assistance |
|---------|--|--|---|
| 5.1.1 | Commercial Horticulture Development in open field conditions on project mode | National Horticulture Board considers integrated commercial horticulture development projects in open field conditions on project mode, including components viz planting material, plantation, irrigation, fertigation, mechanization, precision farming, GAP etc. for projects covering area over 2.00 ha. (5 Acres). Integrated production unit on Mushroom and tissue culture are eligible for assistance under this component. The components like farm machinery and PHM infrastructure, irrigation and micro irrigation etc. are also eligible under the scheme for assistance in existing/new orchards/projects to increase productivity | Credit linked back-ended subsidy @ 40% of project cost limited to Rs 30.00 lakh per project in general areas and @ 50% of project cost limited to Rs. 37.50 lakh in NE Region, Hilly and Scheduled areas. |

Figure 4 Physical and Financial Achievements Under Commercial Horticulture Development


The no. of project assisted during 2016-17 is 595, covering an area of 6960 acres subsidy amount of Rs 30.65 Crore.

Table 5 Description of components and Pattern of Assistance

| Sr. No. | Particulars | Description | Pattern of Assistance |
|---------|--|---|---|
| 5.1.2 | Commercial Horticulture Development in protected cultivation on project mode | Commercial horticulture development projects under protected cover on project mode including components viz. planting material, plantation, irrigation, fertigation, mechanization, etc. for projects having area over 2500 sq. meter are being considered. Activities like construction of green houses, shade net house, plastic mulching, and plastic tunnel, anti bird /hail nets etc are eligible for assistance. However, for availing subsidy, all material/technology should conform to prescribed standards. | Credit linked back-ended subsidy @ 50% of the total project cost limited to Rs 56.00 lakh per project as per admissible cost norms. |


Figure 5 Physical and Financial Achievements Under Protected Cultivation



The no. of projects assisted during 2016-17 is 497, covering an area of 654.81 acres with a quantum jump of subsidy to Rs 108.23 crore.

Table 6 Description of components and Pattern of Assistance

| Sr. No. | Particulars | Description | Pattern of Assistance |
|---------|---|--|--|
| 5.1.3 | Integrated Post Harvest Management Projects | Integrated Post Harvest Management projects relating to Pack House, Ripening Chamber, Refer Van, Retail Outlets, Pre-cooling unit, Primary processing etc. are assisted under this component. NHB also accepts standalone projects of PHM in component mode. | Credit linked back-ended subsidy @ 35% of the total project cost limited to Rs 50.75 lakh per project in general area and @ 50 % of project cost limited to Rs. 72.50 lakh per project in NE, Hilly and Scheduled areas. |

Figure 6 Physical and Financial Achievements Under Integrated Post-Harvest Management


In the year 2016-17 NHB has supported 238 projects and released grants to tune of rupees 36.36 crore.

Achievements

Under the scheme, the Board sanctioned 1357 projects during the financial year under report involving subsidy of Rs. 18150.68 lakhs. The projects includes Hi-Tech Horticultural Crops, Tissue Culture Units, Floriculture Units, Mushroom Cultivation, Establishment of Pack House and Grading Centres, Ripening Chamber, Refer van, Retail outlets, Pre-cooling units, Primary Processing, Honey processing units etc.

5.1.4 PRODUCTION CLUSTER

Growth in agriculture may be achieved by linking farmers, suppliers, transporters, bankers, manufacturer and the insurance companies to make a supply chain by moving from primary to secondary and tertiary processing with the use of technology. Capacity building of farmers is required to improve production and productivity by increasing farm mechanization. The cluster-based approach is aimed at forming a consolidated cultivable holding dedicated to specific food grains, vegetables, fruits and other horticulture crops. Keeping in view of the above, NHB has been aggressively promoting clusters in different crops to augment farmers' income by reducing production cost, improving produce quality and ease of post-harvest operations such as primary and secondary processing, aggregation, storage and logistics.

Figure 7 Floriculture Cluster View (Pambra, Village Kaloh, Una, Himachal Pradesh)




In Himachal Pradesh, the per capita cultivated land is only 0.12 hectares while per capita irrigated land is only 0.02 hectares necessitating need for cropping pattern to ensure highest income per unit area/ labour/ investment. The agro-climatic conditions prevailing in the State of Himachal Pradesh offer excellent opportunities for the development of commercial floriculture both to serve the internal off-season market and for exports. A large variety of floriculture products, viz., cut flowers, bulbs, seeds, live plants, etc. can be produced as economic cash crops.

Although flowers from different agro climatic zones of the State can be made available all through the year for domestic market, export quality flower produce can be ensured only by cultivation under controlled environment conditions of greenhouses.

Looking at the opportunity to bring prosperity among the farmers through floriculture, NHB has promoted Floriculture Cluster Pambra in Village Kaloh, Una, Himachal Pradesh and provided assistance to 40 projects covering 78 acres under floriculture.

Figure 8 Floriculture Cluster View (Janori, Dindori, Nashik, Maharashtra)



Under protected cultivation, NHB also identified the potential for floriculture cluster in Janori and Mohadi villages in Dindori Nashik Maharashtra and provided assistance to 220 units with area coverage of 198 acres.

Figure 9 Floriculture Cluster View (Anekal, Karnataka)



Another floriculture cluster was promoted by NHB in Anekal Karnataka and 83 projects covering 95 acres were assisted for taking up commercial floriculture in the cluster. These projects are mainly export oriented.

OPEN FIELD CULTIVATION



Figure 10 Pomegranate cultivation in Open Field in Andhra Pradesh



Figure 11 Grapes cultivation in Open Field in Andhra Pradesh

PROTECTED CULTIVATION



Figure 12 Cucumber cultivation under poly house in Karnataka State



Figure 13 Coloured Capsicum cultivation under poly house in Telangana State

Figure 14 Lily cultivation under poly house in Haryana State



PRIMARY PROCESSING UNITS



Figure 15 Cashew Processing Unit in Odisha State



Figure 16 Raisin Unit in Maharashtra State



Figure 17 M/s. Malabar Honey & Food Park (P) Ltd. in Kerala State



Figure 18 Honey Processing Machinery in Malabar Honey & Food Park (P) Ltd.

5.2. Capital Investment Subsidy Scheme for Construction/Expansion/ Modernization of Cold Storages and Storages for Horticulture Products

Credit linked projects relating to Cold Storages including Controlled Atmosphere (CA) and their modernization are eligible for assistance under this component. Subsidy need not be credit linked for the institutions like Public Sector Units, Panchayats, cooperatives, registered societies/trust and public limited companies provided they can meet remaining share of the project cost out of their own resources. Such projects will have to be appraised by appraising agency approved by NHB.

5.2.1 Description of components and Pattern of Assistance

| Sr. No. | Particulars | Items | Pattern of Assistance |
|---------|---|--|---|
| i | Cold Storage unit Type-1 – basic type with single temperature zone | NHB to take up projects with capacity above 5000 MT up to 10000 MT as per following rates. <ul style="list-style-type: none">• @Rs. 8000/MT for capacity up to 5000 MT• @Rs. 7600/MT for capacity between 5001 to 6500 MT• @Rs. 7200/MT for capacity between 6501 to 8000 MT• @Rs. 6800/MT for capacity between 8001 to 10000 MT | Credit linked back-ended subsidy @35% of the cost of project (50% in NE, Hilly Areas and Scheduled areas) for capacity above 5000 MT. For calculation of capacity 3.4 cubic meters (cum.) (120 cubic feet {cft}, of chamber volume shall be considered equivalent to 1 MT storage capacity. |
| ii | Cold Storage unit Type- 2 - with multiple temperature zones and basic material handling equipment | NHB to take up projects with capacity above 5000 MT up to 10000 MT as per following rates. <ul style="list-style-type: none">• @Rs. 10000/MT for capacity up to 5000 MT• @Rs. 9500/MT for capacity between 5001 to 6500 MT• @Rs. 9000/MT for capacity between 6501 to 8000 MT• @Rs. 8500/MT for capacity between | |
| iii | Cold Storage unit Type- 2 - with add on technology for Controlled Atmosphere | NHB to take up projects with capacity above 5000 MT up to 10000 MT as per Type 2 rates given above. Additional Rs. 10,000/MT for add on components of controlled atmosphere technology as per component wise cost. | |
| iv | Technology induction and modernization of cold chain | <ul style="list-style-type: none">• @Rs. 5000/MT for capacity between 5001 to 10000 MT• Components of modernization include PLC equipment, packaging line, dock levelers, advance graders, alternate technologies, stacking system, modernization of insulation and refrigeration etc. | |



Figure 19 NHB assisted CA Cold Storage in Haryana State




Figure 20 NHB assisted CA Cold Storage in Haryana State

5.2.2 Achievements

Under the scheme, the Board sanctioned 32 projects of Cold Storages/CA Storages during the financial year under report involving subsidy of Rs. 5756.98 lakh for creation of capacity of 1,88,897 MT.

5.3 Technology Development and Transfer for Promotion of Horticulture

Projects for popularization of identified new technologies/tools/techniques for commercialization/adoption etc. shall be undertaken through following sub-components:

5.3.1 Description of components and Pattern of Assistance

| S. No. | Components | Pattern of Assistance |
|--------|--|---|
| i | Setting up of block/mother plant and root stock nursery (Area above 4 ha) | Project based - 100% and only through Govt. agency/Public Sector @ Rs.100.00 Lakh /ha for effective nursery area including virus indexing, tissue culture lab etc. |
| ii | Acquisition of technologies including import of planting material from other countries for evaluation and mass multiplication in order to increase production & productivity of horticulture crops | Project based - 100% and only through Govt. agency/PSUs @ Rs.50.00 lakh/project |
| iii | Import/procurement of new machines and Tools for horticulture for demonstration purpose | Rs. 50.00 lakh/ machine. 100% of total cost and only through Govt. agency/Public Sector. Proposals of Growers Associations promoted by NHB and Co-operative Societies and Farmers Producers Organization may also be considered on merit as per direction of Board of Directors |

| S. No. | Components | Pattern of Assistance |
|---------------|---|---|
| iv | Development & Transfer of Technology for promoting high quality commercial production:- (a) Pilot project for introduction of new farm input and appropriate technologies etc. (b) Development and introduction of new protocol relating to PHM, Cold Chain, Primary processing and introduction of new tools/ equipment/machineries for PHM, storage and handling etc. (c) R&D projects for solving specific problems related to production, PHM, packaging, storage, handling and transport etc. | Up to Rs.25.00 lakh/ project as 100% of total cost and only through Govt. agency /PSU |
| v | Long Distance Transport Solution component to facilitate long distance transportation and bulk movement of horticulture products through rail etc. | Project based Rs. 2000.00 lakh |
| vi | Product Promotion and Market Development Services- Horti-fairs | 100% of cost by Central Nodal Agency @Rs. 25.00 lakh |
| vii | Exposure visit of farmers (Outside State) | Project based as per actual, 100% of the cost |
| viii | Visit Abroad for Government Officers | Rs. 6.00 lakh per participant, 100% of air / rail travel and course fee |
| ix | Organization/participation in seminars/ workshops/exhibitions etc. for development of horticulture | (a) The financial assistance is limited up to Rs.10.00 lakh for International event (3-5 days), Rs.5.00 Lakh for National event, Rs.3.00 lakh for State Level event and Rs.0.50 lakh for District Level event. (b) In case of short duration (1-2 days) seminars, financial assistance would be limited to: <ul style="list-style-type: none">• Rs.1.00 lakh per event for State Level event,• Rs. 2.00 lakh for National level event and• Rs 3.00 lakh for International event (for organizations/ participation of international event within India). (50% of the cost on actual basis for private agency and 100% for NHB's own events) |
| x | Accreditation and Rating of Fruit & Vegetables Nurseries | Rs 1.00 lakh/nursery by Central Nodal Agency (NHB) |

5.3.2. Achievements

Under this scheme, NHB has assisted 109 projects for Introduction of New Technology, Visit of Progressive Farmers, Horti. Sangam, Organization/Participation in Seminars/ Symposia/ Exhibitions, Technology Awareness, Mother Plant Nurseries, etc. and released financial assistance amounting to Rs. 308.29 lakhs.




Figure 21 Mother Plant Production Capacity in Different Crops



Figure 22 Inauguration of Pt. Deendayala Upadhyaya Krishi Unnati Mela, 2016, Mathura



Figure 23 Visit of Hon'ble Union Agriculture & Farmers Welfare Minister Sh. Radhamohan Singh Ji and Mahant Sh. Adityanath Ji (MP) Gorakhpur to NHB Stall, Exhibition at KVK, Chowk Mafi, Gorakhpur



Figure 24 NHB Stall at Krishi Unnati Mela

5.3.3. ACCREDITATION AND RATING OF FRUIT & VEGETABLE NURSERIES



Figure 25 Fruit Plant Nursery Accreditation & Rating at NRC, Nagpur (MS)




Figure 26 Fruit Plant Nursery Accreditation & Rating



Figure 27 Fruit Plant Nursery Accreditation & Rating at NRC, Nagpur (MS)

REGIONWISE PLANT PROPAGATION CAPACITY



NORTHERN REGION




Figure 28 State wise Accredited Nurseries in North

WESTERN REGION




Figure 29 State wise Accredited Nurseries in West

SOUTHERN REGION




Figure 30 State wise Accredited Nurseries in South

EASTERN REGION




Figure 31 State wise Accredited Nurseries in East

5.4. Market Information Service for Horticulture Crops

Market information services by NHB are very crucial to collect market information and to analyze trends on wholesale prices, arrivals and trends in various markets of the country for important fruits, vegetables & flowers etc and also on retail prices for dissemination of market intelligence reports to key stakeholders. Coverage of markets by NHB shall be increased from present 36 fruits and vegetables markets to 50 markets. This will be done by outsourcing existing marketing/professional agencies/ unemployed Agriculture graduates or recognized/ established brokers in Mandi etc. at a fixed monthly remuneration (including transport) per month as decided by the Board plus actual expenses on transmission of information to NHB (fax, internet and telephone). The NHB will consult with concerned State Govts. to identify potential markets for information collection. An exclusive cell shall be set up at NHB, Gurugram for on-line receipt, data entry, analysis, dissemination and web-site management. The work relating to this proposed MIS cell shall also be undertaken by outsourcing services of selected professional agency. To deal with work of computerization, development of technology package, data feeding etc., outsourced staff such as Senior Programmer, Programmer and

Data Entry Operators and horticulture assistant may be engaged as per need at approved rates under TSG component of MIDH. The cell will also be responsible for undertaking development of technology packages in electronic form and information dissemination through publicity, printed literature etc. and local advertisements. The expenditure amounting to Rs. 825.83 lakhs has been incurred by the Board under this scheme during the year.

5.4.1. Objectives

- o To generate information on wholesale prices, arrivals and trends in various markets of the country for important fruits, vegetables & flowers etc and also on retail prices for increased number of selected markets
- o To analyze the trends of arrivals, prices and other related factors of the selected fruit and vegetables such as stock in storage, crop stand etc and generate Market Intelligence Reports
- o To establish a nation-wide communication network for speedy collection and dissemination of market information data for its efficient and timely utilization.
- o To prepare farmers' advisory and issue the same for the benefit of producer farmers especially by making use of statistics so generated and collected for optimizing returns to the producers
- o To collect and compile horticulture database and strengthen existing system of 'Crop Estimation Survey-Fruits & Vegetables' (CES-F&V) as far as possible
- o Information dissemination through publicity, advertisements, films, printed literature etc.
- o Development of technology packages in electronic form to be shared through IT

The details of publications of NHB are given at **Annexure-V.**

5.5. Horticulture Promotion Services/Expert Services and Strengthening Capability of NHB

Under this component, specialized studies and surveys have been carried and study/ survey reports have been published for use by targeted beneficiaries. In addition, technical laboratories may be set up or cause to be set up and also provide technical services including advisory and consultancy services.

This component is executed by NHB with its own man-power and also with services of outsourced experts and under this scheme, 100% financial assistance is provided through Nodal Organizations viz. NHB itself, State Governments/UTs and Organizations under it, Central Government Organizations/ Agencies and other Organizations such as Quality Council of India/ NHRDF, etc.

An amount of Rs. 914.65 lakh has been incurred under this scheme.

6. HIGHLIGHTS - Year 2016-17

6.1. Promotion of Commercial Horticulture

During 2016-17 NHB has supported:-

- 595 commercial horticulture projects of various fruits, spices and aromatic plants in open cultivation conditions in project mode by providing subsidy of Rs. 3065.57 lakh involving an area of 6960 acres.
- 497 projects of flowers and vegetables under protected conditions by providing subsidy of Rs. 10822.59 lakh involving area of 654.81 acres
- 6 projects for establishment of floriculture and vegetables seedlings nursery units by providing subsidy of Rs. 74.57 lakh involving area of 10.39 acres
- 131 primary processing units of cashew, other F & V and raisin involving subsidy of Rs. 1968.84 lakh
- 83 projects for creation of Pre-cooling unit, Grading packing unit and Pack house with an amount of Rs. 907.90 lakh
- 15 ripening units, 9 reefer vans with an amount of Rs. 758.77 lakh
- 21 projects of Bee keeping unit, Mushroom units, Tissue culture units etc. with an amount of Rs. 212.07 lakh

6.2. Creation of Cold Storage Capacity

- NHB has assisted 32 Cold Storages/CA Stores units by providing subsidy of Rs. 5756.98 lakh for creation of 1,88,897 MT capacity.




Figure 32 Financial Assistance to Cold Storage Units and Capacity Additions

6.3. Technology Development and Transfer for Promotion of Horticulture

- Organized/supported 109 programmes of various activities viz. Participation in Seminars/ Symposia/Exhibitions, Technology Awareness, Mother Plant Nurseries,
- Organized two mega Events of product promotion and market development services - Horti - fairs

6.4. Nursery Accreditation Status

System of Accreditation and Rating of fruit and Vegetable nursery has been started since 2008-09. The present status of the recognition of nurseries is as under:-

| Nursery Accreditation | Status |
|---|--------|
| • Applications received by NHB (since inception - as on 31.03.2016) | 2655 |
| • Nurseries inspected | 2557 |
| • Nurseries accredited | 1607 |
| • Nurseries not recommended | 862 |

6.5. Progress under Saffron Park Project

The saffron park is being established at Village Dussu, Pampore, Distt. Pulwama, J&K at a total project cost of Rs. 2445.00 lakh. Project is nearing completion and is likely to become operational during 2017.

6.6. Solar Energy Power Grid System

NHB has installed a Solar Energy Power Grid System of 45 KW capacity at NHB Building at Gurugram.



Figure 33 A Green Initiative by NHB Installation of Roof Top Solar Panel at NHB Building

6.7. Support services to schemes of MIDH and MoFPI

NHB is providing support services under TSG component of NHM and NBM

During the year, NHB has Project Management Implementation Agency (PMIA) NHB has released grants of Rs. 437.24 lakh for three integrated cold chain infrastructure for Horticulture projects under MoFPI

Annexure-I

Objectives of the National Horticulture Board

- i) Development of hi-tech commercial horticulture in identified belts and make such areas vibrant with horticultural activity, which in turn will act as hubs for development of horticulture
- ii) Development of modern post-harvest management infrastructure as an integral part of area expansion projects or as common facility for cluster of projects
- iii) Development of integrated, energy efficient cold chain infrastructure for fresh horticulture produce,
- iv) Popularization of identified new technologies / tools / techniques for commercialization / adoption, after carrying out technology and need assessment
- v) Assistance in securing availability of quality planting material by promoting setting up of scion and root stock banks / mother plant nurseries and carrying out accreditation / rating of horticulture nurseries and need based imports of planting material.
- vi) Promotion and market development of fresh horticulture produce.
- vii) Promotion of field trials of newly developed/imported planting materials and other farm inputs; production technology; PHM protocols, INM and IPM protocols and promotion of applied R&D programmes for commercialization of proven technology.
- viii) Promotion of Farm Mechanization in Horticulture through demonstration and its uses at farmers field level to reduce labour cost and increase the productivity of Horticulture crops.
- ix) Promotion of applied R & D for standardizing PHM protocols, prescribing critical storage conditions for fresh horticulture produce, bench marking of technical standards for cold chain infrastructure etc.,
- x) Transfer of technology to producers/farmers and service providers such as gardeners, nurserymen, farm level skilled workers, operators in cold storages, work force carrying out post harvest management including processing of fresh horticulture produce and to the master trainers.
- xi) Promotion of consumption of horticulture produce and products.
- xii) Promoting long distance transport solution for bulk movement of horticulture produce through rail etc.,
- xiii) Carrying out studies and surveys to identify constraints and develop short and long term strategies for systematic development of horticulture and providing technical services including advisory and consultancy services.

Annexure-II

List of the Board of Directors of National Horticulture Board (as on 31.03.2017)

| Sl. No. | Name, Designation, Telephone No. and E-mail ID of Official Member | Status |
|---------|---|--------------------------------|
| 1. | Shri Radha Mohan Singh, Hon'ble Union Minister for Agriculture & Farmers Welfare, Ministry of Agriculture and Farmers Welfare, Govt. of India Krishi Bhawan, New Delhi Ph:011-23383370/23782691/ 23384129 Email: am.krishi@nic.in | President (Ex-officio) |
| 2. | Shri Parshottam Rupala, Hon'ble Minister of State for Agriculture & Farmers Welfare, Ministry of Agriculture and Farmers Welfare, Govt. of India Krishi Bhawan, New Delhi Ph: 011-23782343/23782565 E-mail: mos.krishi@nic.in | Vice-President (Ex-officio) |
| 3 | Shri S. K. Pattanayak, Secretary, Department of Agriculture, Cooperation & Farmers Welfare, Ministry of Agriculture & Farmers Welfare, Govt. of India, Krishi Bhavan, New Delhi Ph: 011-23382651/ 23388444 Email: secy-agri@nic.in | Member (Ex-officio) |
| 4 | Dr.Trilochan Mohapatra, Director General, Indian Council of Agricultural Research, Krishi Bhawan, New Delhi Ph:011-23382629-476/ 25841976/23386711/ 25843190 (R) Email: dg.icar@nic.in | Member (Ex-officio) |
| 5 | Shri Jalaj Srivastava Addl. Secretary (Hort), Department of Agriculture Coop.& Farmers Welfare, Ministry of Agriculture & Farmers Welfare, Govt. of India, Krishi Bhavan, New Delhi Ph: 011-23382219 asscc-agri@nic.in/sjalaj@ias.nic.in | Member (Ex-officio) |
| 6 | Shri Kumar Sanjay Krishna, Additional Secretary & Financial Advisor, Department of Agriculture, Cooperation & Farmers Welfare, Ministry of Agriculture & Farmers Welfare, Govt. of India, Krishi Bhavan, New Delhi Ph: 011-23381363/23382532 Email: sanjay.krishna@nic.in | Member (Ex-officio) |

| Sl. No. | Name, Designation, Telephone No. and E-mail ID of Official Member | Status |
|--------------------|--|------------------------|
| 7 | Dr. Shakil P. Ahammed, Joint Secretary & Mission Director, Mission for Intergraded Development of Horticulture (MIDH) Department of Agriculture, Cooperation & Farmers Welfare, Ministry of Agriculture & Farmers Welfare, Govt. of India, Krishi Bhavan, New Delhi Ph: 011-23382444/ 23073779 Email: shakil.ahammed@gov.in | Member (Ex-officio) |
| 8 | Dr. S. K. Malhotra Horticulture Commissioner, Department of Agriculture, Cooperation & Farmers Welfare, Ministry of Agriculture & Farmers Welfare, Govt. of India, Krishi Bhavan, New Delhi Ph: 011-23381012/23383712 Email: hortcommissioner@gmail.com | Member (Ex-officio) |
| 9 | Dr. J.P. Mishra, Adviser (Agriculture), NITI Ayog, New Delhi Ph: 011-23096796 Email: adviser.agri-pc@nic.in | Ex-officio Member |
| 10 | Shri Devendra Kumar Singh, Chairman, Agricultural & Processed Food Products Export Development Authority (APEDA), Siri Institutional Area, 3 rd Floor , NCUI Building, August Kranti Marg, New Delhi Ph: 011-26513167 Email: chairman@apeda.gov.in | Member (Ex-officio) |
| 11 | Shri J.P. Meena, Special Secretary Ministry of Food Processing Industry (MoFPI), Pancheel Bhawan, August Kranti Marg, New Delhi – 110 049 Ph: 011-26492476 Email: jsjpm-fpi@nic.in | Member (Ex-officio) |
| 12 | Shri Annasaheb M.K. Patil, Former Member of Parliament, Chalisgoan, Dist- Jalgoan- Maharashtra Mob: 09970095550 Email:annasaheb.mkpatil@yahoo.com | Non-Official Member |
| 13 | Shri Baldev Singh Bhandari V.P.O- Jaman Ki Ser, Tehsil- Pachhad, District- Sirmaur, Himachal Pradesh- 173024 Mob: 09418048582/ 09816048582 Email: baldevbhandaribjp@gmail.com | Non-Official Member |

| Sl. No. | Name, Designation, Telephone No. and E-mail ID of Official Member | Status |
|------------|--|----------------------------------|
| 14 | Shri Ved Prakash Sharma, D-33, Dwarkapuri, Near Khedapati Mandir, Gwalior-474002, Madhya Pradesh Mob: 09826216038 Email: vedprakash98262@gmail.com | Non-Official Member |
| 15 | Shri Chodaraju Satya Krishnam Raju Tetagunta, Tuni Mandal, East Godavari District, Andhra Pradesh- 533406 Mob: 09440238555 Email: tetagunta@gmail.com | Non-Official Member |
| 16 | Vacant | Non-Official Member |
| 17 | Vacant | Non-Official Member |
| 18 | Vacant | Non-Official Member |
| 19 | Vacant | Non-Official Member |
| 20 | Vacant | Non-Official Member |
| 21 | Vacant | Non-Official Member |
| 22 | Vacant | Non-Official Member |
| 23 | Managing Director, NHB, Gurugram Ph: 0124-2342992, md@nhb.gov.in | Member Secretary (Ex-officio) |

Annexure-III

The Managing Director is the Principal Executive of the National Horticulture Board. Dr. A. K. Singh was the Managing Director during 01.04.2016 to 31.03.2017. The Board has its Head Office at Gurugram and 36 Centres located all over the Country. The Managing Director is assisted by Technical and Administrative Divisions. The total regular sanctioned posts in the Board are 155.

Details of Regular Sanctioned, filled and vacant posts as on 31.03.2017

Group "A"

| S. No. | Name of the post | Scale of pay | Grade pay | Present Position | | |
|--------------|--------------------------------------|--------------|-----------|---------------------|-----------|----------|
| | | | | Sanctioned Posts | Filled | Vacant |
| 1. | Managing Director | 37400-67000 | 10000 | 1 | 1 | - |
| 2. | Deputy Managing Director | 37400-67000 | 8900 | 1 | 1 | - |
| 3. | Director (Personnel) | 15600-39100 | 7600 | 1 | - | 1 |
| 4. | Joint Director | 15600-39100 | 6600 | 5 | 3 | 2 |
| 5. | Joint Director (F&A) | 15600-39100 | 6600 | 1 | 1 | - |
| 6. | Deputy Director (Information System) | 15600-39100 | 5400 | 1 | 1 | - |
| 7. | Deputy Director | 15600-39100 | 5400 | 30 | 27 | 3 |
| Total | | | | 40 | 34 | 6 |

Group "B"

| S. No. | Name of the post | Scale of pay | Grade pay | Present Position | | |
|--------------|------------------------------|--------------|--------------|---------------------|-----------|-----------|
| | | | | Sanctioned Posts | Filled | Vacant |
| 1. | Accounts Officer | 9300-34800 | 4600 | 1 | 1 | - |
| 2. | Sr. Admn. Officer | 9300-34800 | 4600 | 3 | 3 | - |
| 3. | Technical Officer (Computer) | 9300-34800 | 4600 | 2 | 2 | - |
| 4. | Administrative Officer | 9300-34800 | 4200 | 1 | - | 1 |
| 5. | Sr. Accountant | 9300-34800 | 4200 | 2 | 2 | - |
| 6. | Sr. Hindi Translator | 9300-34800 | 4600 | 1 | 1 | - |
| 7. | Sr. Horticulture Officer | 9300-34800 | 4200 | 18 | 14 | 4 |
| 8. | Hindi Translator | 9300-34800 | 4200 | 1 | 1 | - |
| 9. | Jr. Accountant | 9300-34800 | 4200 | 2 | 2 | - |
| 10. | Horticulture Officer | 9300-34800 | 4200 | 17 | 8 | 9 |
| Total | | | | 48 | 34 | 14 |

Group "C"

| S. No. | Name of the post | Scale of pay | Grade pay | Present Position | | |
|--------------|--------------------|--------------|--------------|------------------|-----------|----------|
| | | | | Posts Sanctioned | Filled | Vacant |
| 1. | Personal Executive | 5200-20200 | 2400 | 5 | 3 | 2 |
| 2. | Computer Executive | 5200-20200 | 2400 | 7 | 7 | - |
| 3. | LDC | 5200-20200 | 1900 | 5 | 3 | 2 |
| 4. | Hindi Typist | 5200-20200 | 1900 | 1 | 1 | - |
| 5. | Driver | 5200-20200 | 1900 | 3 | 2 | 1 |
| 6. | Electrician | 5200-20200 | 1900 | 1 | 1 | - |
| 7. | Messenger/ MTS | 5200-20200 | 1800 | 40 | 37 | 3 |
| 8. | Mali | 5200-20200 | 1800 | 5 | 5 | - |
| Total | | | | 67 | 59 | 8 |

Details

| S. No. | Group | Posts Sanctioned | Filled | Vacant |
|--------------|-----------|------------------|------------|-----------|
| 1. | Group "A" | 40 | 34 | 6 |
| 2. | Group "B" | 48 | 34 | 14 |
| 3. | Group "C" | 67 | 59 | 8 |
| Total | | 155 | 127 | 28 |

In addition, 18 Nos. of Temporary Status Messenger/ MTS are employed.

List of Branch offices of National Horticulture Board Along With Their Complete Address

| Sl. No. | Name & Address of the Centers | Sl. No. | Name & Address of the Centers |
|---------|--|---------|---|
| 01 | National Horticulture Board 416-Devnandan, Opp. Sanyas Ashram, Ellis Bridge, Ashram Road, Ahmedabad-380 006 Tele/Fax :079-26585413, 26585411 E-mail : nhbahd@yahoo.co.in | 07 | National Horticulture Board S.C.O. 85, 2nd Floor, Sector - 40-C Chandigarh-160 047 Tele/Fax :0172-2625249, 2625269 E-mail :nhb_chd@yahoo.co.in |
| 02 | National Horticulture Board No.14/43, 2nd Floor, 1 & 2 Stage Industrial Suburb, Tumkur Road, Yeshwantpur Bangalore-560 022 Tele/Fax 080-23371935, 23374149 E-mail :nhbblr@yahoo.com | 08 | National Horticulture Board 19-22, (Garage) Krishi Bhawan New Delhi-11001 Tele/Fax 011-23097015,23073019 E-mail :nhbdelhi@gmail.com |
| 03 | National Horticulture Board R-24, 2 nd Floor, Near Hindustan Times MP Nagar, Zone-1, Bhopal – 462011 Tele/Fax :0755 – 2550768,2761741 Email :bpInhb@rediffmail.com | 09 | National Horticulture Board Chang Choop Building, Near Nayuma Television, Tibet Road, Gangtok-737 101 Tele/Fax :03592-208453,220975 E-mail:nhbgangtok@yahoo.com |
| 04 | National Horticulture Board N-1/7, I.R.C. Village, Nayapalli, Opp. CRPF Gate Bhubaneshwar- 751015 Tele/Fax :0674-2558134,2559620 Email :nhbbbsr@gmaill.com | 10 | National Horticulture Board Chhibber House, 4th Floor, Dispur P.O., Guwahati-781 005 Tele/Fax :0361-2343719, 2340695 E-mail:nhbghy@gmail.com |
| 05 | National Horticulture Board Room No. 317, 4 th Floor Central Facility Building, APMC Fruit Market Complex, Sector-19, Turbhe Vashi, Navi Mumbai- 400703 Tele/Fax 022-27830107 E-mail :nbhpune@gmail.com | 11 | National Horticulture Board No.2, 5-9-195, William Niwas, Chirag Ali Lane, ABIDS, Hyderabad-500 001 Tele/Fax :040-23200806, 23201140 E-mail:nhb.govhyd@gmail.com |
| 06 | National Horticulture Board Mayukh Bhawan, 2 nd Floor, Salt Lake, Sector-II Kolkata -700091 Tele/Fax: 033-23377182,23211259 E-mail :nhb_kolkata@yahoo.com | 12 | National Horticulture Board Second Floor, ModakPriyay, Plot No. 16 & 17, Near New, Atish Market, Shipra Path, Mansarovar, Jaipur 302 020 Tele/Fax :0141-2399405, 2390818 E-mail:nhbjpr@yahoo.com |
| | | 13 | National Horticulture Board C/o, Director of Horticulture Horticulture Complex, Cantt. Road Jalandhar-144005 |

| Sl. No. | Name & Address of the Centers | Sl. No. | Name & Address of the Centers |
|--------------------|--|--------------------|--|
| 14 | National Horticulture Board C/o, Director of Horticulture 2, Sapru Marg Udyan Bhawan Lucknow-226001 Tele/Fax 0522- 2623374/2202420,4072096 E-mail: nhblko@rediffmail.com | 22 | National Horticulture Board Hall No 307, A-2, 3rd Floor South Block, Bahu Plaza Rail Head Complex, Jammu-180 004 Tele/Fax :0191-2474349, 2474112 E-mail:nhbjammu@rediffmail.com |
| 15 | National Horticulture Board Module No.37, 2nd Floor, SIDCO Readymade Garment Complex, Industrial Estate Guindy, Chennai-600 032 Tele/Fax :044-22501151/22500965 E-mail:nhbtn@yahoo.com | 23 | National Horticulture Board S. C. Panwar Market Yard, Commercial Complex No. 1, Peth Road Panchwati, Nashik-422003 Tele/Fax :0253-2534558,2533715 E-mail:nhbnashik@gmail.com |
| 16 | National Horticulture Board 401, 4th Floor, Lotus Plaza, Near Lakshmi Bhavan, Old Post Office Road. Gokulpeth, Nagpur-440 010 Tele/Fax :0712-2525030,2523110 E-mail:nhbnagpur@rediffmail.com | 24 | National Horticulture Board MCAER Building 132/B, Bhamburda Bhosale Nagar, Pune-411 007 Tele/Fax : 020-25530582-83 E-mail:nhbpune@gmail.com |
| 17 | National Horticulture Board Room No 501, 502, 5th Floor, Boring Road, Verma Centre Patna-800 001, Tele/Fax :0612- 2541218,2541128 E-mail:nhbpatna@gmail.com | 25 | National Horticulture Board C/o. Superintendent Garden, Shahjan Park, Tajganj, Agra-282001 |
| 18 | National Horticulture Board HPMC, 2nd Floor, Nigam Vihar, Shimla-171 002 Tele/Fax :0177-2622908/2623801 E-mail :nhbhp2004@yahoo.com | 26 | National Horticulture Board C/O Deputy Director (Horticulture), Govt. of UP, Company Bagh, Kachahari, Varanasi- 221001 Mob.9598638136, 8004560584 |
| 19 | National Horticulture Board Horticulture Complex Rajabagh Srinagar-190008 Tele Fax 0191-2474349 (PP) E-mail :nhbjammu@rediffmail.com | 27 | National Horticulture Board Residency Koti Complex Indore-452001 |
| 20 | National Horticulture Board No. UR-10, Uppalam Road, Statue, Thiruvananthapuram-695001 Tele/Fax : 0471-2470505, 2470506 E-mail :nhbtvm@gmail.com | 28 | National Horticulture Board Laxmi Niwas, Krishi Bhawan, Kankey Road, Ranchi-834 008 Tele/Fax :0651-2230132,2233832 E-mail:nhbranchi@rediffmail.com |
| 21 | National Horticulture Board Minicipal Stadium Complex Vijayawada-520010 | 29 | National Horticulture Board 310/311, 3 rd Floor, I.D. Shopping Centre Near Shivaji Stature, Sahara Darwaja Surat-395003 |

| Sl. No. | Name & Address of the Centers | Sl. No. | Name & Address of the Centers |
|---------|--|---------|---|
| 30 | National Horticulture Board Plot No. 142, 1 st Floor Seikkilar Street Extension, Bibikulam Madurai -625002 | 34 | National Horticulture Board Naveen Sabzi Mandi Ashthal, Krishi Utpadan Mandi Samiti, Niranjanpur, Dehradun- 248171 Tele/Fax 0135- 2761922,2762767,2725517 E-mail :nhb_dehradun@yahoo.com |
| 31 | National Horticulture Board H.No. 470, Behind Ashoka Cinema Diwan Colony, Karnal-132001 | 35 | National Horticulture Board H.No. 42, First Floor, Jal Vihar Colony, Near Rotary Club of India, Telibandha Raipur-492001 Tele/Fax :0771-2423992 E-mail: nhbraipur@yahoo.co.in |
| 32 | National Horticulture Board C/o, Directorate of Horticulture Room No. 13, 2 nd Floor Kheti Bhawan, Ranjeet Avenue Amritsar- 143001 Tele/Fax 0183-2500236 | 36 | National Horticulture Board C/o Regional Institute of Rural Development, Delhi-Saharanpur Road, Baraut- 250611 E-mail:nhbbaraut_2007@yahoo.com |
| 33 | National Horticulture Board Vikas Bhawan, Fazilka Road Abohar-152116 | | |

Annexure-V

LIST OF NHB PUBLICATION

| S.No. | Name of Publications | Price |
|---|--|-------------------------------------|
| Regular Publication | | |
| 01 | Horticulture Information Service (Monthly) Annual Subscription Commercial Organization Institutes and Libraries Single Copy | Rs. 750/- Rs. 650/- Rs. 75/- |
| 02 | Fact and Figures (Indian Fruits & Vegetables) | Rs. 600/- |
| 03 | NHB Production Year Book-(1997) | Rs. 500/- |
| 04 | Indian Horticulture Database - (1998) | Rs. 850/- |
| 05 | Indian Horticulture Database - (1999) | Rs. 500/- |
| 06 | NHB Production Year Book - (2001) | Rs. 500/- |
| 07 | Indian Horticulture Database - (2001) | Rs. 650/- |
| 08 | Indian Horticulture Database - (2002) (Released in November 2002) | Rs. 650/- |
| 09 | Indian Horticulture Database - (2003) (with CD) • Indian Horticulture Database - (2003) (without CD) • Indian Horticulture Database - (2003) (only CD) | Rs. 850/- Rs. 650/- Rs. 250/- |
| 10 | Indian Horticulture Database - (2004) | Rs. 650/- |
| 11 | Indian Horticulture Database - (2005) | Rs. 700/- |
| 12 | Indian Horticulture Database - (2006) | Rs. 700/- |
| 13 | Indian Horticulture Database - (2008) | Rs. 700/- |
| 14 | Indian Horticulture Database - (2009) | Rs. 700/- |
| 15 | Indian Horticulture Database - (2010) | Rs. 700/- |
| 16 | Indian Horticulture Database - (2011) | Rs. 700/- |
| 17 | Indian Horticulture Database - (2012) | Rs. 700/- |
| 18 | Indian Horticulture Database - (2013) | Rs. 700/- |
| 19 | Indian Horticulture Database - (2014) | Rs. 700/- |
| Other Publications | | |
| 01 | First National Conference on Bee Keeping | Rs. 75/- |
| 02 | Wholesale Marketing of fruits and vegetables in Metropolitan Cities (1991-95) | Rs. 400/- |
| 03 | Wholesale & Retail Marketing of fruits and vegetables in Metropolitan Cities (1995-99) | Rs. 300/- |
| 04 | Operational Guidelines (February 2016) | Rs. 50/- |
| 05 | Approaches for Sustainable Development for Horticulture | Rs. 500/- |
| 06 | Horticulture in India | Rs. 500/- |
| 07 | Indian Horticulture - A Road Map | Rs. 500/- |
| Note: Demand Draft must be sent in favour of National Horticulture Board payable at Gurugram (Haryana) | | |

Annual Accounts of the National Horticulture Board for the Year 2016-17



आरतीय लेखा परीक्षा तथा लेखा विभाग
कार्यालय प्रधान निदेशक लेखा परीक्षा (केन्द्रीय), चंडीगढ़

Indian Audit & Accounts Department
Office of The Principal Director of Audit (Central), Chandigarh



मामांक: पी.डी.ए. (सी)के. व्यय/SAR NHB 2016-17/2017-18/ ५३४३
दिनांक: ०७//११/१७

सेवा में,

सचिव,
Ministry of Agriculture,
भारत सरकार,
कृषि भवन,
नई दिल्ली - 110001

विषय: National Horticulture Board, Gurgaon के वर्ष 2016-17 के लेखाओं पर पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन

महोदय,

कृपया National Horticulture Board, Gurgaon के वर्ष 2016-17 के लेखाओं पर पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन (Separate Audit Report) संसद के दोनों सदनों के समक्ष प्रस्तुत करने हेतु सलाना पायें। संसद में प्रस्तुत होने तक प्रतिवेदन को गोपनीय रखा जाए।

संसद में प्रस्तुत करने के उपरांत प्रतिवेदन की पांच प्रतियाँ इस कार्यालय को भी भेज दी जाएँ।

कृपया इस पत्र की पावती भेजें।


भवदीय,

सलान: उपरोक्त अनुसार

— हस्ताक्षर —

प्रधान निदेशक

✓ उपरोक्त की प्रतिलिपि वर्ष 2016-17 की पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन की प्रति सहित आवश्यक कार्यवाही हेतु निदेशक, National Horticulture Board, प्लाट नंबर 85, सेक्टर 18, Institutional Area, Gurgaon को प्रेषित की जाती है।



उप निदेशक (केन्द्रीय व्यय)

Separate Audit Report of the Comptroller & Auditor General of India on the Accounts of the National Horticulture Board, Gurgaon for the year ended 31 March 2017

We have audited the Balance Sheet of the National Horticulture Board, Gurgaon as at 31 March 2017, Income & Expenditure Account and Receipts & Payments Account for the year ended on that date under Section 20 (1) of the Comptroller & Auditor General's (Duties, Powers & Conditions of Service) Act, 1971. The audit has been entrusted for the period upto 2016-17. These financial statements are the responsibility of the Board's management. Our responsibility is to express an opinion on these financial statements based on our audit.

2. This Separate Audit Report contains the comments of the Comptroller & Auditor General of India (CAG) on the accounting treatment only with regard to classification, conformity with the best accounting practices, accounting standards and disclosure norms, etc. Audit observations on financial transactions with regard to compliance with the Law, Rules & Regulations (Propriety and Regularity) and efficiency-cum-performance aspects, etc., if any, are reported through Inspection Reports/ CAG's Audit Reports separately.

3. We have conducted our audit in accordance with auditing standards generally accepted in India. These standards require that we plan and perform the audit to obtain reasonable assurance about whether the financial statements are free from material misstatements. An audit includes examining, on a test basis, evidences supporting the amounts and disclosure in the financial statements. An audit also includes assessing the accounting principles used and significant estimates made by management, as well as evaluating the overall presentation of financial statements. We believe that our audit provides a reasonable basis for our opinion.

4. Based on our audit, we report that:

- i) We have obtained all the information and explanations, which to the best of our knowledge and belief were necessary for the purpose of our audit;
- ii) The Balance Sheet, Income & Expenditure Account and Receipts & Payments Account dealt with by this report have been drawn up in the format approved by the Ministry of Finance, Government of India.
- iii) In our opinion, proper books of accounts and other relevant records have been maintained by National Horticulture Board, Gurgaon in so far as it appears from our examination of such books.

iv) We further report that:

A. Balance Sheet

Fixed assets (Schedule 8)

Buildings on leasehold shops: Rs.31.35 lakh

The NHB paid Rs.31.35 lakh (including Rs.1.03 lakh as 3 months advance rent) for taking shops on lease and entered into (March 2016) an agreement for a period from April 2016 to December 2026 i.e. 129 months. Rental for the same was also started from 1st April 2016. However, the amount of Rs.30.32 lakh (Rs.31.35 lakh – Rs.1.03 lakh) was not amortized for the year 2016-17. This resulted in overstatement of fixed assets and surplus of income over expenditure by Rs.2.82 lakh.

B. Notes on accounts (Schedule 25)

The Ministry of Agriculture and Farmer Welfare, Government of India decided (February 2017) to temporarily transfer land & building of erstwhile National Oil Seeds & vegetable Oil Development Board (NOVOD) wound up in September 2016 to NHB and directed NHB to pay wages of security staff, electricity expenses, etc. from their budget for which funds would be transferred to NHB later on. The NHB paid (October 2016 to March 2017) wages and electricity expenses of Rs.8.72 lakh on this account by showing them as recoverable. However, this fact was not disclosed in the accounts by way of Notes. Since it was a material development, the non-disclosure of the same has resulted in deficiency in accounts to that extent.

C. General


As per the Common Format of Accounts, provision for retirement benefits such as pension, gratuity and leave encashment is to be made on actuarial valuation basis. Although provisions for gratuity and leave encashment were made in the accounts, the same was not made on the basis of actuarial valuation.

D. Grants-in-Aid

Out of the total Grant Rs.327.75 crore (including unspent balance of Rs.35.55 crore of the previous year, Grant received during the year 2016-17 of Rs.284.83 crore and Board's, Misc. receipts of Rs.7.37 crore), the Board could utilize a sum of Rs.274.43 crore and refunded Rs.32.51 crore to the Government leaving a balance of Rs.20.81 crore as unutilized as on 31.03.2017.

- v) Subject to our observations in the preceding paragraphs, we report that the Balance Sheet, Income & Expenditure Account and Receipts & Payments Account dealt with by this report are in agreement with the books of accounts.
- vi) In our opinion and to the best of our information and according to the explanations given to us, the said financial statements read together with the Accounting Policies and Notes on Accounts, and subject to the significant matters stated above and other matters mentioned in Annexure to this Audit Report give a true and fair view in conformity with accounting principles generally accepted in India:
- a. In so far as it relates to the Balance Sheet, of the state of affairs of National Horticulture Board, Gurgaon as at 31 March 2017; and
 - b. In so far as it relates to Income & Expenditure Account, of the surplus for the year ended on that date.

For and on behalf of the C & AG of India.



Principal Director of Audit
(Central), Chandigarh.

Place: Chandigarh
Date: 07/11/17

Annexure to Separate Audit Report

1. Adequacy of Internal Audit System

The internal audit wing of the Principal Accounts Office of the Ministry of Agriculture, Government of India conducts the audit of the Board at various intervals according to their schedule. The latest year for which audit of the Board was conducted by Principal Accounts Office was the financial year 2012-13. Besides, Internal Audit of the Board for the year 2016-17 was conducted by firms of Chartered Accountants.

2. Adequacy of Internal Control System

The internal Control is considered to be inadequate in view of the following:

- (i) The Board has not prepared its accounting manual so far.
- (ii) As per clause 10 (i) of the Rules and Regulations made by Central Government for National Horticulture Board, Gurgaon, a Meeting of Managing Committee (MC) shall be held at least once in every three months i.e. four meetings in a year. However, only one MC Meeting (21.06.2016) was held during the year 2016-17.
- (iii) There are no standard guidelines/manual for purchase/procurement in the NHB.
- (iv) The Fixed Assets register has not been maintained in the prescribed format (GFR 40) by the Ahmedabad branch office of the Board.
- (v) The Kolkata branch office of the Board has not maintained Bill Register in the prescribed format and security has not been obtained from the person handling cash. Moreover, utilization certificates for Rs.8.50 lakh were pending to be received from banks/Financial institutions to which subsidy was released by the Kolkata branch office.

3. Physical verification of Fixed Assets

Physical Verification of Fixed Assets for the year 2016-17 had been done.

4. Physical verification of Inventory

Physical Verification of Inventories for the year 2016-17 had been done.

5. Statutory dues

The Board was regular in depositing the statutory dues.



Deputy Director

**NATIONAL HORTICULTURE BOARD
GURUGRAM**

BALANCE SHEET

AS AT MARCH 31, 2017

(Amount in Rs.)

| PARTICULARS | SCH No. | CURRENT YEAR | PREVIOUS YEAR |
|---|------------|----------------------|----------------------|
| CORPUS/ CAPITAL FUND AND LIABILITIES | | | |
| CORPUS / CAPITAL FUND | 1 | 1,497,769,296 | 1,504,132,338 |
| RESERVES AND SURPLUS | 2 | - | - |
| EARMARKED/ ENDOWMENT FUNDS | 3 | 39,473,007 | 106,341,305 |
| SECURED LOANS AND BORROWINGS | 4 | - | - |
| UNSECURED LOANS AND BORROWINGS | 5 | - | - |
| DEFERRED CREDIT LIABILITIES | 6 | - | - |
| CURRENT LIABILITIES AND PROVISIONS | 7 | 369,941,940 | 368,832,650 |
| TOTAL | | 1,907,184,243 | 1,979,306,293 |
| ASSETS | | | |
| FIXED ASSETS | 8 | 23,076,018 | 23,275,869 |
| INVESTMENTS- FROM EARMARKED/ ENDOWMENT FUNDS | 9 | - | - |
| INVESTMENTS - OTHERS | 10 | - | - |
| CURRENT ASSETS, LOANS & ADVANCES | 11 | 1,884,108,225 | 1,956,030,424 |
| MISCELLANEOUS EXPENDITURE | | - | - |
| (To the extent not written off or adjusted) | | | |
| TOTAL | | 1,907,184,243 | 1,979,306,293 |
| SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES | 24 | | |
| CONTINGENT LIABILITIES AND NOTES ON ACCOUNTS | 25 | | |

Place : Gurugram

Date : 15.06.2017

Sd/-
Managing Director

Sd/-
Deputy Managing Director

Sd/-
Joint Director (F&A)

**NATIONAL HORTICULTURE BOARD
GURUGRAM**

INCOME AND EXPENDITURE ACCOUNT

FOR THE YEAR ENDED MARCH 31, 2017

(Amount in Rs.)

| PARTICULARS | SCH No. | CURRENT YEAR | PREVIOUS YEAR |
|--|-----------|----------------------|----------------------|
| INCOME | | | |
| Income from Sale & Services | 12 | (8,277,252) | 7,843,181 |
| Grants/ Subsidies | 13 | 2,542,500,000 | 2,866,000,000 |
| Fees/ Subscriptions | 14 | - | - |
| Income from Investments | 15 | - | - |
| (Income on Invest. From earmarked/ endow. Funds transferred to funds) | | | |
| Income from Royalty, Publication etc. | 16 | 19,175 | 45,463 |
| Interest Earned | 17 | 119,568,919 | 117,843,651 |
| Other Income | 18 | 301,350 | 447,177 |
| Increase/ (Decrease) in stock of finished goods and WIP | 19 | - | - |
| TOTAL (A) | | 2,654,112,192 | 2,992,179,472 |
| EXPENDITURE | | | |
| Establishment expenses | 20 | 78,878,479 | 72,867,959 |
| Other Administrative Expenses etc. | 21 | 19,644,197 | 21,747,235 |
| Expenditure on Grants, Subsidies etc. | 22 | 2,505,259,035 | 2,684,887,607 |
| Interest | 23 | 3,537 | 228,139 |
| Depreciation (Net total at the year end - corresponding to Sch 8) | 8 | 4,379,863 | 3,018,997 |
| TOTAL (B) | | 2,608,165,111 | 2,782,749,937 |
| Balance being excess of Income over Expenditure (A - B) | | | |
| - For the Funds other than Cost of application & Processing Fee | | 54,224,333 | 201,586,354 |
| - Cost of application & processing Fee | | (8,277,252) | 7,843,181 |
| Transfer to Provision for Doubtful Debts(Reverse) | | (9,060,000) | - |
| BALANCE BEING SURPLUS/ (DEFICIT) CARRIED TO CORPUS/ CAPITAL FUND FOR OTHER THAN APPLICATION FORM AND SCHEME BROCHURE AMOUNT | | 63,284,333 | 201,586,354 |
| BALANCE BEING SURPLUS/ (DEFICIT) CARRIED TO CORPUS/ CAPITAL FUND FOR APPLICATION & PROCESSING FEE | | (8,277,252) | 7,843,181 |
| SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES | 24 | | |
| CONTINGENT LIABILITIES AND NOTES ON ACCOUNTS | 25 | | |

Place : Gurugram
 Date : 15.06.2017

Sd/-
 Managing Director

Sd/-
 Deputy Managing Director

Sd/-
 Joint Director (F&A)

NATIONAL HORTICULTURE BOARD
RECEIPTS AND PAYMENT ACCOUNT FOR THE YEAR ENDED 31.03.2017

(Amount in Rs.)

| RECEIPTS | 2016-17 Current Year | 2015-16 Previous Year | PAYMENTS | | 2016-17 Current Year | 2015-16 Previous Year |
|---|-------------------------|--------------------------|--|---|-------------------------|--------------------------|
| | | | I. Expenses | II. Payments made against funds for Various Schemes | | |
| I. Opening Balances | | | | | | |
| a) Cash in hand | 1,00,766 | 1,23,046 | | | 6,86,55,117 | 7,12,34,829 |
| b) Bank Balances | | | | | 1,94,94,638 | 2,19,01,981 |
| i) in current accounts | - | - | | | | |
| ii) in deposit accounts | 85,00,00,000 | 78,00,00,000 | | | | |
| iii) in saving accounts | 45,01,42,282 | 26,88,43,094 | | | | |
| iv) in deposit accounts (processing fee / Cost of Application form & scheme broucher A/c) | 30,00,00,000 | 22,00,00,000 | i) Development of Commercial Horticulture through Production and Post - Harvest Management | | | |
| II. Grants Received | | | | | | |
| a) From Government of India | | | --Subsidy | 1,79,92,30,918 | 1,28,00,900 | 1,81,20,31,818 |
| i) For NHB schemes | | | -Legal & Professional Charges | 30,35,866 | - | 30,35,866 |
| -For other than NE states | | | | | | 5,17,927 |
| - From NHB Budget | 2,49,43,00,000 | 2,67,60,00,000 | ii) Capital Investment Subsidy for Constrn /Modernization/ Expansion of Cold Storage and Storages for Hort. Prod | | | |
| - For NE states | 27,82,00,000 | 19,00,00,000 | --NHB Scheme | 53,66,15,321 | 3,90,83,000 | - |
| ii) For NHM schemes: | | | | | | 57,56,98,321 |
| - For TSG component | 3,15,00,000 | 1,20,00,000 | | | | 95,33,95,852 |
| iii) For NBM schemes | - | 30,00,000 | iii) Technology Development and Trfr for Promotion of Hort | 2,69,93,765 | 38,35,264 | - |
| iv) For MFPI schemes | 4,43,09,611 | 10,19,37,475 | iv) Market Information Services for Horticulture Crops | 8,16,39,860 | - | 8,16,39,860 |
| | | | v) Horticulture Promotion Services | 20,09,972 | - | 20,09,972 |
| | | | | | | 16,37,860 |

| RECEIPTS | 2016-17 Current Year | 2015-16 Previous Year | PAYMENTS | | 2016-17 Current Year | 2015-16 Previous Year |
|--|-------------------------|--------------------------|---|-------------|-------------------------|--------------------------|
| | | | Total | | | |
| v) For National Mission On Saffron schemes | - | 21,04,00,000 | 2,44,95,25,702 | 5,57,19,164 | 10,89,493 | 31,47,782 |
| b) From State Government | - | - | vi) National Bamboo Mission (Support Services) | | 2,97,58,474 | 1,31,22,069 |
| | | | vii) National Horticulture Mission (TSG) | | | |
| III. Income on Investments from | | | viii) National Mission on Saffron | | 7,35,10,181 | 11,02,24,436 |
| a) Earmarked/Endow. Funds | - | - | ix) MoFPI | | 4,43,09,611 | 10,19,37,475 |
| b) Own Funds (oth. Investment) | | | x) HMNEH | | 2,147 | - |
| | | | | | | |
| IV. Interest Received | | | III. Investments & Deposits made | | | |
| a) On Bank deposits & Saving Bank Accounts for NHB Funds | 8,86,51,435 | 9,36,51,193 | a) Out of Earmarked/ Endowment funds | | | |
| -Application Funds | 3,00,68,401 | 2,32,17,937 | b) Out of Own funds (Investments-Others) | | | |
| -NHM Funds | 6,68,752 | 1,57,001 | | | | |
| -NBM Funds | 72,517 | 67,898 | IV. Expenditure on Fixed Assets & Capital Work-in-Progress | - | | |
| -HMNEH Funds | 51 | 2,096 | | | | |
| -MoFPI Funds | 2,57,895 | 11,83,760 | a) Purchase/Additions to Fixed Assets | | | |
| | | | i) From the Budget of Strengthening capabilities of NHB | | 10,65,540 | 13,13,204 |
| | | | ii) From the Budget of Marketing Information Service Scheme | | | 9,42,719 |
| | | | b) Expenditure on Capital Work-in-Progress | | | 5,69,753 |
| b) Loans, Advances etc. | 60,000 | 1,53,950 | | | | |
| | | | | | | |

| RECEIPTS | 2016-17 Current Year | 2015-16 Previous Year | PAYMENTS | | 2016-17 Current Year | 2015-16 Previous Year |
|--|-------------------------|--------------------------|---|--|-------------------------|--------------------------|
| | | | V. Refund of Surplus money/Loan | | | |
| V. Other Income (Specify) | | | | | | |
| Rent from IOB | 1,68,180 | 1,68,180 | a) To the Government of India | | | |
| Income Tax Refund | 2,51,01,435 | - | -HMNEH | | - | - |
| Cost of Application form & scheme broucher | 77,16,415 | 2,32,19,044 | -MoFPI | | 2,57,895 | 11,83,760 |
| Misc. Receipts | 3,61,409 | 4,27,783 | - Department of Agricultural & Coop | | | |
| Earnest Money Deposit - NHB | 2,65,000 | 75,000 | from Internal Accruals | | 58,67,451 | 9,80,000 |
| Earnest Money Deposit - Saffron Park | 20,80,000 | - | from Grant in Aid | | 32,48,73,127 | 2,01,26,300 |
| GSLIP | - | 96,887 | b) To the State Government | | - | - |
| | | | c) To the other providers of funds | | - | - |
| | | | VI. TDS DEDUCTED AT SOURCE BY BANK | | | |
| | | | | | 82,29,246 | 58,19,091 |
| VII. Amount Borrowed | - | - | | | | |
| | | | VII. Other Payments (Specify) | | | |
| | | | Advance to Staff | | 1,50,000 | 1,69,800 |
| | | | Earnest money refunded - NHB | | 1,00,000 | 1,35,000 |
| | | | Earnest money refunded - Saffron Park | | 7,40,000 | - |
| | | | Prepaid Expenses | | 89,778 | 1,98,021 |
| | | | Expenditure on behalf of NOVOD Board | | 8,72,514 | - |

| RECEIPTS | 2016-17 Current Year | 2015-16 Previous Year | PAYMENTS | | 2016-17 Current Year | 2015-16 Previous Year |
|---|-------------------------|--------------------------|---|--------------|-------------------------|--------------------------|
| | | | VII. Payments from Cost of Application Form & Scheme broucher | | | |
| c) Unspent funds received back from beneficiaries under various schemes to whom funds were released in previous years under NHB Schemes | | | -Payment to Contractual Data Entry Operators | 95,92,032 | 1,02,61,996 | |
| - For NE States | 55,864 | 1,97,79,300 | - Scrutiny fees cold storage | 30,02,220 | 33,96,806 | |
| - For Other than NE States | 3,93,14,591 | 2,54,06,062 | - Travelling Expenses & consultancy fees of Experts | 3,78,200 | 2,01,511 | |
| d) Reversal of Stale cheque amt of the last year | | | - Payment for NHB Publication | 3,08,700 | 5,94,200 | |
| - For NE States | - | - | - AMC Website | 19,35,000 | 9,00,000 | |
| - For Other than NE States | - | 3,33,200 | - Bank Charges | 2,355 | 21,350 | |
| VIII. REFUND OF TDS DEDUCTED BY BANK ON FDR- NHB ON FDR (Application Fee) | 1,98,51,746 | - | - Payment for Leasehold shops | 4,20,666 | 31,34,730 | |
| | | | -Solar Panel - Roof Top -HO | 21,80,036 | - | |
| | | | -Repair & Maintenance- Leasehold Shop | 3,54,493 | | |
| | | | IX. Closing Balances | - | | |
| | | | a) Cash in Hand | | | |
| | | | At Head Office | 20,141 | | |
| | | | At NHB Centres | 69,375 | 89,516 | 1,00,766 |
| | | | b) Bank Balances | | | |
| | | | i) In current accounts | - | - | |
| | | | ii) In deposit accounts (NHB's internal accrual amount) | 95,00,00,000 | 85,00,00,000 | |
| | | | iii) in deposit accounts (processing fee Amount/Cost of Application form & Scheme broucher) | 35,00,00,000 | 30,00,00,000 | |
| | | | iv) in Saving accounts | | | |

| RECEIPTS | 2016-17 Current Year | 2015-16 Previous Year | PAYMENTS | | 2016-17 Current Year | 2015-16 Previous Year |
|----------|-------------------------|--------------------------|---|--------------------------------------|-------------------------|--------------------------|
| | | | - At NHB Centres - Imprest amount | - At NHB Centres - Subsidy amount | | |
| | | | | 9,88,473 | | |
| | | | - At NHB Centres - Cost of Application form & Scheme broucher | | 1,45,066 | |
| | | | - At Head Office | | | |
| | | | - For NHB Schemes & internal accruals | | 17,82,35,397 | |
| | | | - For Cost of Application form & Scheme broucher | | 5,30,78,172 | |
| | | | - For NHM Schemes | | 55,58,301 | |
| | | | - For NBM Schemes | | 10,22,872 | |
| | | | - For National Mission on Saffron | | 3,25,25,400 | |
| | | | - For NHM Delhi centre | | 3,41,923 | |
| | | | - For NBM Delhi centre | | 24,510 | 27,86,34,161 |
| | | | Total | | 4,68,21,50,177 | 45,01,42,282 |
| | | | | | | 4,65,47,40,481 |
| | | | | | | Total |
| | | | | | | 4,68,21,50,177 |
| | | | | | | 4,65,47,40,481 |

Place : Gurugram
Date : 15.06.2017

Sd/-
Managing Director

Sd/-
Deputy Managing Director

Joint Director (F&A)

Receipt & Payment Account
Establishment Expenses for the year 2016-17

SCHEDULE 1

| SR. NO. | Particulars | Amount in Rs. | |
|--------------|-------------------------------|--------------------|--------------------|
| | | CURRENT YEAR | PREVIOUS YEAR |
| 1 | EPF Board' contribution | 1,09,02,700 | 1,02,98,048 |
| 2 | EPS including arrear | 20,441 | - |
| 3 | Leave encashment | 31,08,244 | 44,95,242 |
| 4 | LTC claim | 6,92,171 | 5,80,826 |
| 5 | Medical reimbursement | 55,06,926 | 69,89,356 |
| 6 | Pay & Allowance | 4,34,99,407 | 4,25,51,543 |
| 7 | Staff Welfare | 2,99,916 | 3,52,914 |
| 8 | Bonus & other allowance | 78,231 | 1,32,633 |
| 9 | Children Education Allowance | 7,59,495 | 11,35,483 |
| 10 | Gratuity paid during the year | 36,89,579 | 46,98,784 |
| 11 | GSLIP | 98,007 | - |
| TOTAL | | 6,86,55,117 | 7,12,34,829 |

Receipt & Payment Account
Administrative Expenses for the year 2016-17

SCHEDULE 2

| SR. NO. | Particulars | Amount in Rs. | |
|--------------|--|--------------------|--------------------|
| | | CURRENT YEAR | PREVIOUS YEAR |
| 1 | Electricity & Power | 22,21,210 | 26,17,099 |
| 2 | Bank charges & Interest | 3,537 | 13,365 |
| 3 | Generator running & Maintenance | 6,70,967 | 6,42,802 |
| 4 | Insurance | 5,798 | 5,350 |
| 5 | Repair & Maintenance | 10,10,078 | 15,58,775 |
| 6 | Security Charges & house keeping Exp. | 46,79,312 | 41,06,863 |
| 7 | Vehicle running & maintenance | 3,27,693 | 2,78,736 |
| 8 | Postage, telephone & communication charges | 8,18,250 | 10,71,729 |
| 9 | Printing & stationary | 9,34,970 | 7,20,336 |
| 10 | Conveyance & travelling | 57,01,855 | 49,28,008 |
| 11 | Newspaper & periodicals | 50,021 | 46,473 |
| 12 | Office expenses | 6,52,299 | 4,02,726 |
| 13 | Expenses on meeting & entertainment | 2,17,934 | 3,17,268 |
| 14 | Auditor remuneration & fees | 5,81,897 | 1,87,065 |
| 15 | Legal & professional charges | 7,45,578 | 14,09,004 |
| 16 | Advertisement & publicity | 1,88,182 | 2,74,988 |
| 17 | Photocopy charges | 5,18,440 | 4,29,607 |
| 18 | Property Tax | 1,66,617 | 28,91,788 |
| TOTAL | | 1,94,94,638 | 2,19,01,981 |

Place : Gurugram
Date : 15.06.2017

Sd/-
Managing Director

Sd/-
Deputy Managing Director

Sd/-
Joint Director (F&A)

SCHEDULES FORMING PART OF BALANCE SHEET

AS AT MARCH 31, 2017

SCHEDULE 1

(Amount in Rs.)

| CORPUS/ CAPITAL FUND | CURRENT YEAR | PREVIOUS YEAR | |
|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Balance as at the beginning of the year | | | |
| a. For the Funds other than Processing Fee and Application form account | 1,14,35,14,336 | | 94,30,05,501 |
| Add/ (Deduct): Balance of net income/ (expenditure) transferred from the Income and Expenditure Account | 6,32,84,333 | | 20,15,86,354 |
| Add: Reversal/(cancel) of Stale Cheques | (6,27,010) | | 3,33,200 |
| Add: Unspent/excess grant of prior years received back (at centre) | 40,32,890 | | 59,34,912 |
| Add: Unspent/excess grant of prior years received back(at Head Office) | 3,59,64,575 | | 3,92,50,450 |
| Less: Funds Remitted to Government of India | 10,07,40,578 | | 2,11,06,300 |
| Less: Income tax refund | 2,80,59,921 | | - |
| Less: Other Recoverable | 1,84,654 | | - |
| Less: Interest earned on Processing & Application fee | 2,98,66,896 | 1,08,73,17,074 | 2,54,89,782 |
| b. For Processing & Application Fee Account | 36,06,18,003 | | 32,72,85,040 |
| Add : Income tax refund | 2,80,59,921 | | - |
| Add : Other Recoverable | 1,84,654 | | - |
| Add : Interest earned on Processing & Application fee | 2,98,66,896 | | 2,54,89,782 |
| Add/ (Deduct): Balance of net income/ (expenditure) Transferred from the Income and Expenditure Account | (82,77,252) | 41,04,52,222 | 78,43,181 |
| BALANCE AT AT THE YEAR END | | 1,49,77,69,296 | 1,50,41,32,338 |

Place : Gurugram
Date : 15.06.2017

Sd/-
Managing Director

Sd/-
Deputy Managing Director

Sd/-
Joint Director (F&A)

SCHEDULE 2

(Amount in Rs.)

| RESERVES AND SURPLUS | CURRENT YEAR | PREVIOUS YEAR |
|----------------------------------|---------------------|----------------------|
| 1. Capital Reserve : | | |
| As per last Account | - | |
| Additions during the year | | |
| Less: Deductions during the year | | |
| | - | - |
| 2. Revaluation Reserve : | | |
| As per last Account | - | |
| Additions during the year | | |
| Less: Deductions during the year | | |
| | | |
| 3. Special Reserves : | | |
| As per last Account | - | |
| Additions during the year | | |
| Less: Deductions during the year | | |
| | | |
| 4. General Reserve : | | |
| As per last Account | - | |
| Additions during the year | | |
| Less: Deductions during the year | | |
| TOTAL | | - |

Place : Gurugram
Date : 15.06.2017

Sd/-
Managing Director

Sd/-
Deputy Managing Director

Sd/-
Joint Director (F&A)

SCHEDULE 3

EARMARKED/ ENDOWMENT FUNDS

| | | FUND-WISE BREAK-UP | | | | (Amount in Rs.) | | |
|---|--|--------------------|---|------------------|-----------------------------|-------------------|--------------------|--------------------|
| | | NHM Scheme | Horticulture Mission North Eastern & Himalayan States | NBM Scheme | National Mission on Saffron | MoFPI Scheme | Current Year | Previous Year |
| a. | Opening balance of the funds | 3,489,946 | 2,096 | 2,064,358 | 100,784,904 | - | 106,341,304 | 7,063,587 |
| b. | Additions to the Funds | 31,500,000 | - | 51 | - | 44,309,611 | 75,809,611 | 327,337,475 |
| i. | Grants/ Donations | 669,063 | - | 72,517 | 3,895,677 | 257,895 | 4,895,203 | 1,555,765 |
| ii. | Income from funds (Interest on Saving a/c) | - | - | - | - | - | - | - |
| iii. | Unspent grants received back from organisations | - | - | - | 15,000 | - | - | - |
| iv. | Tender Fee | - | - | - | 1,340,000 | - | 15,000 | - |
| v. | Earnest Money Deposit | - | - | - | - | - | 1,340,000 | - |
| TOTAL (a + b) | | 35,659,009 | 2,147 | 2,136,875 | 106,035,581 | 44,567,506 | 188,401,118 | 335,956,827 |
| c. | Utilisation/ Expenditure towards objectives of funds | - | - | - | - | - | - | - |
| i. | Capital Expenditure : | - | - | - | - | - | - | - |
| | - Fixed Assets | - | - | - | 73,486,771 | 44,309,611 | 117,796,382 | 211,588,875 |
| | - Grants released for projects | - | - | - | 73,486,771 | 44,309,611 | 117,796,382 | 211,588,875 |
| ii. | Revenue Expenditure : | - | - | - | - | - | - | - |
| | - Salaries, Wages and allowances etc. | - | - | - | - | - | - | - |
| | - Bank Charges | - | 2,147 | - | 101 | - | 2,248 | 904 |
| | - Other Administrative expenses - TSG | 29,758,785 | - | 1,089,493 | 23,309 | - | 30,871,587 | 16,841,983 |
| | - Refund to MoFPI/HMNEH | - | - | - | - | 257,895 | 257,895 | 1,183,760 |
| | Total | 29,758,785 | 2,147 | 1,089,493 | 23,410 | 257,895 | 31,131,729 | 18,026,647 |
| | Grant Total | 29,758,785 | 2,147 | 1,089,493 | 73,510,181 | 44,567,506 | 148,928,111 | 229,615,522 |
| NET BALANCE AS AT THE YEAR END (a+b-c) | | 5,900,224 | - | 1,047,382 | 32,525,400 | - | 39,473,007 | 106,341,305 |

Place : Gurugram
Date : 15.06.2017

Sd/-
Managing Director
Sd/-
Deputy Managing Director
Sd/-
Joint Director (F&A)

SCHEDULE 4

(Amount in Rs)

| SECURED LOANS AND BORROWINGS | CURRENT YEAR | PREVIOUS YEAR |
|-------------------------------------|---------------------|----------------------|
| 1. Central Government | - | - |
| 2. State Government (Specify) | - | - |
| 3. Financial Institutions | | |
| a. Term Loans | - | - |
| b. Interest accrued and due | - | - |
| 4. Banks: | | |
| a. Term loans | | |
| - Interest accrued and due | - | - |
| b. Other loans (specify) | | |
| - Interest accrued and due | - | - |
| 5. Other Institutions and Agencies | - | - |
| 6. Debentures and Bonds | - | - |
| 7. Others (Specify) | - | - |
| TOTAL | - | - |

SCHEDULE 5

(Amount in Rs)

| UNSECURED LOANS AND BORROWINGS | CURRENT YEAR | PREVIOUS YEAR |
|---------------------------------------|---------------------|----------------------|
| 1. Central Government | | |
| 2. State Government (Specify) | | |
| 3. Financial Institutions | | |
| a. Term Loans | | |
| b. Interest accrued and due | | |
| 4. Banks: | | |
| a. Term loans | | |
| - Interest accrued and due | | |
| b. Other loans (specify) | | |
| - Interest accrued and due | | |
| 5. Other Institutions and Agencies | | |
| 6. Debentures and Bonds | | |
| 7. Others (Specify) | | |
| TOTAL | | |
| Note: Amounts due within one year | | |

Place : Gurugram
Date : 15.06.2017

Sd/-
Managing Director

Sd/-
Deputy Managing Director

Sd/-
Joint Director (F&A)

SCHEDULE 6

(Amount in Rs)

| DEFERRED CREDIT LIABILITIES | CURRENT YEAR | PREVIOUS YEAR |
|---|--------------|---------------|
| a. Acceptances secured by hypothecation of capital equipment and other assets | - | - |
| b. Others | - | - |
| TOTAL | | |
| Note: Amounts due within one year | | |

SCHEDULE 7

(Amount in Rs)

| CURRENT LIABILITIES AND PROVISIONS | CURRENT YEAR | PREVIOUS YEAR |
|-------------------------------------|--------------------|--------------------|
| A. CURRENT LIABILITIES | | |
| 1. Acceptances | - | - |
| 2. Sundry Creditors: | | |
| a. For Goods | - | - |
| b. Others | | |
| 3. Advances Received | | |
| 4. Interest accrued but not due on: | | |
| a. Secured loans/ borrowings | | - |
| b. Unsecured loans/ borrowings | - | - |
| 5. Statutory Liabilities: | - | - |
| a. Overdue | - | - |
| b. Others | - | - |
| 6. Other current liabilities | 1,792,245 | 1,768,108 |
| TOTAL (A) | 1,792,245 | 1,768,108 |
| B. PROVISIONS | | |
| 1. For Taxation | | |
| 2. Gratuity | 71,447,527 | 66,493,827 |
| 3. Superannuation/ Pension | | |
| 4. Accumulated leave Encashment | 57,891,853 | 52,700,400 |
| 5. Trade Warranties/ Claims | | |
| 6. Others - Doubtful Debts | 238,810,315 | 368,149,695 |
| TOTAL (B) | 368,149,695 | 367,064,542 |
| TOTAL (A + B) | 369,941,940 | 368,832,650 |

Place : Gurugram
Date : 15.06.2017

Sd/-
Managing Director

Sd/-
Deputy Managing Director

Sd/-
Joint Director (F&A)

NATIONAL HORTICULTURE BOARD
SCHEDULES FORMING PART OF BALANCE SHEET
AS AT MARCH 31,2017

SCHEDULE- 8

(Amount in Rs.)

| DESCRIPTION | Rates of depreciation | GROSS BLOCK | | Cost as at beginning of the year | Additions during the year | Deductions during the year | Cost as at The end of The year | As at the beginning of the year | During the year | On deduction during the year | Total up to the year end | Current year end | NET BLOCK | | | | | | | | | | | | |
|---|------------------------------|-------------------------|------------------------|---|----------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------|--|------------------------|-------------------------------------|---------------------------------|-------------------------|------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | | before 30th sep. | after 30th sep. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| A. FROM GRANTS-IN-AID | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (i) FIXED ASSETS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| LAND: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| a. Freehold | | 3,139,088 | - | - | - | - | 3,139,088 | - | - | - | - | 3,139,088 | 3,139,088 | | | | | | | | | | | | |
| b. Leasehold | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | | | | | | | | | | |
| BUILDINGS: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| a. On freehold land | 10% | 22,871,006 | - | - | - | 22,871,006 | 17,534,238 | 533,677 | - | 18,067,915 | 4,803,091 | 5,336,768 | | | | | | | | | | | | | |
| b. On leasehold land | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | | | | | | | | | | |
| c. Ownership Flats/ premises | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | | | | | | | | | | |
| d. Superstructures on land | 10% | 162,742 | - | - | - | 162,742 | 123,444 | 3,930 | - | 127,374 | 35,369 | 39,299 | | | | | | | | | | | | | |
| PLANT/MACHINERY & EQUIPMENTS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| VEHICLES | 15% | 822,181 | - | - | 822,181 | 506,375 | 47,371 | - | 553,746 | 268,436 | 315,807 | | | | | | | | | | | | | | |
| FURNITURE & FIXTURES | 10% | 16,643,789 | 303,935 | 507,451 | - | 17,455,175 | 10,404,729 | 679,672 | 920 | 11,083,481 | 6,369,855 | 6,239,061 | | | | | | | | | | | | | |
| OFFICE EQUIPMENT | 15% | 18,447,318 | 199,760 | 627,271 | - | 19,274,349 | 14,941,919 | 602,819 | 2,832 | 15,541,906 | 3,726,778 | 3,505,398 | | | | | | | | | | | | | |
| COMPUTER PERIPHERALS | 60% | 14,609,094 | 265,976 | 84,400 | - | 14,959,470 | 13,782,817 | 680,670 | 4,530 | 14,458,957 | 491,453 | 826,277 | | | | | | | | | | | | | |
| ELECTRIC INSTALLATIONS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | | | | | | | | | | |
| LIBRARY BOOKS | 100% | 2,020,130 | 5,517 | 13,949 | - | 2,039,596 | 2,018,749 | 13,872 | - | 2,032,621 | 6,975 | | | | | | | | | | | | | | |
| TUBEWELLS & WATER SUPPLY | 15% | 85,040 | - | - | - | 85,040 | 84,687 | 53 | - | 84,740 | 300 | 353 | | | | | | | | | | | | | |
| SOLAR PANEL | 80% | 2,180,036 | - | - | - | 2,180,036 | 1,744,029 | - | - | 1,744,029 | 436,007 | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL | | 78,800,388 | 2,955,224 | 1,233,071 | - | 82,988,683 | 59,396,958 | 4,306,093 | 8,282 | 63,694,769 | 19,277,351 | 19,403,431 | | | | | | | | | | | | | |
| B. FROM PROCESSING FEE AND APPLICATION FORM & SCHEME BROCHURE FEE AMOUNT | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| BUILDINGS: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| a. On freehold land | 10% | 2,115,724 | - | - | - | 2,115,724 | 1,378,017 | 73,771 | - | 1,451,788 | 663,387 | 737,708 | | | | | | | | | | | | | |
| b. On Leasehold Shops | | 3,134,730 | - | - | - | 3,134,730 | - | - | - | - | 3,134,730 | 3,134,730 | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL | | 5,250,454 | - | - | - | 5,250,454 | 1,378,017 | 73,771 | - | 1,451,788 | 3,798,667 | 3,872,438 | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL OF CURRENT YEAR | | 84,050,842 | 2,955,224 | 1,233,071 | - | 88,239,137 | 60,774,975 | 4,379,863 | 8,282 | 65,146,556 | 23,076,018 | 23,275,869 | | | | | | | | | | | | | |
| PREVIOUS YEAR | | 83,337,929 | 4,484,732 | 706,431 | - | 84,050,842 | 62,093,300 | 3,018,997 | 4,337,323 | 60,774,974 | 23,275,869 | 21,244,631 | | | | | | | | | | | | | |

SCHEDULE 9

(Amount in Rs)

| INVESTMENTS FROM EARMARKED/ ENDOWMENT FUNDS | CURRENT YEAR | PREVIOUS YEAR |
|--|--------------|---------------|
| 1. Government Securities | -- | -- |
| 2. Other approved securities | -- | -- |
| 3. Shares | -- | -- |
| 4. Debentures and Bonds | -- | -- |
| 5. Subsidiaries and Joint Ventures | -- | -- |
| 6. Others (to be specified) | -- | -- |
| TOTAL | -- | -- |

SCHEDULE 10

(Amount in Rs)

| INVESTMENTS OTHERS | CURRENT YEAR | PREVIOUS YEAR |
|------------------------------------|--------------|---------------|
| 1. Government Securities | -- | -- |
| 2. Other approved securities | -- | -- |
| 3. Shares | -- | -- |
| 4. Debentures and Bonds | -- | -- |
| 5. Subsidiaries and Joint Ventures | -- | -- |
| 6. Others (to be specified) | -- | -- |
| TOTAL | -- | -- |

Place : Gurugram
Date : 15.06.2017

Sd/-
Managing Director

Sd/-
Deputy Managing Director

Sd/-
Joint Director (F&A)

SCHEDULE 11

(Amount in Rs)

| CURRENT ASSETS, LOANS, ADVANCES | CURRENT YEAR | PREVIOUS YEAR |
|---|----------------------|----------------------|
| A. CURRENT ASSETS | | |
| 1. Inventories: | | |
| a. Stores and Spares | 50,605 | 173,412 |
| b. Stamps in hand | - | - |
| c. Stock in trade | - | - |
| - Finished goods | - | - |
| - Work in progress | - | - |
| - Raw Materials | - | - |
| | 50,605 | - |
| 2. Sundry Debtors: | | |
| a. Outstanding for a period exceeding 6 months | - | - |
| b. Others - Deposits | | - |
| 3. Cash balances in hand (including cheques/ drafts etc) | 89,516 | 100,765 |
| 4. Bank balances | | |
| a. With Scheduled banks: | | |
| - On Current Accounts | - | - |
| - On Deposit Accounts | | |
| Processing fee /Cost of Application form & Scheme broucher | 350,000,000 | 300,000,000 |
| NHB's internal accrual | 950,000,000 | 850,000,000 |
| - In Saving Accounts (Head Office) | 270,786,575 | 440,752,271 |
| - In Saving Accounts -Imprest A/c(Centres) | 6,714,048 | 7,071,051 |
| - In Saving accounts-Subsidy A/c (Centres) | 988,473 | 2,124,724 |
| - In Saving Accounts-Cost of application form & scheme broucher (centres) | 145,066 | 1,578,634,161 |
| b. With non-Scheduled banks: | | |
| - On current accounts | - | - |
| - On Deposit Accounts | - | - |
| - On Saving accounts | - | - |
| 5. Post Office Savings Accounts | - | - |
| TOTAL (A) | 1,578,774,282 | 1,600,416,460 |

 Place : Gurugram
 Date : 15.06.2017

 Sd/-
 Managing Director

 Sd/-
 Deputy Managing Director

 Sd/-
 Joint Director (F&A)

(Amount in Rs)

| B. LOANS ADVANCES AND OTHER ASSETS | CURRENT YEAR | PREVIOUS YEAR |
|--|----------------------|----------------------|
| 1. Loans and Advances | | |
| a. Staff | 3,104,779 | 4,314,977 |
| b. Others | - | - |
| c. Other Entities engaged in activities/ objectives similar to that of the Entity | - | - |
| d. Soft Loan under schemes of the Board | | |
| - Considered good and recoverable | - | - |
| - Doubtful | 208,079,681 | 217,079,681 |
| | 211,184,460 | 221,394,658 |
| 2. Advances and other amounts recoverables in cash or in kind or for value to be received: | | |
| a. On capital account | - | 184,654 |
| b. Prepaid Expenses | 89,778 | 13,367 |
| c. Deposits & Recoverables | 1,187,346 | 314,391 |
| | 1,277,124 | 512,412 |
| 3. Income Accrued: | | |
| a. On investments from Earmarked/ Endowment Fund | - | - |
| b. On investments - FDR's | | |
| Processing fee /Cost of Application form & Scheme broucher | 2,407,053 | 2,876,010 |
| NHB's internal accrual | 23,578,275 | 25,242,967 |
| c. On Saving accounts | - | - |
| d. On Soft loans | | |
| - Considered good and recoverable | - | |
| - Doubtful (includes income due unrealised) | 30,730,634 | 30,790,634 |
| | 56,715,962 | 58,909,611 |
| 4. Tax Deducted at Source By Bank | 36,156,396 | - |
| TOTAL (B) | 305,333,942 | 355,613,964 |
| TOTAL(A + B) | 1,884,108,225 | 1,956,030,424 |

Place : Gurugram
Date : 15.06.2017

Sd/-
Managing Director

Sd/-
Deputy Managing Director

Sd/-
Joint Director (F&A)

**SCHEDULES FORMING PART OF INCOME AND EXPENDITURE ACCOUNT
FOR THE YEAR ENDED MARCH 31, 2017**

SCHEDULE 12

(Amount in Rs.)

| INCOME FROM SALES/ SERVICES | CURRENT YEAR | PREVIOUS YEAR |
|--|--------------------|------------------|
| 1. Income from sales: | | |
| a. Sale of Finished Goods | - | - |
| b. Sale of Raw Materials | - | - |
| c. Sale of Scrap | - | - |
| 2. Income from Services: | - | - |
| a. Processing charges | - | - |
| b. Cost of Application form & scheme broucher | 7,716,415 | 23,219,044 |
| Less: Expenses Incurred | (15,993,667) | (8,277,252) |
| c. Professional/ Consultancy Services | - | - |
| d. Agency Commission and Brokerage | - | - |
| e. Maintenance Services (Equipment/ Property) | - | - |
| f. Others | - | - |
| TOTAL | (8,277,252) | 7,843,181 |

SCHEDULE 13

(Amount in Rs.)

| GRANTS/ SUBSIDIES (Irrevocable grants and subsidies received) | CURRENT YEAR | PREVIOUS YEAR |
|---|----------------------|----------------------|
| 1. Central Government | | |
| Planned expenditure | | |
| From NHB Budget | 2,542,500,000 | 2,866,000,000 |
| Non planned expenditure | | |
| | 2,542,500,000 | 2,866,000,000 |
| 2. State Government (s) | | |
| 3. Government Agencies | | |
| 4. Institutions/ Welfare Bodies | | |
| 5. International Organisations | | |
| 6. Others (Specify) | | |
| TOTAL | 2,542,500,000 | 2,866,000,000 |

Place : Gurugram
 Date : 15.06.2017

Sd/-
 Managing Director

Sd/-
 Deputy Managing Director

Sd/-
 Joint Director (F&A)

SCHEDULE 14

(Amount in Rs)

| FEES/ SUBSCRIPTIONS | CURRENT YEAR | PREVIOUS YEAR |
|---|--------------|---------------|
| 1. Entrance Fees | - | - |
| 2. Annual Fees/ Subscriptions | - | - |
| 3. Seminar/ Program Fees | - | - |
| 4. Consultancy Fees | - | - |
| 5. Others | - | - |
| TOTAL | - | - |
| Note: Accounting Policies towards each item to be disclosed | | |

SCHEDULE 15

(Amount in Rs)

| INCOME FROM INVESTMENTS (Income on Invest. From Earmarked/ Endowment Funds transferred to funds) | Invest from Earmarked fund | | Investment - Others | |
|--|-------------------------------|---------------|---------------------|---------------|
| | Current year | Previous Year | Current year | Previous year |
| 1. Interest | | | | |
| a. On Govt Securities | | | - | |
| b. Other Bonds/ Debentures | | | - | |
| c. Others (FDs with banks) | | | - | - |
| 2. Dividends | | | | |
| a. On Shares | | | - | |
| b. On Mutual Fund Securities | | | - | |
| 3. Rents | - | - | - | - |
| 4. Others (Specify) | - | - | - | - |
| TOTAL | - | - | - | - |
| TRANSFERRED TO EARMARKED/ ENDOWMENT FUNDS | - | - | | |

SCHEDULE 16

(Amount in Rs)

| INCOME FROM ROYALTY, PUBLICATIONS ETC. | CURRENT YEAR | PREVIOUS YEAR |
|---|---------------|---------------|
| 1. Income from publications | 19,175 | 45,463 |
| 2. Income from Royalty | - | - |
| 3. Others (Specify) | - | - |
| TOTAL | 19,175 | 45,463 |

Place : Gurugram
Date : 15.06.2017

Sd/-
Managing Director

Sd/-
Deputy Managing Director

Sd/-
Joint Director (F&A)

SCHEDULE 17

(Amount in Rs)

| INTEREST EARNED | CURRENT YEAR | | PREVIOUS YEAR | |
|--|---------------------|--------------------|----------------------|--------------------|
| 1. On Term Deposits: | | | | |
| a. With Scheduled Banks | 82,116,035 | | 89,434,205 | |
| b. With Non Scheduled Banks | | | | |
| c. With institutions | | | | |
| d. Others | | | | |
| | | 82,116,035 | | 89,434,205 |
| 2. On Savings Accounts: | | | | |
| a. With Scheduled Banks | 28,078,278 | | 28,319,466 | |
| b. With Non Scheduled Banks | | | | |
| c. Post Office Savings Accounts | | | | |
| d. Others - at Centres | | | | |
| | | 28,078,278 | | 28,319,466 |
| 3. On Loans: | | | | |
| a. Employees/ Staff | 95,177 | | 89,980 | |
| b. Service charges recoverable from Beneficiaries under Soft Loan Scheme | | | | |
| c. Service Charges Received from Beneficiaries under Soft Loan Scheme | | 95,177 | | 89,980 |
| | | | | |
| 4. Interest on Debtors and Other Receivables | | 9,279,429 | | - |
| TOTAL | | 119,568,919 | | 117,843,651 |

Note: Tax deducted at source to be included

 Place : Gurugram
 Date : 15.06.2017

 Sd/-
 Managing Director

 Sd/-
 Deputy Managing Director

 Sd/-
 Joint Director (F&A)

SCHEDULE 18

(Amount in Rs)

| OTHER INCOME | CURRENT YEAR | PREVIOUS YEAR |
|--|----------------|----------------|
| 1. Profit on sale/ disposal of assets: | | |
| a. Owned assets | - | - |
| b. Assets acquired out of grants, or received free of cost | - | - |
| 2. Rent received | 168,180 | 168,180 |
| 3. Fees for Miscellaneous Services | - | - |
| 4. Miscellaneous Income | 133,170 | 125,047 |
| 5. Service charges received | - | 153,950 |
| TOTAL | 301,350 | 447,177 |

SCHEDULE 19

(Amount in Rs)

| INCREASE/ (DECREASE) IN STOCK OF FINISHED GOODS & WORK IN PROGRESS | CURRENT YEAR | PREVIOUS YEAR |
|--|--------------|---------------|
| 1. Closing stock | | |
| a. Finished Goods | | |
| b. Work in Progress | | |
| 2. Less: Opening Stock | - | - |
| a. Finished Goods | | |
| b. Work in Progress | - | - |
| NET INCREASE/ (DECREASE) [1 - 2] | - | - |

Place : Gurugram

Date : 15.06.2017

Sd/-
Managing Director

Sd/-
Deputy Managing Director

Sd/-
Joint Director (F&A)

SCHEDULE 20

(Amount in Rs)

| ESTABLISHMENT EXPENSES | CURRENT YEAR | PREVIOUS YEAR |
|---|-------------------|-------------------|
| a. Pay and Allowances | 43,499,407 | 42,396,676 |
| b. Other Allowances and Bonus | 7,036,823 | 9,019,050 |
| c. Contribution to Provident Fund | 10,894,469 | 10,271,507 |
| d. Staff Welfare Expenses | 299,124 | 404,706 |
| e. Expenses on employees retirement & terminal benefits | 17,148,656 | 10,776,020 |
| TOTAL | 78,878,479 | 72,867,959 |

SCHEDULE 21

(Amount in Rs)

| OTHER ADMINISTRATIVE EXPENSES | CURRENT YEAR | PREVIOUS YEAR |
|---|-------------------|-------------------|
| a. Electricity and water charges | 2,172,327 | 2,666,234 |
| b. Generator running & maintenance | 690,967 | 642,802 |
| c. Insurance | 19,165 | 5,350 |
| d. Repair and maintenance | 1,011,878 | 1,564,075 |
| e. Security charges and housekeeping expenses | 4,679,312 | 4,106,863 |
| f. Vehicles Running and Maintenance | 330,693 | 278,736 |
| g. Postage, Telephone and communication charges | 812,724 | 1,078,862 |
| h. Printing and stationery | 1,057,777 | 890,363 |
| i. Travelling and Conveyance expenses | 5,704,255 | 4,944,008 |
| j. Newspaper & periodicals | 54,048 | 46,473 |
| k. Office expenses | 687,403 | 516,096 |
| l. Expenses on meeting\entertainment | 222,934 | 317,268 |
| m. Auditors remunerations/ fees | 581,897 | 187,065 |
| n. Legal & Professional Charges | 745,578 | 904,753 |
| o. Advertisement and publicity | 188,182 | 274,988 |
| p. Photocopy exp. | 518,440 | 429,607 |
| q. Loss on Sale of Fixed Assets MIC | - | 1,904 |
| r. Property Tax | 166,617 | 2,891,788 |
| TOTAL | 19,644,197 | 21,747,235 |

Place : Gurugram

Date : 15.06.2017

Sd/-
Managing Director

Sd/-
Deputy Managing Director

Sd/-
Joint Director (F&A)

SCHEDULE 22

(Amount in Rs)

| EXPENDITURE ON GRANTS, SUBSIDIES ETC. | CURRENT YEAR | PREVIOUS YEAR | |
|---|---------------------|----------------------|----------------------|
| a. Grants given to Institutions/ Organisations | | | - |
| b. Subsidies given to Institutions/ Organisations(For Other than NE states) | | | |
| i) Development of Commercial Horticulture (Subsidy) | 1,799,230,918 | | 1,601,356,382 |
| - Legal charges for court cases under soft loan scheme | 3,035,866 | | 996,077 |
| ii) Capital Investment Subsidy for Cold Storages | 536,615,321 | | 895,340,852 |
| iii) Technology Development/ Promotion for Horticulture | 26,993,765 | | 32,240,879 |
| iv) Market Information Service for Horticulture Crops | 81,654,029 | | 78,066,813 |
| v) Horticulture Promotion Services | 2,009,972 | | 1,637,860 |
| Expenses (For NE States including Sikkim) | | | |
| i) Development of Commercial Horticulture (Subsidy) | 12,800,900 | | 14,795,967 |
| ii) Capital Investment Subsidy for Cold Storages | 39,083,000 | | 58,055,000 |
| iii) Technology Development/ Promotion for Horticulture | 3,835,264 | 2,505,259,035 | 2,397,777 |
| TOTAL | | 2,505,259,035 | 2,684,887,607 |

Note: Name of entities, their Activities along with the amount of Grant/ Subsidies are to be disclosed.
As per Operational Guidelines of Schemes of National Horticulture Board, the eligible organizations are as under:-

Unless otherwise specified, organizations/promoters, such as Association of Growers, Individuals, group of farmer growers/consumers, farmers Producer Organizations (FPOs), Partnership/Proprietary Firms, Self Help groups (SHGs), NGOs, Companies, Corporations, Cooperatives, Co-operative Marketing federations, agricultural Produce Marketing Committees, Marketing Boards/Committee, Municipal Corporations/ Committees, Agro-Industries corporations, SAU's and other concerned R&D organizations are eligible to get assistance under all the NHB schemes.

The subsidy disbursed against each activity has been shown in the Schedule no. 22 above. Beneficiary wise details are available as separate booklet. In addition to NHB Schemes, the NHB implements the certain components of NHM, NBM, MoFPI schemes and Saffron mission.

SCHEDULE 23

(Amount in Rs)

| INTEREST | CURRENT YEAR | PREVIOUS YEAR | |
|---|---------------------|----------------------|----------------|
| a. On fixed loans | | - | - |
| b. On other loans (including Bank charges) | 3,537 | | 12,069 |
| c. Other (Specify) | - | | 216,070 |
| TOTAL | 3,537 | | 228,139 |

Place : Gurugram
Date : 15.06.2017

Sd/-
Managing Director

Sd/-
Deputy Managing Director

Sd/-
Joint Director (F&A)

NATIONAL HORTICULTURE BOARD

SCHEDULES FORMING PART OF THE ACCOUNTS FOR THE PERIOD ENDED 31.03.2017

SCHEDULE 24 - SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES

1. ACCOUNTING CONVENTION

The financial statements are prepared on the basis of historical cost convention, unless otherwise stated and on the accrual method of accounting.

2. VALUATION OF INVENTORIES

Stores, Spares (including machinery spares) and stationery items are valued at cost

3. EXCISE DUTY

Not Applicable

4. FIXED ASSETS

The Fixed Assets are shown in accounts at historical cost less depreciation

5. DEPRECIATION

a) Depreciation has been provided on Written Down Value method at the rate as per provisions of the Income Tax Act, 1961.

In respect of additions to/deductions from fixed assets during the year, depreciation has been provided as per provision of the Income Tax Act, 1961.

6. GOVERNMENT GRANTS/SUBSIDIES

Grant-in-aid received from the Department of Agriculture, Co-operation & Farmer Welfare, Govt. of India is accounted for on receipt basis. Grants-in-aid received from the government under various Schemes, other than NHB Schemes, have been recorded in Earmarked Funds

6. FOREIGN CURRENCY TRANSACTIONS

Transactions in Foreign Currencies are recorded at exchange rates prevailing on the date of respective transactions.

8. RETIREMENT BENEFITS

- a) Provision towards Gratuity payable on death / retirement of employees is accounted for on the accrual basis.
- b) Provision for accumulated leave encashment benefit to the employees is accrued and computed on the assumption that employees are entitled to receive the benefit as at each year end

9. REVENUE RECOGNITION

- a) Income such as interest on FDR's, service charges on loans & advances are accounted for on accrual basis.
 - b) Unutilized balances under various schemes are accounted for as and when received.
 - c) Amount released for assistance/subsidy under various schemes are shown as expenditure in the year of release and unutilized amount for previous years received back during the current year are recorded in Corpus/Capital Fund.
10. Provision for Pay and Allowances for the month of March 2017 has not been made in the accounts because the same is payable in the next year.

Place : Gurugram

Date : 15.06.2017

Sd/-
Managing Director

Sd/-
Deputy Managing Director

Sd/-
Joint Director (F&A)

SCHEDULE 25 - CONTINGENT LIABILITIES AND NOTES ON ACCOUNTS

1. CONTINGENT LIABILITIES

- 1.1 Claims against the Entity not acknowledged as debts - Rs. NIL (Previous year Nil)
- 1.2 In respect of:
 - Bank guarantees given by/on behalf of the Entity -Rs. NIL (Previous year Rs. NIL)
 - Letters of Credit opened by Bank on behalf of the Entity -Rs. NIL (Previous year Rs. NIL)
 - Bills discounted with banks Rs NIL (Previous year Rs NIL)
- 1.3 Disputed demands in respect of:
 - Sales-tax Rs. NIL (Previous year Rs. NIL)
 - Municipal Taxes NIL (Previous year Rs. NIL)
- 1.4 In respect of claims from parties for non-execution of orders, but contested by the Entity
 - Rs Nil (Previous Year Nil)

2. CAPITAL COMMITMENTS

Estimated value of contracts remaining to be executed on capital account and not provided for (net of advances) Rs. NIL (Previous year Nil)

3. LEASE OBLIGATIONS

Future obligations for rentals under finance lease arrangements for plant and machinery amount to Rs. NIL (Previous year Rs. NIL)

4. CURRENT ASSETS, LOANS AND ADVANCES

In the opinion of the Management, the current assets, loans and advances have a value of realization in the ordinary course of business, equal to the aggregate amount shown in the Balance Sheet

5. TAXATION

National Horticulture Board (NHB) had been notified by Central Government under Section 10(23C) (iv) of the Income Tax Act, 1961, up to the assessment year 2008-09. The NHB filed application with the Income Tax Authorities for renewal of exemption u/s 10(23C) (iv) of the Income Tax Act 1961 for Assessment Year 2009-10 to 2010-11, but the same was rejected by the Chief Commissioner of Income Tax(CCIT). The Board has filed writ petition in the High Court of Punjab & Haryana at Chandigarh against the order of the CCIT. The decision in the matter is awaited from the Hon'ble High Court.

The NHB had also filed application with the CCIT, Panchkula, Haryana on 16.04.2010 to grant exemption to NHB under section 10(23C) (iv) of the Income Tax Act, 1961 for assessment year 2011-12 to 2013-14. The CCIT rejected the above said application of NHB vide order dated 26.04.2011. The NHB filed writ petition in the Hon'ble High Court of Punjab and Haryana at Chandigarh against the above said order dated 26.04.2011 issued by the CCIT.

The Hon'ble Court directed the CCIT to re-decide the application of petitioner in the view of the documents placed before it. No decision in the matter is received from CCIT till date.

The NHB had also filed application with the CCIT, Panchkula, Haryana on 31.03.2014 to grant exemption to NHB under section 10(23C) (iv) of the Income Tax Act, 1961 for assessment year 2014-15 and onwards, but the same has been rejected by the Chief Commissioner of Income Tax(CCIT). The Board has filed writ petition in the High Court of Punjab & Haryana at Chandigarh against the order of the CCIT. The decision in the matter is awaited from the Hon'ble High Court.

The Board is also registered with Income Tax Authorities u/s 12 AA of the Income Tax Act, 1961.

The Assessing officer, during the assessment proceedings for the Financial Year 2008-09 (relevant to assessment year 2009-10) treated the receipts on account of Application cum Brochure Fee as non-charitable activity and levied a tax of Rs.98,96,505/- on the application cum brochure fees received by NHB. The NHB deposited the same under protest. NHB filed an appeal against the order of the Assessing Officer. The Income Tax Appellate Tribunal (ITAT), New Delhi has decided the appeal in favor of NHB. Accordingly refund of Rs. 1,26,18,040/- (Tax deposit Rs. 98,96,505/- plus Interest Rs. 27,21,535/-) is received during the year from the Income Tax Authorities. However, the Income Tax Department has filed appeal in Hon'ble High Court of Punjab& Haryana, Chandigarh against the order of ITAT. The decision for the same is still awaited.

The Assessing officer, during the assessment proceedings for the Financial Year 2009-10 (relevant to assessment year 2010-11) treated the receipts on account of Application cum Brochure Fee as non-charitable activity and levied a tax of Rs.1,52,04,930/- on the application cum brochure fees received by NHB. The NHB deposited the same under protest. NHB filed an appeal against the order of the Assessing Officer. The Income Tax Appellate Tribunal (ITAT), New Delhi has decided the appeal in favor of NHB. Accordingly refund of Rs. 1,75,61,690/- (Tax deposit Rs. 1,52,04,930/- plus Interest Rs. 23,56,760/-) is received during the year **from** the Income Tax Authorities. However, the Income Tax Department has filed appeal in Hon'ble High Court of Punjab& Haryana, Chandigarh against the order of ITAT. The decision of the same is still awaited.

The Assessing officer, during the assessment proceedings for the Financial Year 2010-11 (relevant to assessment year 2011-12) treated the receipts on account of Application cum Brochure Fee as non-charitable activity and levied a tax of Rs.76,99,700/- on the application cum brochure fees received by NHB. The TDS amounting to Rs.80,72,944/- was already deducted by the Indian Overseas Bank, NHB Branch, Gurugram on Interest on fixed deposits of NHB during the Financial year 2010-11. The Income Tax Appellate Tribunal (ITAT), New Delhi has decided the appeal in favor of NHB. Accordingly refund of Rs. 99,40,710/- (Including Interest) is received during the year from the Income Tax Authorities However, the Income Tax Department has filed appeal in Hon'ble High Court of Punjab& Haryana, Chandigarh against the order of ITAT. The decision for the same is still awaited.

The Assessing officer, during the assessment proceedings for the Financial Year 2011-12 (relevant to assessment year 2012-13) treated the receipts on account of Application cum Brochure Fee as non-charitable activity and levied a tax of Rs.21,81,917/- on the application cum brochure fees received by NHB. The TDS amounting to Rs.80,44,928/- was already deducted by the Indian Overseas Bank, NHB Branch, Gurugram on Interest on fixed deposits of NHB during the Financial year 2011-12. NHB has filed an appeal, against the order of the Assessing Officer. The Commissioner of Income tax (Appeal) has decided the appeal in favor of NHB. Accordingly refund of Rs. 92,51,660/- (including Interest) is received during the year from the Income Tax Authorities.

The Assessing officer, during the assessment proceedings for the Financial Year 2012-13 (relevant to assessment year 2013-14) treated the receipts & its interest on account of Application cum Brochure Fee as non-charitable activity and levied a tax of Rs.38,92,965/- on the application cum brochure fees received by NHB. The TDS amounting to Rs.85,38,377/- was already deducted by the Indian Overseas Bank, NHB Branch, Gurugram on Interest on fixed deposits of NHB during the Financial year 2012-13. A refund of Rs. 67,59,816/- (including interest) is received during the year from the Income Tax Authorities. However, TDS amount of Rs.29,05,197/- is still pending with Income Tax Authorities for which NHB has filed an appeal with Commissioner of Income tax (Appeal). The decision for the same is still awaited.

The Assessing officer has issued notice U/s 143(2) of the Income Tax act 1961, for the Financial Year 2013-14 (relevant to assessment year 2014-15) & assessed Income amounting to Rs. 3,15,54,236/- Accordingly, raised a demand of Rs. 12,95,290/- after adjusting TDS amounting to Rs.87,95,725/- which was already deducted by the Indian Overseas Bank, NHB Branch, Gurugram on Interest on fixed deposits of NHB during the Financial year 2013-14. The NHB has filed an appeal with Commissioner of Income tax (Appeal) against the above said order. The decision for the same is still awaited.

The NHB has filed Income Tax return of Nil Income for the Financial Year 2014-15 (relevant to assessment year 2015-16) claiming Refund of Rs. 73,00,450/- which was deducted by the Indian Overseas Bank, NHB Branch, Gurugram on Interest on fixed deposits of NHB during the Financial year 2014-15. The same is still refundable from the Income Tax Authorities.

The NHB has filed Income Tax return of Nil Income for the Financial Year 2015-16 (relevant to assessment year 2016-17) claiming Refund of Rs. 89,43,420/- which was deducted by the Indian Overseas Bank, NHB Branch, Gurugram on Interest on fixed deposits of NHB during the Financial year 2015-16. The same is still refundable from the Income Tax Authorities.

The TDS amounting to Rs.82,11,604/- is deducted by the Indian Overseas Bank, NHB Branch, Gurugram on Interest on fixed deposits of NHB during the Financial year 2016-17 (relevant to assessment year 2017-18) which is claimable as refund at the time of filing of Income Tax Return with the Income Tax Authorities.

6. FOREIGN CURRENCY TRANSACTIONS

6.1 Values of Imports Calculated on C.I.F. Basis:

| | |
|---|-----|
| - Purchase of finished Goods | NIL |
| - Raw Materials & Components (Including in transit) | NIL |
| - Capital Goods | NIL |
| - Stores, Spares and Consumables | NIL |

6.2 Expenditure in foreign currency

| | |
|--|----------------|
| a) Travelling Expenses | Rs. 5,31,474/- |
| b) Remittances and Interest payment to Financial Institutions /banks in Foreign Currency | NIL |
| c) Payment made towards purchase of Machinery for Technology Awareness | NIL |
| d) Other expenditure: | |
| - Commission on Sales | NIL |
| - Legal and Professional Expenses | NIL |
| - Miscellaneous Expenses | NIL |

6.3 Earnings:

| | |
|-------------------------------|-----|
| Value of Exports on FOB basis | NIL |
|-------------------------------|-----|

6.4 Remuneration to auditors:

| | |
|--------------------------|-----|
| - As Audit Fees | NIL |
| - Out of Pocket Expenses | NIL |
| - Taxation Matters | NIL |
| - Others | NIL |

7. The Funds accumulated on account of processing fee/cost of application form & scheme brochure and expenditure incurred as well as fixed assets created out of the processing fee/cost of application form & scheme brochure amount has been shown separately in the annual accounts of the Board.
8. The service charges are not provided for in the suit filed soft loan cases from the year in which civil suit has been filed. However, service charges to the extent of recovery have been provided in suit filed cases where amount has been recovered during relevant period.
9. As per practice in NHB regarding adjustment of recovery of those soft loan cases in which lump sum amount of recovery is less than principal amount and service charges due, the NHB adjust the amount of recovery first in service charges and the remaining amount in principal amount.

However, an amount of Rs.90,60,000/- received during the year in one Soft Loan Case, out of which an amount of Rs. 90,00,000/- was received on account of principal amount and remaining Rs 60,000/- as service charges as per directions of the Hon'ble High Court in such case. Accordingly, the same has been adjusted in the books of accounts.

10. Provision for Penal Interest in respect of late payments of dues by the beneficiaries has not been made in the accounts. It is accounted for on receipt basis.
11. The Board has filed civil suits against defaulter loanies for recovery of soft loans. The provision for doubtful debts amounting to Rs. 23,88,10,315/- has been made up to 31.3.2017.
12. Court fees, if any, in respect of cases where civil suit has been filed, has been debited to expenditure account on payment basis.
13. Corresponding figures for the previous year have been regrouped/rearranged, wherever considered necessary.
14. Figures have been rounded off to the nearest rupee.
15. Schedules 1 to 25 are annexed to and from an integral part of the Balance Sheet as at 31.03.2017 and the Income and Expenditure Account and Receipts and Payments Account for the year ended on that date.

Place : Gurugram
Date : 15.06.2017

Sd/-
Managing Director

Sd/-
Deputy Managing Director

Sd/-
Joint Director (F&A)



राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड

National Horticulture Board

HI-TECH COMMERCIAL HORTICULTURE
IN OPEN & PROTECTED COVER

POLY HOUSE CULTIVATION

COLD STORAGE/CONTROLLED
ATMOSPHERE STORAGE

REFER TRUCKS

Mandate for
TRANSFER OF TECHNOLOGY
NHB

PRIMARY
PROCESSING

PROMOTION OF MECHANISATION
IN HORTICULTURE

REFER TRUCKS

ENSURING AVAILABILITY OF QUALITY PLANTING MATERIAL
THROUGH NURSERY ACCREDITATION PROGRAMME



राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड
NATIONAL
HORTICULTURE BOARD

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार
Ministry of Agriculture & Farmers Welfare, Govt. of India

प्लॉट नं. 85, इंस्टीट्यूशनल एरिया, सेक्टर-18, गुरुग्राम-122015 (हरियाणा)

Plot No. 85, Institutional Area, Sector-18, Gurgaon-122015 (Haryana)

दूरभाष/Tel.: 0124-2342992, फैक्स/Fax: 0124-2342991, 2341225